अंक २ सोमवार

संख्या १४ २८ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३२४९—३२९०]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३२९०—३३०४]

(मूल्य ४ आने)

506 PSD

लोक सभा

सोमवार, २८ जुलाई, १९५२

[दिन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एकस्व

*२१५६. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किए गए कार्य के फलस्वरूप विदेशों में एकस्व (पेटेंट) प्राप्त करने के लिए १९५१-५२ में कोई प्रार्थना पत्र दिए गए ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या क्या थी और किन देशों में एकस्व के लिए ये प्रार्थना पत्र दिए गए ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने १९५१-५२ में विदेशों में एकस्व प्राप्त करने के लिए आठ प्रार्थना पत्र दिए । इन में से ४ संयुक्त राज्य अमरीका में ३ ब्रिटेन में और एक फ्रांस में दिया गया ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूं संयुक्त राज्य अमरीका में किन वस्तुओं के एकस्व के लिये प्रार्थना पत्र दिए गए ?

श्री के० डी० मालवीय : अमरीका में विदेशी एकस्व प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आविष्कारों के सम्बन्ध में दिए गये हैं :

(१) एयर ड्राइंग रिकल फिनिश कोटिंग कम्पोजीशन ।

(२) मालोटेन के बीज के तेल का उपयोग ।

(३) बेरीलियम आक्साइड की प्राप्ति की विधि ।

(४) तेलयुक्त पदार्थों से तेल निकालने की विधि ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ये वस्तुएं ऐसी अवस्था में हैं कि ये बड़े पैमाने पर तैयार की जा सकती हैं या अभी इस सम्बन्ध में प्रयोग ही किए जा रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इन देशों में एकस्व के प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं और एकस्व प्राप्त होते ही इन से बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जा सकता है ।

रक्षा सेवाएं

***२१५७. सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में रक्षा सेवाओं में प्रशिक्षण पाने के लिए कोई छात्र देश से बाहर भेजे गए थे ?

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी थी और वे किन किन देशों को भेजे गए थे ?

(ग) क्या दूसरे देशों के किन्ही छात्रों ने इस समय में हमारे प्रशिक्षण की पाठ्य चर्चाओं में भाग लिया ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) हां।

(ख) मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध सख्या ३१**]

(ग) हां।

सरदार हुक्म सिंह : क्या वहां किन्हीं विशेष विषयों का अध्ययन किया गया था ?

श्री गोपालस्वामी : उन्हें विभिन्न पाठ्य चर्चाओं के अध्ययन के लिये भेजा गया था जैसे स्टाफ़ कालिज पाठ्य चर्चा, इंजीनियरी की पाठ्य चर्चा, सिग्नल सम्बन्धी पाठ्य चर्चा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ये देश भी अपने छात्र हमारे देश में भेजते हैं ?

श्री गोपालस्वामी : जी हां, श्रीमान्।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पिछले वर्ष में उन्होंने कोई छात्र भेजे ?

श्री गोपालस्वामी : केवल बर्मा से ही लगभग ७० व्यक्ति वायु सेना सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये आए और दो या तीन वेलिंगटन में हमारे स्टाफ़ कालिज में आये। इसके अतिरिक्त कई भारतीय संस्थाओं जैसे नेशनल डिफ़ेंस अकाडिमी, इन्फैन्ट्री स्कूल, कालिज आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग, और स्कूल आफ मेकैनिकल इंजीनियरिंग आदि में दो या तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए भी छात्र आए।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या इस बात का पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि लौटने पर इन छात्रों को विभाग में नौकर रखा जायगा और उन के प्राक्रम को देश की भलाई के काम में लाया जायगा ?

श्री गोपालस्वामी : प्रशिक्षण से लौटने पर ?

बाबू रामनारायण सिंह : जी, हां।

श्री गोपाल स्वामी : अवश्य। प्रशिक्षण से लौटने पर उन्हें ऐसी नौकरियों पर रखा जाता है जो देश के हित के लिए होती हैं।

श्री वैलायुधन क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन छात्रों पर होने वाला सारा खर्च रक्षा मंत्रालय ही करता है या वह उस का कुछ अश खर्च करता है ?

श्री गोपालस्वामी : हम सेना, वायु सेना तथा समुद्री बेड़े के जिन व्यक्तियों को बाहर भेजते हैं, उन का खर्च करते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि विमान चालन तथा राडर सम्बन्धी इंजनीयरी के अध्ययन के लिए कितने व्यक्तियों को बाहर भेजा गया ?

श्री गोपालस्वामी : हम ने राडर सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए २ व्यक्तियों को भेजा था। बस यही भेजे गए।

केन्द्रीय एजेन्सी विभाग

*२१५८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विधि मंत्रालय के अधीन बनाए गए केन्द्रीय एजेन्सी विभाग के कार्य की जांच यह जानने के विचार से की गई है कि यह विभाग मंत्रालय का स्थायी अंग रहेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने इस योजना में भाग नहीं लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके भाग न लेने का क्या कारण है ; और

(घ) राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के कितने मामले इस एजेंसी ने अब तक निपटाए हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जहां तक भारत सरकार को पता है, राज्यों की सरकारें सुविधा के लिए अभी अपने ही एजेन्टों द्वारा काम करना अधिक अच्छा समझतीं हैं ।

(घ) इस विभाग द्वारा १० मई १९५२ तक निपटाए गए मामलों, जिन में याचिकाएं तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण के मामले भी थे, की संख्या निम्नलिखित है :

(१)	भारत संघ	११३ मामले
(२)	बम्बई	८७ ,,
(३)	मद्रास	६५ ,,
(४)	पंजाब	१५४ ,,
(५)	मध्य प्रदेश	६५ ,,
(६)	बिहार	३५ ,,
(७)	उड़ीसा	२५ ,,
(८)	राजस्थान	१८ ,,
(९)	सौराष्ट्र	५ ,,
(१०)	हैदराबाद	२४ ,,
(११)	मैसूर	२० ,,
(१२)	मध्य भारत	६ मामले
(१३)	त्रावनकौर-कोचीन	३६ ,,
(१४)	विंध्य प्रदेश	३ ,,
(१५)	हिमाचल प्रदेश	५ ,,
(१६)	दिल्ली	१२ ,,
(१७)	मनिपुर	४ ,,
(१८)	कच्छ	२ ,,
(१९)	पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ	७ ,,
(२०)	त्रिपुरा	१ ,,
	कुल	६८७ मामले

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो सरकारें अभी इस योजना में भाग नहीं ले रही हैं उन के सम्मिलित होने पर इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या पूर्ववत रहेगी ?

श्री बिस्वास : इस समय उत्तर प्रदेश, आसाम और पश्चिमी बंगाल—ये तीन राज्य भाग नहीं ले रहे । बाकी सब राज्य भाग ले रहे हैं और काम बहुत बढ़ गया है । सच तो यह है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है । समय समय पर इस विभाग के काम पर यह देखने के लिए विचार किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में कहां तक वृद्धि की जाय । इस विभाग में प्रारम्भ में एक सरकारी एजेंट और एक सहायक एजेन्ट था । १९५१ में सरकारी उप-एजेंट के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई क्योंकि काम बढ़ गया था । फिर १९५२ में दो असिस्टेंट और क्लर्क और रखे गए ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता था कि जो राज्य इस में सम्मिलित नहीं हो रहे, अब सम्मिलित हो जायं तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी या इतनी ही रहेगी ।

श्री बिस्वास : वह तो उन मामलों की संख्या पर निर्भर है तो कि इस विभाग को निपटाने पड़ेंगे ।

श्री० एस० एन० दास : केन्द्रीय सरकार ने इस विभाग पर १९५१-५२ में कितना खर्च किया और उस से पहले वर्ष में कितना खर्च हुआ ?

श्री बिस्वास : मैं पूरे आंकड़े दूंगा । बात यों है । हिसाब प्रति वर्ष किया जाता है, सिवाए पहली बार के जब कि हिसाब ४ अगस्त, १९५० (जब कि यह विभाग प्रारम्भ किया गया) से ३१ जनवरी १९५१ तक के समय के लिए किया गया, इस अवधि में कुल खर्च २८,३१९ रु० ९ आने हुआ । इस में से १७,५१९ रु० १० आने राज्यों की सरकारों को देना था । १ फरवरी १९५१ से ३१ जनवरी, १९५२ तक के पूरे एक वर्ष में कुल खर्च ६२,२५३ रु० १४ आने ९ पाई हुआ जिस में से राज्यों की सरकारों को ४६,४८६ रु० २ आने देना पड़ा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस विभाग के खोले जाने से मितव्ययिता तथा कार्यक्षमता बढ़ी है जैसे कि आशा की गई थी ?

श्री बिस्वास : इस से बहुत मितव्ययिता तथा कार्यक्षमता हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी राय की बात है ।

अभ्रक अनुसंधान केन्द्र

*२१५९. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगः

(क) क्या भारत में एक अभ्रक अनुसंधान केन्द्र खोला जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय कांच तथा चीनी मिट्टी सम्बन्धी अनुसंधान संस्था के निदेशक तथा भूपरिमाप संस्था के निदेशक ने मिल कर अभ्रक सम्बन्धी अनुसंधान की एक योजना तैयार की है । इस योजना के अनुसार यह अनुसंधान कलकत्ते की चीनी मिट्टी अनुसंधान प्रयोगशाला में और दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाला में किया जायगा ।

कुछ सामान खरीदने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है और बाकी सामान के लिये आर्डर देने का प्रश्न विचाराधीन है । इसी बीच अभ्रक की छांटन को उपयोग में लाने के सम्बन्ध में तथा यह जानने के लिये, कि अभ्रक को गरमी के अवरोधक की तरह काम में लाया जा सकता है या नहीं अनुसंधान का काम प्रारम्भ कर दिया गया है । ज्योंही यह सामान पहुंच जायगा अभ्रक के प्रभावीकरण का काम प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिये उस क्षेत्र को क्यों नहीं चुना गया जहां अभ्रक मिलता है ।

श्री के० डी० मालवीय : ऐसे क्षेत्र को न चुनने का जहां कि अभ्रक मिलता हो, कोई विशेष कारण नहीं परन्तु हमें दूसरी बातें भी सोचनी थीं ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार प्रारम्भ में कितनी

राशि लगा रही ह और उस में कोई चन्दा भी सम्मिलित है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान, श्री राम कुमार अग्रवाल ने २ लाख रुपये चन्दा दिया है । भारत की भूपरिमाप संस्था के आय व्ययक में सामान खरीदने और कर्मचारियों आदि के लिए ६१,००० रुपये की व्यवस्था की गई, है ।

व्यायाम शिक्षा तथा खेल कूद

*२१६०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ में किसी संस्था को व्यायाम शिक्षा तथा खेल कूद के लिए कोई अनुदान दिया गया;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक संस्था का नाम उस को दिए गए अनुदान सहित; **और**

(ग) क्या इस निधि में से किसी राज्य सरकार को अनुदान दिया गया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[दखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ग) जी नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने व्यायाम शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये य अनुदान देने के अतिरिक्त कोई कार्यवाही की है ? यह विश्वविद्यालय आयोग की एक सिफारिश थी ।

श्री के० डी० मालवीय : यह मामला पूरी तरह राज्यों की सरकारों पर छोड़ दिया गया है और वे ही इस स्थिति में हैं कि हमें बता सकें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने व्यायाम शिक्षा की केन्द्रीय संस्था बनाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब ये अनुदान दिये जाते हैं वे राज्य सरकारों की सिफ़ारिश पर दिये जाते हैं या सीधे ही ?

श्री के० डी० मालवीय : पहले भारत सरकार ये अनुदान राज्यों की सरकारों की सिफारिश पर नहीं, वरन् सीधे ही दिया करती थी परन्तु अब उस की नीति यह है कि यह सारा काम राज्यों पर छोड़ दिया जाय ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार इस मद पर कुल कितना व्यय करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : १९५१–५२ म इस मद पर कुल खर्च २६,८०० रुपय हुआ ।

श्री एम० ो० रामास्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन संस्थाओं को किन बातों तथा शर्तों के आधार पर अनुदान दिये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे सामने कोई विशेष शर्त नहीं रही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसी कोई योजनायें हैं जिन के अनुसार भारत सरकार व्यायाम शिक्षा के सम्बन्ध में कार्य कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं ने कहा योजनायें बनाना राज्यों की सरकारों का काम है।

यूरेनियम तथा थोरियम के भण्डार

*२१६२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मद्रास राज्य के कुछ भागों में यूरेनियम तथा थोरियम धातुओं के भण्डार मिले हैं ?

(ख) यदि हां, तो ये भण्डार मद्रास राज्य के किस भाग में मिले हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख)। मद्रास राज्य में अभ्रक की ऐसी खानों से जिन का काम बन्द पड़ा है, कहीं कहीं ऐसी धातुओं के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं जिन में यूरेनियम है। परन्तु ये ऐसी खानें नहीं जिन से ये धातुएं निकाली जा सकती हों।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार का इन यूरेनियम तथा थोरियम धातुओं से कैसे लाभ उठाने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार त्रावनकोर-कोचीन में पहले से ही ऐसा कर रही है और यूरोनियम निकालने के लिए अधिकतर त्रावनकोर-कोचीन की काली रेत को काम में लाया जा रहा ह।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यूरेनियम तथा थोरियम धातु भारत से बाहर किसी देश को भेजी जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान्।

श्री बी० पी० नायर : क्या यूरेनियम तथा थोरियम के भण्डारों की खोज में विदेशी वैज्ञानिक भी सहायता दे रहे हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : नहीं।

श्री अमजद अली : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन दो बहुमूल्य खनिज पदार्थों के मिलने की सारी सम्भावनाएं मैसूर राज्य में ही समाप्त हो कर रह गई हैं।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी नहीं, श्रीमान्। सारे देश भर में इन की खोज की जानी है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारे पास ऐसा कोई कारखाना है जहां इन दुर्लभ खनिज पदार्थों के मिश्रण तैयार किये जा सकते हों।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। त्रावनकोर में ऐसा कारखाना है जहां मोनाजाइट की तैयारी अभी शुरू ही हुई है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मोनाजाइट रेत अभी तक विदेशों को भेजी जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं श्रीमान्। सामान्यता इन में से अधिकतर खनिज पदार्थों के बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जाती परन्तु विशेष प्रबन्ध के अनुसार कुछ भाग भेजे जाते हैं जब कि हमें उन के बदले में कोई मूल्यवान वस्तु मिलतीहो।

डा० राम सुभग सिंह : विशेष प्रबन्ध के अधीन यह रेत किस देश को भेजी जाती है और इस के बदले में हमें क्या मिलता है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तत्काल ही इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता परन्तु फ्रांस के साथ कुछ बहुमूल्य कच्ची धातुएं भेजने के सम्बन्ध में कुछ करार हुए हैं। मेरा विचार है कि थोड़ी सी मात्रा संयुक्त राज्य अमरीका को परीक्षणों के लिए भेजी जाती है और बृटेन के साथ भी कोई ऐसा समझौता है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका से इस के बदले में यदि मिलता हो तो क्या मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस बात में पड़ने का कोई लाभ नहीं।

पश्चिमी बंगाल के बैंक

*२१६३. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के अनुसूचित तथा सहकारी बैंकों ने रिजर्व बैंक से यह कहा था कि उन्हें चाय के बागीचों को ऋण देने के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा १७ के अधीन बट्टा काटने की सुविधाएं दी जायं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): (क) पश्चिमी बंगाल के किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक ने चाय के बागीचों को वित्त देने के विशेष प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा १७ के अधीन पुनः बट्टा काटने की सुविधाएं पाने के लिए रिजर्व बैंक से प्रार्थना नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ विदेशी बैंक चाय की खड़ी फ़सलों के आधान के लिये ऋण दे रहे हैं ?

श्री त्यागी : इस समय इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सामान्यतया योरोपियन कम्पनियां यहां के बैंको से रुपया लेना नहीं चाहतीं। सम्भव है कि वे बाहर के बैंकों से रुपया लेती हों।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने कहा कि किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक ने रिजर्व बैंक से प्रार्थना नहीं की है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि अन्य किसी पक्ष की ओर से रिजर्व बैंक से, चाय की खड़ी फ़सलों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई है ?

श्री त्यागी : नहीं श्रीमान्। इस के विपरीत चाय उद्योग से कहा जा रहा है है कि वे वित्तीय सुविधाओं के लिए बैंकों से कह सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रिज़र्व बैंक अधिनियम के संशोधन के बाद सरकार ने चाय की खड़ी फसलों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में एक जांच सी प्रारम्भ की थी, और यदि हां, तो उस जांच का फल क्या रहा है ?

श्री त्यागी : यहां पर श्री यू० एन० बर्मन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के फल-स्वरूप रिज़र्व बैंक से एक अधिकारी नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी और उस ने एक अधिकारी नियुक्त किया था। उस अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार चाय के लगभग ८० प्रतिशत बागीचों के मालिक योरोपियन हैं और कुल २० प्रतिशत बागीचे भारतीयों के हाथ में हैं। योरोपियनों को

कोई विशष वित्तीय कठिनाई नहीं हो रही हैं। जो बागीच भारतीयों के हैं उन में से ८० से ९० प्रतिशत को बैंकों से थोड़े समय के लिए धन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भारतीयों के कुल बागीचों में से केवल १० प्रतिशत को, मुख्यतः आसाम के छोटे छोटे बागीचे जिस के मालिक व्यक्ति होते ह, धन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। परन्तु इस का कारण यह नहीं कि बकों की ओर से धन की कमी है बल्कि यह कि ये बागीचे इतने छोट हैं कि इन को आर्थिक ढंग से नहीं चलाया जा सकता। और इस स्थिति में बैंको को इन को बड़ी राशियां उधार देने में रुपये के डूब जाने का भय रहता है।

श्री ए० सी० गुहा : क्योंकि इस समय चाय उद्योग में संकटकालीन स्थिति है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस जांच के बाद से चाय के उन बागीचों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है, जिन के मालिक भारतीय हैं ?

श्री त्यागी : परिवर्तन के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है परन्तु मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना कह दूं कि रिज़र्व बैंक चाय के बागीचों को चाय के लिए वित्त के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दे सकता। अधिनियम के प्रस्तुत रूप में तो केवल इस बात की गुंजाइश है कि यदि हुण्डियों पर हस्ताक्षर हों तो अनुसूचित तथा सहकारी बैंकों द्वारा उन के पुनः बटटा काटने की सुविधा मिल सकती है। प्रत्यय पत्रों तथा चाय के बागीचों को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक द्वारा पुनः बट्टा काटन की सुविधाएं, अनुसूचित तथा सहकारी बैंकों को भी देने का निश्चय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने गत मई मास में केन्द्रीय चाय बोर्ड को बता दिया था परन्तु अभी तक पश्चिमी बंगाल के किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक ने चाय के बागीचों को वित्त देने की इस सुविधा से लाभ नहीं उठाया ह।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पिछले मास इस प्रश्न पर विचार करने वाली समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ?

श्री त्यागी : आसाम, दक्षिणी भारत तथा कांगड़ा घाटी के चाय के बागीचों को एक जांच समिति भजी गई थी और उस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी तक यह रिपोर्ट विचाराधीन है और मेरे लिए इस पर अपने विचार प्रकट करना समय से पहले की बात होगी।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार को मालूम है कि वित्तीय सुविधाओं के कम हो जाने के कारण, आसाम के चाय के कुछ बागीचों ने अपने मज़दूरों को नोटिस देने की धमकी दी है ?

श्री त्यागी : क्षमा कीजिए, मैं यह नहीं समझा कि "वित्तीय सुविधाओं के कम हो जाने" का क्या अर्थ है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : चाय के दाग गिर गये हैं, इसलिए उस हद तक बैंकों ने वित्त सम्बन्धी सुविधाएं कम कर दी हैं। इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई है।

श्री त्यागी : औद्योगिक वित्त निगम ने भी यह इच्छा प्रकट की है कि वह चाय के ऐसे बागीचों को जो सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियां हैं मशीनों तथा भवनों की प्रतिभूति पर लम्बे समय के किए ऋण की सुविधाएं देने को तैयार हैं। यह बात चाय बोर्ड को विशेष रूप से बताई गई थी परन्तु उस ने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया है।

भारत की भूतत्वीय परिमाप संस्था

*२१६४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत की भूतत्वीय परिमाप संस्था के पूर्वीय सर्कल में १९५१-५२ में खनिज पदार्थों की खोज तक नकशे बनाने का विधिपूर्वक काम जारी रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों का परिमाप किया गया और उस का क्या फल हुआ ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण, जिस में प्राप्य सूचना है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३३]**

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि आसाम-पाकिस्तान सीमा पर खासी राज्य संघ में स्थित काशीमारा घाटी तथा तेलीचेरा क्षेत्र, जहां तेल भूमि से छन छन कर आता है, तो इस वर्ष में पुनः जांच नहीं की गई थी और क्या सरकार का अगले वर्ष इन क्षेत्रों की पुनः जांच करने का विचार है ?

श्री **के० डी० मालवीय :** मैं इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कह सकता ।

श्री० एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बी० ओ० सी० के भूतत्ववेत्ताओं ने आसम में पेट्रोल की खोज लगाने के लिए हमारे भूतत्व विशेषज्ञों से कछ सहायता मांगी थी ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस सम्बन्ध में पता नहीं ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : पूर्वी सर्कल का मतलब है बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा ।

श्री एस० सी० सामन्त : सरकार द्वारा प्रकाशित भारत की भूतत्वीय में मैं ने देखा कि आसाम भी पूर्वी क्षेत्र में है, इसीलिए मैं ने यह प्रश्न पूछा ।

श्री अमजद अली : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि आसाम को पूर्वी क्षेत्र में क्यों नहीं लिया गया ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेन्ट (सरकार) ने काम की आसानी के लिए अलग अलग सर्कल बनाए हैं। अगर इस में आसाम नहीं है तो इस का मतलब यह नहीं है कि आसाम छोड़ दिया गया है । वह दूसरे सर्कल में होगा । हमारे पास जो रिपोर्ट है उस में यह लिखा है कि ईस्टर्न (पूर्वी) सर्कल में वेस्ट (पश्चिमी) बंगाल, बिहार और उड़ीसा है ।

श्री अमजद अली : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आसाम किस सर्कल में है ?

मौलाना आज़ाद : मैं इस समय नहीं बता सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि ऐस्बेस्टस के बारे में जो अनुसंधान सरायकेला और सिंहभूम ज़िलों में हुए हैं उन से पहले इस के बारे में कोई अनुसंधान हुए थे या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : पहले के बारे में मैं नहीं कह सकता पर जो आफिसर्स (अधिकारी) इन अनुसंधानों के लिए गए थे वे अब लौट कर आये हैं। वहां उन्होंने

जो नतीजे देखे हैं उन को वे दफ्तर में बैठ कर अध्ययन करेंगे तभी कुछ बताया जा सकता है।

सरदार हुक्म सिंह : इस सर्कल में बिहार के उस क्षेत्र का, जहां अभ्रक पाया जाता है, विस्तृत भूतत्वीय परिमाप करने से कोई लाभप्रद फल हो सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का उत्तर तो इस मामले का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद ही दिया जा सकता है।

श्री रघवय्या : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत की भूतत्वीय परिमाप संस्था में कुल कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं उन की ठीक ठीक संख्या तो नहीं जानता।

भारत में मरने वाले विदेशियों की सम्पत्ति

*२१६५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में मरने वाले विदेशियों की कितने मूल्य की सम्पत्ति १९४७ से (प्रत्येक वर्ष) भारत सरकार के हाथ में आई ;

(ख) इस सम्पत्ति का निपटारा कैसे किया गया ; और

(ग) क्या इन विदेशियों के उत्तराधिकारियों की ओर से इस सम्पति के सम्बन्ध में कोई दावे भारत सरकार को मिले हैं ?

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तथा (ख) । भारत सरकार के पास यह सूचना नहीं है यदि माननीय सदस्य यह सूचना चाहते हों तो समुचित अधिकारियों से प्राप्त की जायगी और सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ग) नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी अन्य देश के साथ ऐसी कोई पारस्परिक व्यवस्था है ?

श्री बिस्वास : किसी पारस्परिक व्यवस्था का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमारे अधिनियमों में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिन के अधीन ऐसी सम्पत्ति जिस के सम्बन्ध में कोई दावा न किया गया हो, महाप्रकाशक सम्भाल लेता है और दावा किए जाने तक सम्पत्ति उस के पास ही रहती है। वह दावा या तो किसी सम्बन्धी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालयों से प्रबन्धाधिकार पत्र प्राप्त कर लेने पर प्रमाणित होता है। यदि कोई दावा न किया जाय तो १२ वर्ष बाद, धन सरकार के खाते में डाल दिया जाता है। इस मामले में पारस्परिक व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक किसी देश ने वहां भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के लौटाए जाने के सम्बन्ध में ऐसी कोई सूचना भेजी है।

श्री बिस्वास : नहीं, ऐसे कोई दावे प्राप्त नहीं हुए।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अब तक इस देश में कितने विदेशियों की मृत्यु हुई है ?

श्री बिस्वास : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद्

*२१६६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् ने १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में मध्यपूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया को छात्र तथा प्रोफेसर भेजने और वहां से छात्र तथा प्रोफेसरों को बलाने पर कितनी राशि खर्च की ?

(ख) इन वर्षों में कितने प्रोफेसर तथा छात्र भारत में आए और किन देशों से ?

(ग) इन वर्षों में एशिया के और किन देशों को कितने प्रोफेसर तथा छात्र भेजे गए ?

(घ) १९५२-५३ में इस योजना का कार्य कैसे चलने की आशा है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग)। सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् ने संस्कृत तथा भारत शास्त्र के एक प्रोफेसर पर १९५०-५१ और १९५१-५२ में क्रमानुसार ६१८१-१०-० और ४८०० रुपये खर्च किए। भारत सरकार ने उस की सेवाएं अंजुमने ईरान शिनासी के कहने पर तेहरान विश्वविद्यालय को दे दीं।

१९५० में ईरान के साहित्यक तथा विद्वान प्रो० सईद नफ़ीसी ने इस देश का दौरा किया और भाषण दिए।

इस समय में किसी अन्य देश को छात्र तथा प्रोफेसर भेजने या उन के छात्र और प्रोफेसर बुलाने पर कोई खर्च नहीं किया गया।

(घ) प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि तेहरान यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जो कोशिश की गई थी, उस के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सवाल में तो यह पूछा गया था कि बाहर कौन साहब गए थे और कल्चरल रिलेशन्स कौन्सिल के मातहत क्या कार्यवाही हुई थी, उस का जवाब में ने दे दिया।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में और भी प्रस्तावों पर विचार हो रहा है, वह प्रस्ताव किस प्रकार के हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): कौन्सिल का मकसद है बाहर के मुल्कों से हमारे कल्चरल रिलेशन्स बढ़ें, प्रोफेसर्स का भेजना, स्टूडेन्ट्स का एक्सचेंज वगैरा। लेकिन अभी फाइनेन्शल हालत ऐसी नहीं है कि बड़े पैमाने पर काम किया जाय। इसलिए हम गौर कर रहे हैं कि अभी कहां तक कदम उठाया जाय।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि दक्षिण पूर्वी विभाग ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और यदि हां तो इस की कार्यवाहियों की प्रगति कहां तक हुई है ?

मौलाना आजाद : अभी कार्रवाई हो रही है। एक इंगलिश क्वार्टरली निकाला जा रहा है, वह जल्दी ही निकल जायगा। और भी काम इस बारे में शुरू होंगे।

श्री बादशाह गुप्त : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि जो विद्यार्थी बाहर से आते हैं उन में से कुछ संस्कृत पढ़ने के लिए भी आते हैं ?

मौलाना आजाद : मैं अभी कतई तौर पर नहीं बतला सकता मगर ऐसे स्टूडेन्ट्स जरूर होंगे।

सरदार हुक्म सिंह : प्रोफेसरों और छात्रों को भेजने या मंगाने के अतिरिक्त इन विभागों की कोई और कार्यवाहियां भी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान्, कई अन्य कार्यवाहियों भी हैं जैसे त्रैमासिक पत्रिकारों का प्रकाशन, छात्रों का विद्वानों का भेजना और उन्हें बुलाना, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए स्मारकों पदों का बनाए रखना आदि।

श्री वैलायुधन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस ईरानी प्रोफेसर पर जो खर्च हुआ वह भारत सरकार ने दिया या उसे भेजने वाली सरकार ने ?

श्री के० डी० मालवीय : यह खर्च सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् ने दिया।

श्री एस० सी० सामन्त : अध्यापकों और छात्रों को बाहर भेजने के लिए कोई अलग सिलेक्शन कमेटी है या एजूकेशन मिनिस्ट्री उन का निर्वाचन करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस समय तो इस का उत्तर नहीं दे सकता कि कौन भेजता है।

बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय

*२१६७. **प्रो० अग्रवाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार इस बात का प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि अलीगढ़ तथा बनारस विश्वविद्यालयों में पहले जो साम्प्रदायिक वातावरण था, उसे दूर किया जाय;

(ख) इस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कितने हिन्दू विद्यार्थी पढ़ रहे हैं; और

(ग) बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मुसलमान तथा ईसाई छात्रों की संख्या क्या है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारत सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिनियमों में संशोधन कर दिया है जिस के अनुसार सभी व्यक्ति, उन का धर्म या जाति कुछ भी हो, इन विश्वविद्यालयों की संसदों का सदस्य बन सकता है। इन दोनों विश्वविद्यालयों में अब धार्मिक शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो उसे प्राप्त करना चाहते हों।

(ख) तथा (ग)। १९५२-५३ के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है क्योंकि उन के प्रवेश अभी प्रारम्भ हो हुए हैं। एक विवरण, जिसमें १९५१-५२ सम्बन्धी सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३४**]

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अलीगढ़ यनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी पढ़ते ह वह एक साथ होस्टल्स में रहते हैं या अलग अलग होस्टल्स में रहते हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : जहां तक गवर्नमेंट के इल्म में है, कोई खास

अलग इन्तज़ाम नहीं है । वहां मिली जुली ज़िन्दगी है ।

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने नान मुस्लिम प्रोफेसर्स हैं और बनारस यूनिवर्सिटी में कितने नान-हिन्दू प्रोफेसर्स हैं ?

मौलाना आज़ाद : इस का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो आपथेलमेलाजी की शाखा खोली गई है उसके लिए सरकार ने कितनी रकम देने का विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आप प्रश्न को दूसरे रूप में रख रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस का उत्तर उस दिन नहीं दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

मौलाना आज़ाद : इस का ताल्लुक हेल्थ मिनिस्ट्री से है एजूकेशन मिनिस्ट्री से नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन में से प्रत्येक विश्वविद्यालय में उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की है और ऐसे छात्रों की कितनी जिन्हें वहां पहले से धार्मिक शिक्षा दी जाती है ?

मौलाना आज़ाद : मैं यकायक इस का जवाब कैसे दे सकता हूं ; नोटिस की ज़रूरत है ।

श्री अमजद अली : श्रीमान्, क्या मैं आप के द्वारा प्रश्नकर्त्ता से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? "अलीगढ़ तथा बनारस विश्वविद्यालयों का साम्प्रदायिक वातावरण" से उन का अभिप्राय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री अमजद अली : श्रीमान् क्या वे इस पर प्रकाश डालने के लिए तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर समय सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए होता है अन्य सूत्रों से नहीं ।

श्री अमजद अली : प्रश्न में कहा गया है. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप क्या चाहते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में आप सदन के बाहर उन से बात कर सकते हैं ।

रिज़र्व बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति

*२१६८. **श्री बर्मन :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रिज़र्व बैंक ने १९५० तथा १९५१ में अनुसूचित बैंकों को कितना ऋण दिया था ;

(ख) इन दो वर्षों में रिज़र्व बैंक को कितनी राशि लौटा दी गई है ; और

(ग) कार्यवाहक पूंजी, उत्पादक विनियोजन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए कौन से मुख्य प्रयोजन थे जिन के हेतु ऋण दिया गया ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). रिज़र्व बैंक ने १९५० में अनुसूचित बैंकों को कुल मिला कर १३ करोड़ ७२ लाख रुपया दिया जिस में से १२ करोड़ ९८ लाख रुपया उसी वर्ष में लौटा दिया गया और १९५१ में ७६ करोड़ ५७ लाख रुपया दिया गया जिस में से ५६ करोड़ ६७ लाख रुपया उसी वर्ष में लौटा दिया गया ।

(ग) यह उधार मुख्यतः इसलिए दिया गया कि बैंक अपनी नकदी की अस्थायी

आवश्यकताओं को पूरा कर सके जोकि शेयर बाज़ार में विषम परिस्थितियों के कारण धन की बढ़ती मांग और धन के निकलवाए जाने आदि बातों के कारण उत्पन्न हुई। ऐसी राशियों के "कार्यवाहक पूंजी या "उत्पादक विनियोजन" के लिए दिए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री बर्मन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हाल ही में ब्याज की दर में जो वृद्धि हुई थी, उस का देश में उत्पादक विनियोजन पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री त्यागी : मेरे लिए इतने व्यापक प्रश्न का तत्काल ही निश्चित उत्तर देना कठिन होगा।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि १९५२ में जून के अन्त तक कितनी राशि दी गई ?

श्री त्यागी : मैं इस प्रश्न के लिए पूर्व-सूचना चाहूंगा।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस प्रकार कितने बैंकों को सहायता दी गई है और राज्यों के हिसाब से उन की संख्या कितनी थी ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि बैंकों की संख्या के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन्डिया के शिड्यूल्ड बैंक्स में इमदादी बैंक रामपुर भी है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या सरकार ने १९५१ की तुलना में १९५२ में कम प्रत्यय देने की नीति अपनाई है—क्या उन की नीति यह रही है कि १९५१ की तुलना में १९५२ में कम धन उधार दिया जाय ?

श्री त्यागी : नहीं श्रीमान। रीजर्व बैंक की मूल रूप से यह नीति नहीं थी कि धन दे या न दे। उस की नीति अनुसूचित बैंकों द्वारा धन की मांग पर अधिक आधारित थी।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को कृषि के प्रयोजनों के लिए कितनी राशि उधार दी है।

श्री त्यागी : अलग अलग आंकड़े देना कठिन है। मेरे पास कुल आंकड़े हैं। यदि माननीय सदस्य उत्सुक हों तो ये यह आंकड़े अलग अलग कर के दिए जा सकते हैं। मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री बर्मन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अनुसूचित बैंकों को प्रत्यय की सुविधा देते समय रिज़र्व बैंक की यह नीति होती है कि बैंक किस प्रकार के विनियोजनों में धन लगाते हैं—क्या उस की नीति है कि ऐसी बातों को सोच विचार कर धन दिया जाय ?

श्री त्यागी : १९५० में कम राशि अनुसूचित बैंकों को दी गई थी। उन्हों ने कम राशियां मांगी थीं। इस का कुछ कारण तो यह भी था कि शेयर बाज़ार में स्थिति अच्छी थी न कि यह कि रिज़र्व बैंक धन देने से इनकार कर रहा था।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या इस प्रकार धन उधार देने की एक शर्त यह भी है कि इस धन का उपयोग लम्बे समय के विनियोजनों में न किया जाय ?

श्री त्यागी : सच तो यह ह कि रिजर्व बैंक लम्बे समय के लिए ऋण नहीं दे सकता और इसलिए फल यह होता हैं कि अनुसूचित बैंक लम्बे समय के लिए बड़ी राशियों का विनियोजन भी नहीं कर सकते ।

हुक्के का तम्बाकू

*२१६९. **श्री बर्मन :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष में हुक्के के तम्बाकू के प्रचलित मूल्य क्या हैं और ऐसे तम्बाकू पर कितना उत्पादन शुल्क देना पड़ता है; और

(ख) क्या यह सच है कि तम्बाकू का मूल्य असाधारणतया गिर गया है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में हुक्के के तम्बाकू की निश्चित किस्मों के थोक भाव, जो मुख्य मण्डियों में जनवरी १९५२ से जुलाई १९५२ तक प्रचलित थे, दिए गए हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३५]**

हुक्के के तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की दर ६ आने प्रति पौंड है।

(ख) जनवरी, १९५२ से जुलाई, १९५२ तक लगभग ६ मुख्य किस्मों के मूल्य में जो कमी हुई है वह ८ प्रतिशत से २६ प्रतिशत है। एक किस्म अर्थात् देशी (मोरहन) तम्बाकू के मूल्य में लगभग ४२ प्रतिशत कमी हुई है।

श्री बर्मन : क्या म माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि इस विवरण में, पश्चिमी बंगाल में उगाए जाने वाले तम्बाकू का तुलनात्मक मूल्य नहीं दिया गया और उस के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं दिए गए ।

श्री त्यागी : शायद पश्चिमी बंगाल में उगाया जाने वाला तम्बाकू 'हुक्का तम्बाकू" के अन्तर्गत नहीं गिना जाता और यदि मेरे माननीय मित्र को पश्चिमी बंगाल में तम्बाकू के उगाये जाने के सम्बन्ध में ज्ञान है तो उस किस्म का तम्बाकू बहुत कम मात्रा में उगाया जाता होगा ।

श्री के० के० बसु : तो इस की जांच पड़ताल ही क्यों न कर ली जाय ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बर्मन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष भी कुछ प्रकार के तम्बाकू का मल्य जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया ४२ प्रतिशत तक गिर गया है क्या सरकार इस बात की जांच कराना ठीक समझती है कि मूल्यों के इस प्रकार गिर जाने से आन वाले मौसम में तम्बाकू के उगाने पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

श्री त्यागी : अभी तक तो हमें यह मालूम हुआ है कि इस साल भी तम्बाकू की खेती कम नहीं हुई है परन्तु मूल्यों में इतनी अधिक कमी ४२–प्रतिशत---से हुक्के के तम्बाकू का एक किस्म पर प्रभाव पड़ा है अन्य किस्मों पर नहीं। अन्य किस्मों का मूल्य इतना नहीं गिरा है ।

श्री बर्मन : हुक्के के तम्बाकू के सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच कराने के सम्बन्ध में विचार करेंगे कि मूल्यों के इस प्रकार गिरने से आने वाले वर्ष में तम्बाकू का इस किस्म पर प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां तो क्या वे हुक्के के तम्बाकू पर शुल्क घटाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री त्यागी : तम्बाकू की सब किस्मों पर कुल २५ करोड़ ५९ लाख रुपये शुल्क लगा था जिस में से हुक्के के तम्बाकू पर शुल्क से केवल ४ करोड़ ४३ लाख रुपये की आय हुई। हुक्के के तम्बाकू की सभी किस्मों के मूल्य नहीं गिरे बल्कि कई किस्मों में से केवल एक किस्म के भाव गिरे हैं।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हुक्के का तम्बाकू देश से बाहर भेजा जाता है ? यदि हां, तो पिछले वर्ष कितना ऐसा तम्बाकू बाहर भेजा गया और उस का मूल्य कितना था ?

श्री त्यागी : मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है और मैं यह भी नहीं बता सकता कि हुक्के का तम्बाकू बाहर भेजा गया था या नहीं। मैं माननीय सदस्य के लिए यह जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत की केन्द्रीय तम्बाकू समिति में हुक्का पीने वालों का कोई प्रतिनिधि है या नहीं ?

श्री त्यागी : बहुधा तम्बाकू पीने वाले हमारे पास अभ्यावेदन नहीं भेजते केवल तम्बाकू का व्यापार करने वाले अभिवेदन करते हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री जानते हैं कि सिग्रेट के तम्बाकू पर बराबर अधिक शुल्क लगा रहने से हुक्का पीने वालों को प्रोत्साहन मिला है और उन की संख्या बढ़ी है ?

अध्यक्ष महोदय : ये तो कार्यवाही करने के सुझाव हैं। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

कोलम्बो योजना के अधीन सहायता

*२१७०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोलम्बो योजना के अधीन कितनी मोटर गाड़ियां मिलेंगी और कब ;

(ख) सरकार का इन मोटर गाड़ियों का उत्सर्जन कैसे करने का विचार है ; और

(ग) क्या ये मोटर गाड़िया टायरों तथा बाडी सहित मंगाई जायेंगी ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) १९५२ के अन्त तक १२८५ मोटर गाड़ियां प्राप्त होंगी।

(ख) ये गाड़ियां बम्बई सड़क यातायात निगम को बेच दी जायेंगी जो इन्हें बम्बई राज्य में सार्वजनिक सामान के ढोने के काम में लायगा।

(ग) इन बातों का ब्यौरा, कैनेडा में बम्बई राज्य यातायात निगम के एक अधिकारी के साथ तै किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस बात के कोई विशेष कारण हैं कि यह सारी की सारी खेप बम्बई यातायात कम्पनी को देने का विचार किया जा रहा है ?

श्री त्यागी : जी हां। कठिनाई यह थी कि हमें इस वर्ष कैनेडा के डेढ़ करोड़ डालर उपलब्ध थे जिस में से हम गेहूं के कारण केवल एक करोड़ डालर का ही उपयोग कर सके थे और बाकी राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना था नहीं तो यह राशि समाप्त हो जाती। हमें यह जो राशि उपलब्ध थी उस का उपयोग करने के लिए कैनेडा में केवल ये मोटर गाड़ियां ही इस समय मिल सकती थीं। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के कार्य क्रम के अनुसार यह सुझाव दिया

कि इस बम्बई सड़क यातायात निगम को प्रोत्साहन दिया जाय। इस लिए यही अच्छा समझा गया कि इस राशि का उपयोग किया जाय और इस प्रयोजन के लिए ये मोटर गाड़ियां खरीद ली जायं।

सरदार हुक्म सिंह: हमारे देश को इन टायरों ओर ट्यूबों, जब हमें ये गाड़ियां मिल जायंगी, के लिए कितना धन मिला है ?

श्री त्यागी : मुझे अभी निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि ये मोटर गाड़ियां टायर ट्यूब सहित आयेंगी या नहीं।

सेठ गोविन्द दास : क्या हर साल इस प्रकार की गाड़ियां यहां आवेंगी और यदि आयेंगी तो क्या भविष्य में हर प्रदेश में वितरित की जावेंगी या किसी खास प्रदेश को ही मिलेंगी ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं ने अभी हाउस से अर्ज किया था यह जो गाड़ियां हैं, वे हर साल आने वाली नहीं हैं बल्कि एक योजना के अनुसार जो हम को कैनेडियन डालर कैनेडा में हासिल थे, उन का इस्तेमाल करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना में जो बम्बई की मदद के वास्ते उस का हिस्सा था उसके लिए यह गाड़ियां ले ली गई हैं।

श्री रघवय्या : क्या यह सच है कि क्योंकि हम कैनेडा से मोटर कारें मंगाने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं भारत सरकार ने बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रूस में बनी मोटर कारों के उत्सर्जन तथा रूस से मोटर कारों के मंगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

श्री त्यागी: इस व्यवस्था के अनसार कारें मंगाने का, भारत में मोटर कारों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित नीति का कोई सम्बन्ध नहीं है। मोटर कारों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति, भारत में मोटर कार उधोग के विकास के प्रयोजनार्थ देशभक्ति की भावना के कारण बरती जा रही है।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए---

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

भूपाल राज्य की सेना

*२१७१. **पंडित सी० एन० मालवीय**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूपाल राज्य की सेना के भूतपूर्व सैनिकों को (१) ऋण (२) भूमि या (३) धन के अनुदान के रूप में कोई सहायता दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : भूपाल राज्य की सेना के भूतपूर्व सैनिकों को ऋण या भूमि के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई है, परन्तु भूपाल सरकार से कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूमि पर बसाने के लिए उचित योजनाएं तैयार करें। धन के अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जिन सैनिकों ने भारतीय सेना में रखे जाने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया और नहीं लिया गया, उन्हें केन्द्रीय सरकार ने निवृत्ति की रियायतों के रूप में धन दिया और जिन्हों ने भारतीय सेना में लिए जाने की इच्छा प्रकट नहीं की थी, उन्हें भूपाल राज्य की सरकार ने अपने नियमों के अनुसार निवृत्ति की रियायतें दीं।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिन भतपूर्व सैनिकों का सेवा काल १० वर्ष से अधिक था, उन के मामले अभी तक केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन हैं ?

श्री गोपालस्वामी: यदि ऐसे कोई मामले विचाराधीन हैं तो मैं इस बात का प्रबन्ध करूंगा कि उन्हें शीघ्र ही निबटा दिया जाय।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या मैं यह जान सकता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के कितने मामले विचाराधीन हैं?

श्री गोपालस्वामी: मुझे खेद है कि मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना की आवश्यक्ता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं यह जान सकता हूं कि भूपाल के भूतपूर्व सैनिकों के लिए तैयार की गई योजना अन्य भाग 'ग' राज्यों पर भी लागू होती है और यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं?

श्री गोपालस्वामी: वे सब राज्य के सम्बन्ध में, जिन की सेनाओं का मामला ऐसे ही निपटाया गया है, यही कार्यवाही की जायगी।

श्री सी० के० नायर: क्या मैं यह जान सकता हूं कि अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें सेना से निकाल दिया गया है और सरकार ने पिछले दो वर्षों में उन्हें फिर से बसाने के लिए क्या प्रबन्ध किया है?

श्री गोपालस्वामी: भोपाल राज्य की सेना से?

श्री सी० के० नायर: भारतीय सेना से।

पंडित सी० एन० मालवीय: *माननीय* मंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें भारतीय सेना में नहीं लिया गया। क्या मैं कारण जान सकता हूं? क्या यह सच है कि इन भतपूर्व सैनिकों को वे ही सुविधाएं नहीं दी गईं जो कि अन्य स्थानों में दी गई?

श्री गोपालस्वामी: जिन व्यक्तियों ने भारतीय सेना में लिए जाने की इच्छा प्रकट की थी उन सभी को नहीं लिया गया। उन में से कुछ को अस्वीकार कर दिया गया। और चूंकि उस समय हमारी योजना सेना की संख्या घटाने की थी, यह निश्चय किया गया कि भोपाल सेना के सभी व्यक्तियों को मुक्त कर दिया जाय परन्तु जहां ऐसे मामले थे कि सैनिकों ने भारतीय सेना में लिए जाने की इच्छा ही प्रकट नहीं की और उन्हें या तो लिया ही नहीं गया और या अस्वीकार कर दिया गया, उन्हें अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दर से निवृत्ति सम्बन्धी रियायतें दी गई।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या मैं यह जान सकता हूं कि भोपाल राज्य की सेना कब तोड़ी गई थी और भोपाल सरकार को उन सैनिकों को बसाने की योजनाएं बनाने में कितना समय लगेगा।

श्री गोपालस्वामी: भोपाल सरकार की ओर से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम ने उन से योजनाएं मांगी हैं और जहां तक फिर से बसाने का सम्बन्ध है उन की योजनाएं अभी हमें नहीं मिलीं।

केन्द्रीय बालक विधेयक

*२१७२ **श्रीमती सुषुमा सेन**: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार अपराधी बच्चों को सुधारने के लिए एक "केन्द्रीय *बालक विधेयक*" बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) राजधानी दिल्ली नगर में कितने बाल निकेतन हैं?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी, हां।

(ख) राजधानी दिल्ली नगर में एक ही बाल निकेतन है जो दिल्ली राज्य की सरकार के प्रबन्ध में ह ।

श्रीमती सुषुमा सेन : मैं यह जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि दिल्ली में बच्चों के लिए ही न्यायालय है और वह जेल के पास ही स्थित है और अपराधी बच्चों के लिए साधारण सुविधाएं दिल्ली में नहीं मिलती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : दिल्ली राज्य की सरकार इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है । मैं माननीय सदस्य का प्रश्न दिल्ली राज्य की सरकार को पहुंचा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं है; यह मामला दिल्ली राज्य सरकार के आधीन है । अगला प्रश्न ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, एक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सामाजिक शिक्षा

*२१७३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में योजना आयोग ने जिन कार्यवाहियों का सुझाव दिया है, उन में से कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : जी नहीं, अभी तो आयोग अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रहा है । सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्थापनाओं को कार्यरूप में परिणत करने के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री मादिया गौडा : क्या चालू वर्ष के आय व्ययक में इस काम के लिए कोई राशि रखी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, जब कि प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, यह प्रश्न पूछना समय से पहिले की बात है । अगला प्रश्न ।

सेना में अनुसूचित जाति के लोगों की भरती

*२१७४. **श्री अजीत सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नौसेना, वायुसेना या वायुसेना में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कोई स्थान सुरक्षित रखे गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सरकार की नीति यह है कि जात पात का ध्यान रखे बिना सेनाओं में अफसर तथा सैनिकों की भरती की जाय ।

श्री अजीत सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को मालूम है कि पिछड़ी जातियों के सिख लाइट इन्फ़ेन्ट्री रेजीमेन्टल सेन्टर को सैकैण्ड पंजाब रेजीमेन्टल सेन्टर के साथ मिला दिया गया है ?

श्री गोपालस्वामी : हां, उसे मालूम है ।

श्री अजीत सिंह : क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सदन को यह विश्वास दिला सकते हैं कि पिछड़ी जातियों के लोगों को सेना में तरक्की आदि के सम्बन्ध में बराबर का हिस्सा मिलेगा ?

श्री गोपालस्वामी : अनुसूचित जातियों के लोगों को ?

श्री अजीत सिंह : पिछड़ी जातियों के लोगों को।

श्री गोपालस्वामी : यह तो इस बात पर निर्भर है कि उन में आवश्यक योग्यताएं हैं या नहीं।

जनाब अमजद अली : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सेना में भरती के लिए कुछ वर्गों को अच्छा समझा जाता है ?

श्री गोपालस्वामी : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री वैलायुधन : क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि महार रेजीमेन्ट अभी वैसे ही है या मिला दिया गया है ?

श्री गोपालस्वामी : महार रेजीमेन्ट अपने पहले रूप में विद्यमान है।

श्री नानादास : आजकल हमारी सेना में अनुसूचित जाति के कितने अधिकारी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह तो बारीकियों में जाने वाली बात है। मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

श्री नाना दास : सब से बड़ा ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

भारत-अमरीका टेक्नीकल सहयोग करार

*२१७५. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को दोनों सरकारों के बीच हुए टेक्नीकल सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी करार के कारण प्रति वर्ष कितना ब्याज देना पड़ेगा ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : ब्याज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि टेक्नीकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन किए गए कार्य संचालन सम्बन्धी करारों में ऋण लेने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

बुनियादी शिक्षा

*२१७६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि प्रत्येक राज्य को, बुनियादी शिक्षा देने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितनी राशि दी गई थी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : १९५१-५२ में बुनियादी शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया था। १९५२-५३ में बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के लिए १ करोड़ रुपय की व्यवस्था की गई है, जिस का समुचित भाग राज्यों को ५ वर्षीय शिक्षा योजना के अधीन योजनाओं के लिए देने का विचार है। इस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण देना भी सम्मिलित है।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रत्येक राज्य बुनियादी शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण पर कितनी राशि खर्च की है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे कुछ पता नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि यह राज्यों का विषय है। वे इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : मैं ने प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पूछा था। क्या मैं यह

जान सकता हूं कि मुक्त तथा अनिवार्य बुनियादी शिक्षा भारत में किस स्थान में प्रारम्भ की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से सम्बन्ध नहीं है। बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी यह पूछताछ राज्यों की सरकारों से की जानी चाहिए।

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में है, क्या भारत सरकार उसको सचमुच बेसिक समझती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी राय की तथा उत्तर प्रदेश के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की बात है। यह प्रश्न राज्य सरकार से पूछना चाहिए।

श्री एस० एन० दास : जो रकम इस साल सामाजिक शिक्षा के लिए रखी गई है, उस के बंटवारे के लिए क्या कोई योजना तैयार की गयी है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, यह तो पंचवर्षीय योजना के अन्दर एक रकम निर्धारित की गयी है और उस के बंटवारे का जहां तक मुझे मालूम है, अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री बी० के० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की कोई केन्द्रीय योजना है या प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी अलग योजना है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस बात का निश्चय करना तो राज्य सरकारों का काम है।

मध्य भारत का केन्द्रीय राजस्व और व्यय

*२१७७. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले दो वित्तीय वर्षों में केन्द्रीय वित्तीय संसञ्जय हो जाने के फल-स्वरूप माय भारत से हुई आय ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आय में से मध्य भारत में कर्मचारियों के वेतन और कार्य-प्रबन्ध पर कितनी राशि व्यय की गई और उस में से कितनी राशि वहां जनहित के कामों के लिए दी गई ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). यह सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र से प्राप्त राजस्व तथा उस में से किए गए व्यय के लेखे, बाकी भारत के लेखों से अलग नहीं रखे जाते और न ही ऐसा करना व्यवहार्य है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हो चुकी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सैकेन्ड्री स्कूलों में हिन्दी

२१६१. **श्री एन० एस० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कितने राज्यों में हिन्दी सैकेन्ड्री स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में प्रारम्भ की गई है ; और

(ख) इन में से कितने राज्यों में स्थानीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेज़ी की अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में प्राप्य सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३६**]

त्रिपुरा में शिक्षा

५६३. **श्री बोरेन दत्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में गैर-सरकारी स्कूलों को दी गई राशि ;

(ख) कालिज के भवन बनाने के लिए दी गई राशि ;

(ग) यह राशि दिए जाने के बाद निर्माण के काम में हुई प्रगति ; और

(घ) त्रिपुरा को दिए गए अनुदानों के फलस्वरूप कितने प्रारम्भिक तथा सैकेन्ड्री स्कूल खोले जाने की आशा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) १९५१-५२ में २८,८०० रुपये ।

(ख) १९५१-५२ में २६,००० रुपये ।

(ग) भवन के पूर्वी भाग के बाहर की दीवारों पर पलस्तर किया गया ।

(घ) १९५२-५३ में पांच नए अंग्रेज़ी हाई स्कूलों, पांच मिडिल अंग्रेज़ी स्कूलों और दस नए प्राइमरी स्कूलों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है ।

भोपाल राज्य में शिक्षा

५६४. **पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने जून १९४९ से मार्च १९५२ तक भोपाल राज्य में शिक्षा पर कितनी राशि ख़र्च की ;

(ख) जुलाई १९४९ तथा मार्च १९५२ में (१) प्राइमरी स्कूलों, (२) अपर प्राइमरी स्कूलों, (३) मिडल स्कूलों और (४) सैकेन्ड्री स्कूलों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) जलाई, १९४९ तथा १९५२ में (१) प्राइमरी स्कूलों (२) अपर प्राइमरी स्कूलों, (३) मिडल स्कूलों और (४) सैकेन्ड्री स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (ग). यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और उचित समय पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

५६५. **डा० पी० एस० देशमुख** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्षों में प्रत्येक राज्य में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३७**]

न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून

५६६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ अक्टूबर १९५१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ क की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन छात्रों के नाम जिन्हें न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून के लिए भारत के प्रतिनिधि चुना गया था ;

(ख) वे किन किन संस्थाओं से आए थे;

(ग) वाद विवाद में उन्हों ने कैसा कार्य किया ;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) तथा (ख). (१) काटन कालिज गोहाटी (आसाम) के श्री राजेन्द्र नाथ बाड़ा और स्टेला मारिस कालिज मद्रास की कुमारी मार्टल डोराय राज को न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून के लिए भारतीय प्रतिनिधि चुना गया।

(ग) इन छात्रों ने संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न स्कूलों में वाद विवाद में भाग लिया और भारत तथा विशेषतया पूर्व की समस्याओं पर भाषण दिए।

(घ) सरकार को फ़ोरम (वाद विवाद संस्था) के अधिकारियों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

बाबतपुर का हवाई अड्डा

५६७. श्री गणपति राम : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) युद्धकाल में बनारस में बाबतपुर के हवाई **अड्डे** के बनाने के लिए प्राप्त की गई भूमि के बड़े बड़े क्षेत्र मालिकों को लौटा दिए गए हैं या नहीं ;

(ख) यदि हां, तो भूमि के कौन से क्षेत्र अभी लौटाये जाने हैं ;

(ग) वे लौटाए जायंगे तो कब; और

(घ) क्या अधिग्रहण काल के लिए सारी भूमि के लिये प्रतिकर दे दिए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां, उस भूमि के अतिरिक्त जो नागरिक उड्डयन के महासंचालक के लिए स्थायी रूप से ले ली गई थी, बाकी सारी भूमि लौटा दी गई है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

नैशनल सेविंग सर्टीफिकेट्स

५६८. श्री संगण्ण : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् १९४९, १९५० तथा १९५१ में भारत के प्रत्येक राज्य में नैशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स के अधीन कितनी राशि लगाई गई है;

(ख) उक्त वर्षों में नियुक्त किए गए एजेन्टों को कितनी राशि कमिशन के रूप में दी गई; और

(ग) यह कमिशन नकद या नैशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स के रूप में दिया गया ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तीन विवरण जिन में १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के सम्बन्ध में सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखे जा रहे हैं। [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ख) निम्नलिखित कमिशन दिया गया :

१९४९—५०	कुछ नहीं
१९५०—५१	७,९२,३३६ रुपये
१९५१—५२	१०,५२,३७४ रुपये

(ग) केवल नकद ।

ज्वाएंट स्टाक (संयुक्त स्कंध) कम्पनियां

५६९. श्री अलगेशन : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ज्वाएंट स्टाक कम्पनियों के प्रत्येक रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होती है जिस में अन्य बातों के अतिरिक्त ऐसी कार्यवाहियों का ब्यौरा हो जिन्हें भारतीय कम्पनी अधिनियम १९१३ के अनुसार अपराध माना जाता है;

(ख) क्या दिल्ली के, ज्वाएंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार से कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि उक्त (ख) का उत्तर सकारात्मक हो, तो १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में उक्त अधिनियम की धारा १३८ के अधीन जांच करने के लिए कितने निरीक्षक नियुक्त किए गए;

(घ) इन को कुल कितनी फीस दी गई;

(ङ) जांच के फलस्वरूप कितने मुकद्दमे चलाए गए;

(च) न्यायालयों में कार्यवाही द्वारा प्राप्त किए गए अर्थ-दण्ड की क्या राशियां थीं; और

(छ) रजिस्ट्रार ऐसे मुकद्दमों में कौन से वकील को नियुक्त करता है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). क्योंकि भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन उन के कार्य साधारणतया राज्य सरकार को सौंप दिया गया है, इस सम्बन्ध के कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नहीं मिलती है।

(ग) १९५०-५१ में दस निरीक्षक नियुक्त किए गए थे। १९५१-५२ में कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं किया गया।

(घ) निरीक्षकों को ९१२१ रुपये फीस के रूप में दिए गए।

(ङ) जांच के फलस्वरूप चार मुकद्दमे चलाए गए।

(च) एक कम्पनी से ३० रुपये अर्थ-दण्ड के रूप में प्राप्त किये गए। बाक़ी मुकद्दमे न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(छ) ऐसे मुकद्दमों के लिए साधारणतया श्री सरदारी लाल को रखा जाता है। जब कभी आवश्यकता पड़े सरकारी अभियोक्ता तथा सरकारी वकील की सहायता भी ली जाती है।

सैनिक कालिज, जालंधर

५७०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सैनिक कालिज, जालंधर को उत्तर प्रदेश राज्य में ले जाने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो क्यों ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : इस संस्था में विंध्य प्रदेश में नौगांव के स्थान पर ले जाया जा रहा है।

(ख) इस संस्था का पुनर्संगठन किया जा रहा है और जालंधर में स्थान अपर्याप्त है, जब कि नौगांव में आवश्यक स्थान मिल गया है। इस के अतिरिक्त जालंधर में इस संस्था के पास जो स्थान है उस की अन्य कामों के लिए आवश्यकता है।

खान सम्बन्धी रियायत नियम

५७१. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में (राज्यवार) खान सम्बन्धी रियायत नियमों के अधीन कितनी अपीलें प्राप्त हुईं ;

(ख) उन में से कितनी अपीलों को निपटाया गया है ;

(ग) उन में से कितनी अपीलों के सम्बन्ध में आज्ञाएं दी जानी हैं ; और

(घ) बाकी अपीलों के कब निबटाए जाने की आशा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (घ). एक विवरण, जिस में सारी अपेक्षित जानकारी है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३९**]

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

५७२. **श्री तेलकीकर : शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के औद्योगिक भौतिक शास्त्र विभाग के साथ कोई शो रूम भी सम्बद्ध है ;

(ख) पिछले दो वर्ष में इस प्रयोगशाला में कौन सी यंत्रचालित तथा अन्य वस्तुएं तैयार की गईं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण, जिस में बताया गया है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के औद्योगिक भौतिकशास्त्र विभाग में १९५१-५२ में कौन सी यंत्रचालित तथा अन्य वस्तुएं बनाई गई, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४०**]

ये वस्तुएं इस विभाग की प्रयोगशाला के कमरों में देखी जा सकतीं हैं ।

हैदराबाद राज्य में हिन्दी

५७३. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य में हिन्दी का प्रचार करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हिन्दी का विकास तथा प्रचार करने की योजनाएं सारे देश पर लागू होती हैं किसी राज्य विशेष पर नहीं ।

नेल्लोरे में अभ्रक की खानें

५७४. **श्री नानादास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खान सम्बन्धी रियायत नियमों १९४९ के अधीन मद्रास राज्य के नेल्लोर ज़िले में कच्चे अभ्रक की खेपें भेजने की प्रणाली चालू करने से नेल्लोर ज़िले में अभ्रक की खानों के मालिकों तथा अभ्रक के व्यापारियों द्वारा आय कर से बचने की प्रवृत्ति बढ़ गई है ;

(ख) नेल्लोर ज़िले के अभ्रक की खानों के कितने मालिकों तथा अभ्रक के व्यापारियों ने स्वयं ही अपनी छिपाई हुई आय आय-कर विभाग को बता दी है ;

(ग) इन मामलों में कितनी राशि छिपाई गई; और

(घ) जिन लोगों पर आय-कर लगता है उन्हों ने अपनी पहली आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक आय दिखाई है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं, श्रीमान। सरकार को ऐसी सामान्य सूचना नहीं मिली है परन्तु सरकार को समाचार मिले हैं जिन में कहा गया है कि अभ्रक की खानों के कुछ मालिक

अभ्रक के व्यापारी और निर्यात करने वाले आय-कर से बच रहे हैं; उन के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(ख) से (घ). यह सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और उचित समय पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

पेन्शन के दावों का निबटारा

५७५. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि महालेखापाल के कार्यालय को पेन्शन के दावों को निबटाने में बरसों लग जाते हैं,

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो सरकार ने इन दावों को उचित समय में निबटाने के उद्देश्य से काम की गति तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं : और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो तो क्या सरकार यह बताएगी कि महा-लेखापाल के कार्यालय द्वारा पेन्शन के किसी दावे को निबटाने के लिए अधिक से अधिक कितना समय चाहिए ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ख), यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का संकेत कौन से महालेखापाल के कार्यालय की ओर है। लेखा-कार्यालयों की संख्या २५ से अधिक है और कोई विशेष मामला सरकार या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के ध्यान में लाया जाय तो जांच की जा सकती है। साधारणतया यह देखा गया है इस सम्बन्धी नियमों में दोष नहीं है और देर अधिकतर इसलिए लगती है कि प्रशासन सम्बन्धी कार्यालयों में कुछ भूल चूक हो जाती है। कठिनाइयां इस लिए भी हुई हैं कि ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में संगत अभिलेख नहीं मिलते, जो पाकिस्तान में या भारत की भतपूर्व रियासतों में काम करते रहे हैं। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने राज्यों की सरकारों को सब प्रकार की विशेष सहायता दी है जिस से कि ये कठिनाइयां दूर हो सकें। लेखा-कार्यालयों के अध्यक्ष चौकसी कर रहे हैं ताकि जहां तक सम्भव हो, वे देरी न होने दें। जहां भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्रत्याभोज्य पेन्शन (जो पेन्शन की राशि निर्धारित की जाने से पहले दी जा सकती हो) देश सम्भव या आवश्यक हो, दे दी जाती है।

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था

५७६. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था में नियुक्त प्रोफेसर किन किन देशों के हैं; और

(ख) उन की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) इस संस्था में ६ विदेशी प्रोफेसर पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन में से तीन संयुक्त, राष्ट्र संघ की शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संस्था के कर्मचारी हैं और उन की सेवाएं टेक्नीकल सहायता कार्यक्रम के अधीन इस संस्था को सौंप दी गई हैं। बाकी तीन को सरकार ने नियुक्त किया है।

३ प्रोफ़ेसर जर्मनी के हैं, एक आस्ट्रिया का, एक नार्वे का और एक पोलैण्ड का है परन्तु बृटेन में बसा हुआ है।

(ख) सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तीन प्रोफेसरों की नियुक्ति की शर्तें ये हैं :

कार्यकाल : तीन वर्ष की संविदा

वेतन का स्केल : १६००–१००–१८०० रुपये

भत्ते : (१) अपने देश से बाहर रहने का भत्ता ५०० रुपये प्रतिमास।

(२) महंगाई भत्ता : समय समय पर चालू दरों के अनुसार

भविष्य निधि : अंशदेय भविष्य निधि, जिस में सरकार वेतन का ६ १/४ प्रतिशत अपनी ओर से देती है ।

आने जाने का भाड़ा : जलयान द्वारा, उसे, उस की पत्नि तथा अवयस्क बच्चों के लिए भारत आने तथा वापिस जाने का पहले दर्जे सी का किराया।

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था

५७७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खड़गपुर में भारत की प्रौद्योगिकीय संस्था में कर्मचारियों की कौन सी भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : खड़गपुर में भारत की प्रौद्योगिकीय संस्था में निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी हैं :

(१) पढ़ाने वाले

(क) निदेशक

(ख) विभागों के अध्यक्ष

(ग) प्रोफेसर

(घ) सहायक प्रोफेसर

(ङ) उपाध्याय

(च) शिक्षक

(छ) अनुसंधान सहायक (असिस्टेंट)

(ज) (असिस्टेंट) सहायक

(२) प्रशासनात्मक

(क) निर्देशक

(ख) रजिस्ट्रार

(ग) लेखा अधिकारी

(३) पुस्तकालय के कर्मचारी

पुस्तकाध्यक्ष

(४) अनुसाचविक

(क) सुपरिण्टेण्डेण्ट

(ख) लेखापाल

(ग) लेखा परीक्षक

(घ) कोषाध्यक्ष

(ङ) असिस्टेंट

(च) अपर डिवीज़न क्लर्क

(छ) लोअर डिवीज़न क्लर्क

(ज) स्टेनोग्राफर

(झ) उद्यांन सम्बन्धी असिस्टेंट

(ञ) स्टोरकीपर्स

(५) वर्कशाप के कर्मचारी

(क) फोरमेन

(ख) मैकेनिक

(ग) ड्राफ्ट्समेन

(घ) मोटरों के ड्राइवर

(६) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

(क) प्रयोगशाला के सहायक

(ख) अभिलेखों के सार्टर्स

(ग) दफ्तरी

(घ) चपरासी, चौकीदार आदि

(७) **प्रतिदिन रखे जाने वाले मजदूर** संस्था की भूमि को ठीक ठाक करने और वर्कशाप में निर्माण के विशेष कामों के लिए रखे जाने वाले कारीगर और मजदूर ।

दिल्ली राज्य में भूमि का अधिग्रहण

५७८. **श्री नानादास :** क्या **रक्षा** मंत्री १५ जुलाई १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६१ के भाग (ख) तथा (ग) के दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह बतलाने को कृपा करेंगे :

(क) कितने एकड़ भूमि का उत्सर्जन किया जायगा; और

(ख) इस में से कितनी भूमि दिल्ली नगर में और उसके आस पास खाली पड़ी है, और कहां है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) १३५६·८६१ एकड़ भूमि में से जो सेना के काम में नहीं आ रही, ९८०·२४१ एकड़ भूमि का उत्सर्जन किया जायगा ।

(ख) (१) बेरारी मैदान करनाल रोड़ ९८०·२४१ एकड़

(२) किंग्सवे २९७·५७ एकड़

(३) अलीपुर कैम्प मैदान—करनाल रोड ६६·८२ एकड़

(४) ओल्ड राइफल रेंज—माल्चा के पूर्व में १२·२३ एकड

हैदराबाद के राज्य का केन्द्रीय राजस्व और व्यय

५८०. **श्री वाघमारे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य से केन्द्रीय सरकार को मिलने वाला वार्षिक राजस्व और उस के स्रोत ;

(ख) १९५०-५१ वर्ष में इन में से प्रत्येक स्रोत से इस प्रकार अलग अलग प्राप्त हुई राशि; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा हैदराबाद राज्य सरकार के ऊपर किया जाने वाला वार्षिक व्यय, तथा १९५०-५१ में विविध मदों में इस प्रकार किये गये व्यय की अलग अलग राशि ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). मुझे खेद है कि यह सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का लेखा देश के बाकी क्षत्रों से प्राप्त राजस्व के लेखे से अलग नहीं रखा जाता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५०-५१ में हैदराबाद सरकार को कुल मिला कर लगभग ३७०·४१ लाख रुपये की सहायता दी गई, जो इस प्रकार थी :

(१) सङ्घ का वित्तीय एकीकरण होने के फलस्वरूप राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए दिया गया सहायक अनुदान	११५·७१ लाख रुपये
(२) एकीकरण से पहले की नागरिक पेन्शनों में दिया गया अंशदान	४·७० ,,
(३) तुंगभद्रा योजना के लिये ऋण	२००·०० ,,
(४) "अधिक अन्न उपजाओ योजनाओ" के लिए ऋण	५०·०० ,,
कुल जोड़	३७०·४१ लाख रुपये

अंक ३

संख्या १

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सची

समिति के निर्वाचिन—

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७—२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]

(मूल्य ६ आने)

391 PSD

लोक सभा

सोमवार, २८ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१४ म० पू०

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे श्री चौखामून गोहेन द्वारा भेजा गया यह पत्र प्राप्त हुआ है :

"मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं सदिया ५ जुलाई, १९५२ को पहुंच गया था तथा तब ही से नदियों की हालत के कारण यातायात का प्रबन्ध न होने से मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूं ।

यहां चारों ओर बाढ़ आई हुई है तथा हमारे क्षेत्र की वर्तमान हालत बहुत गम्भीर हो गई है ।

क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों को मेरे वहां पर रहने की परम आवश्यकता है अतः मे रेविचार में मैं सत्र के शेष

दिनों में सदन की बैठकों में भाग न ले सकूंगा ।

अतः मेरी आप से प्रार्थना है कि शेष दिनों के लिये आप मुझे सदन स अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करें ।"

क्या सदन की राय में इस सत्र के शेष दिनों में होने वाली सदन की बैठकों में श्री चौखामून गोहेन को ५ जुलाई, १९५२ से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी जाये ?

अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई ।

राज्य परिषद से संदेश

अध्यक्ष महोदय : अब सचिव सन्देश पढ़ेंगे ।

सचिव : श्रीमान, मुझे निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है जो कि राज्य परिषद के सचिव से प्राप्त हुआ है :

"राज्य परिषद की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे, आप को यह सूचना देने का निर्देश दिया गया है कि राज्य परिषद ने, २५ जुलाई, १९५२ को हुई अपनी बैठक में दंड विधि संशोधन विधेयक, १९५२ को, बिना कोई संशोधन किये हुये, उसी रूप में स्वीकार कर लिया है जिसमें कि वह लोक-सभा द्वारा १५ जुलाई, १९५२ को हुई बैठक में पारित किया गया था ।"

मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के लिये वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"मंत्रियों के लिये वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाल विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के निर्धारित समय को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक क लिये और बढ़ा दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के निर्धारित समय को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक के लिये और बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सारभूत वस्तुएं (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक

अनुसूचि

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) पहले मद में "अनाज तथा दालें समस्त रूपों में" रखा गया था किन्तु अब उसमें रोटी, आटा, मैदा, सूजी तथा भूसी को भी शामिल कर लिया गया है । मेरा कहना है कि आप चावल से बनी वस्तुओं को भी इस में शामिल क्यों नहीं करते हैं जैसे चूड़ा या मुरमुरे । यदि आटा शब्द को स्पष्ट करने के लिये आप मैदा, सूजी तथा भूसी को शामिल करते हैं तो आप को चूड़ा या मुरमुरे शामिल करने में क्या आपत्ति है । यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय तो अनियमितता दूर हो जायेगी ।

मैं ने मद दो में पान तथा सुपारी भी शामिल कर लेने के लिये संशोधन रखा है । पानों के बारे में तो जितना कहा जाये कम हैं । क्योंकि अब तो देश के हर भाग में इसका प्रयोग किया जाता है । दावतों के बाद आप इसका प्रबन्ध करते हैं । स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक है क्योंकि इसमें चूना होता है । और तो और इसके खाने से स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि होती है । उनके ओंठ लाल रहते हैं ।

अनुसूची में "घटिया तथा बीच का कपडा" शामिल कर लिया गया है । किन्तु इन से जो कपड़े तैयार किये जाते हैं उन्हें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है । क्योंकि ऐसे कपड़ों का प्रयोग अधिकतर गरीब लोग ही करते हैं । अत: उन्हें भी शामिल कर लिया जाना चाहिये । क्योंकि साक्षरता बढ़ाने के लिये कागज बहुत आवश्यक है इसलिये मेरे विचार में अनुसूची में "exercise books" (कापियों) क स्थान पर "paper" (कागज) शब्द को आदिष्ट कर दिया जाये ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं चाहता हूं कि अनुसूची की आठवीं तथा नौवीं पंक्तियों में से "jute seeds, raw jute, sun-hemp and mesta"

(पटसन बीज, कच्चा पटसन, पटुआ तथा मेस्टा) निकाल दिया जाये तथा उसे ९क के रूप में अलग से रखा जाये । विधान को उचित रूप देने के लिये यह आवश्यक है कि कच्चे पटसन के साथ साथ सूत, कपास इत्यादि को न मिलाया जाये । यदि हम ऐसा करते हैं तो यह बहुत भद्दा मालूम होता है । इसलिये मैं ने अपना संशोधन रखा है ।

अपने एक दूसरे संशोधन द्वारा मैंने अनुसूची में "Iron and steel" (लोहा तथा इस्पात) के स्थान पर "Nails, bolts and nuts, hinges and other articles manufactured from metals and used for building purposes" (कीलें, बोल्ट तथा ढिबरी, कब्ज़े तथा इमारत बनाने के काम में आने वाली धातुओं से बनी अन्य वस्तुओं) को आदिष्ट करना चाहा है । क्योंकि यह ऐसी वस्तुएं ह जो कि बहुत आवश्यक हैं इसलिये "लोहा तथा इस्पात" लिख देने ही से काम नहीं चल सकता है ।

अब मैं अनुसूची में दिये गये मद संख्या १६ को लेता हूं जिस में "एन्टीबायोटिक तथा सल्फा औषधियों" को भी शामिल कर लिया गया है । मेरे विचार में एसा किया जाना शरारत से खाली नहीं प्रतीत होता । जब सरकार यहां औषधियों को व्यापार के दृष्टिकोण से देखती है तो मेरे विचार में केवल उपरोक्त औषधियों को ही अनुसूची में क्यों सम्मिलित किया गया है । यह तो वे औषधियां हैं जो सब से कीमती समझी जाती हैं । इनका प्रयोग तो केवल अमीर ही कर सकते हैं । फिर इनको बिक्री कर से क्यों मुक्त किया जाये जब कि खांसी, जुकाम के लिये साधारण औषधि तैयार कराने पर भी गरीब को बिक्री कर देना होता है । मेरा निवेदन है कि समस्त प्रकार की औषधियों को, चाहे वे यूनानी, आयुर्वेदिक या होम्यो-पैथिक प्रणालियों में क्यों न प्रयोग की जाती हों, करमुक्त कर देना चाहिये क्योंकि वे जनता के जीवन के लिये आवश्यक है । अधिकतर लोग तो बेचारे एलोपैथिक औषधियां देख भी नहीं पाते । उन्हें तो यूनानी या आयुर्वेदिक औषधियों से ही संतोष कर लेना पड़ता है । इसीलिये जब आप कीमती औषधियों को करमुक्त कर रहे हैं तो अन्य सभी ऐसी औषधियों को कर-मुक्त क्यों नहीं कर देते जिनका प्रयोग गरीब लोग करते हैं ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा । वह यह है कि यदि हम किसी वस्तु को इस विधेयक के अन्तर्गत आवश्यक घोषित कर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठायें । नारियल के तेल को ही ले लीजिये । यह बात तो सर्वविदित है कि नारियल का तेल आम जनता द्वारा प्रयोग में लाया जाता है । किन्तु एक दूसरा वर्ग भी है जो इसका प्रयोग साबुन बनाने में करता है जैसे लिवर ब्रदर्स, टाटा, गोदरेज, इत्यादि । यह लोग थोक में खरीदते हैं । यदि आप इस पर कर नहीं लगाते हैं तो यह पूंजीपति भी इसका लाभ उठायेंगे । किन्तु इन्हें यह लाभ क्यों उठाने दिया जाये ? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें उस तेल पर कर नहीं लगाना चाहिये जिस को गरीब प्रयोग में लाते हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि साबुन बनाने वाले इन बड़े बड़े उद्योग-पतियों को भी करमुक्त कर दिया जाये । अत: मेरा निवेदन है कि ऐसे पूंजीपतियों को ऐसा अवसर न दिया जाये । नहीं तो वे इसका नाजायज फायदा उठायेंगे ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्री वी० पी० नायर तथा श्री पी० टी० पुन्नूस द्वारा अनुसूची के सम्बन्ध में रखे गये इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं कि "after 'coconuts' insert including coconut husks, coir fibre, coir yarn and coir products" (नारियल के पश्चात नारियल की छाल, नारियल की जटा, रेशे तथा बटी हुई जटा भी सम्मिलित कर ली जाये) जिस राज्य से मैं आता हूं अर्थात त्रावनकोर-कोचीन वहां नारियल की जटाओं से वस्तुएं बनाने का उद्योग घरेलू उद्योग समझा जाता है। लगभग ९० प्रतिशत लोग अपनी जीविका इसी से वस्तुएं बनाकर पालते हैं। यदि इन नारियल की जटाओं इत्यादि पर भी बिक्री कर लगाया गया तो बेचारे वहां के गरीबों की हालत बहुत बुरी हो जायेगी जब आपने पटसन से बनी वस्तुओं को शामिल कर लिया है तो जटाओं से बनी वस्तुओं को शामिल करने में क्या आपत्ति है।

श्री अच्युतन (क्रेंगन्नूर) : मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनका सम्बन्ध अधिकतर किसी वस्तु के अनुसूची में शामिल करने से नहीं है बल्कि कुछ वस्तुओं को उसमें से निकाल देने से है। मेरे विचार में आवश्यक वस्तुओं की अनुसूची को बढ़ाना स्थानीय विधान मण्डलों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। क्योंकि वे लोग सब समझते हैं कि कौन सी वस्तु साधारण जनता के लिये आवश्यक हैं अथवा कौन सी नहीं। यदि किसी राज्य में एक वस्तु अधिकता से उत्पन्न होती हो तथा दूसरा राज्य उसका उपभोग करता हो तो ऐसी वस्तु का आवश्यक घोषित करना ठीक भी है, क्योंकि यदि उत्पादन करने वाला राज्य बिक्री कर लगा देता है तो हो सकता है उसका परिणाम यह निकले कि उपभोग करने वाले राज्य में उस वस्तु का दाम बढ़ जाये। इस लिये ऐसे मामले में तो किसी वस्तु का आवश्यक घोषित किया जाना ठीक है। किन्तु बहुत अधिक वस्तुओं को शामिल करना ठीक नहीं है।

मद १० में खालों और चमड़े को रखा गया है। मेरे बिचार में इसका शामिल किया जाना ठीक नहीं है। प्रत्येक राज्य खाल और चमड़ा पैदा करता है। हो सकता है साधारण आदमी को ऐसी वस्तु का प्रयोग प्रतिदिन न करना पडे। यदि हम ऐसी वस्तुओं को आवश्यक घोषित कर देंगे तो राज्य सरकारें इन पर बिक्री कर न लगा सकेंगी और उनका राजस्व कम हो जायेगा। परिणाम यह होगा कि केन्द्र को उन्हें अधिक आर्थिक सहायता देनी होगी।

मद १३ में पेट्रोल, पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं तथा मोटर स्प्रिट को शामिल किया गया है। मेरे विचार में यह वस्तुएं ऐसी नहीं है जो कि जनता के लिये परम आवश्यक हों। साधारण आदमी तो बस में कभी कभी चढ़ता है। यदि आप इनको करमुक्त कर देते हैं तो अमीरों का ही लाभ होगा। क्योंकि वे ही इनका अधिक प्रयोग करते हैं। मेरे विचार में तो यही एक वस्तु है जिस पर राज्य सरकारों को अधिक से अधिक कर लगाने दिया जाये। खाद्य, कपड़ा इत्यादि जैसी तो यह आवश्यक वस्तु है नहीं फिर इसको क्यों शामिल किया गया है।

नारियल जटा उद्योग के सम्बन्ध में तो श्री वैलायुधन ही काफी कह चुके हैं। हस्तकरघा तथा नारियल जटा उद्योग ही दो ऐसे उद्योग हैं जिनसें त्रावनकोर-कोचीन की जनता अपना पेट पालती है। हमारे राज्य में आबादी प्रति वर्ग मील १,८०० है तथा वहां पर साक्षरता भी सब से अधिक

है। यदि आप इन उद्योगों में प्रयोग की जान वाली वस्तुओं पर बिक्री कर लगाते हैं तो उनके लिये अपना जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इन व्यक्तियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखेगी तथा उन की हर प्रकार से सहायता करेगी।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी—दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं ने दो दिन पूर्व आनरेबुल मिनिस्टर श्री त्यागी से प्रार्थना की थी कि वह इस बात पर विचार करें कि हमारे भारतवर्ष में जहां इतनी बीमारियां फैल रही हैं और जहां हमारी गवर्नमेंट का क़रीब ६० या ६५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमारी केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों द्वारा ख़र्च होता है, तो भी हम केवल १५ प्रतिशत रोगियों को औषधि सरकार के द्वारा दे पाते हैं और बाक़ी की ८५ प्रतिशत आबादी जो इस देश की रोगी होती है उस का आयुर्वेदिक यूनानी, होम्योपैथी, बाईकेमी तथा अन्य पद्धतियों से गुज़ारा होता है। इसीलिये मैं ने यह निवेदन किया था कि जब कि हिन्दुस्तान में एक ओर यह प्रयत्न चल रहा है कि रोगियों की संख्या कम की जाय और रोगियों को औषधियां और अधिक मिलें, तो कम से कम आप इस विधेयक में वह शब्द जो कि हमारे डाक्टर एम० एम० दास ने पेश किये हैं ड्रग्स और मेडीसन (भेषज तथा औषधियां) उन को तो इस में शामिल कर लें, या जैसा मेरे एक अन्य मित्र ने सुझाव रक्खा है कि उस विधेयक में सारी पद्धतियों जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी जो समस्त पद्धतियां हैं और उन के द्वारा जो औषधियां काम में आती हैं, उन को भी इस में रख लिया जाय। लेकिन हमारे आनरेबुल मिनिस्टर ने उस दिन कहा कि चूंक सिलेक्ट कमेटी से यह बिल आया है, इसलिये अकेले मैं इस बात की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता हूं कि मैं कुछ मंजूर कर लूं और यह उचित होगा कि अगर यह सारा मामला सदन के सामने पेश किया जाय। उस दिन चूंकि अमेंडमेंट्स (संशोधन) पेश नहीं हुए और यह आज के लिये उपस्थित किये गये मेरे मित्र इस बात को जानते हैं कि मैं सोमवार को मौन रहता हूं और उस दिन बोलता नहीं हूं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आनरेबुल मिनिस्टर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और सब से बड़ा दुख मुझे उस वक्त हुआ जब मैं ने यह देखा कि उन्होंने वह दो चीज़ें एन्टीबायोटिक्स और सल्फ़ा ड्रग्स उस में रख दीं और जिन के लिये मैं आनरेबुल मिनिस्टर से इस बात को कहता हूं कि अगर भारत वर्ष का इन दो चीज़ों के बारे में कोई रेफ़रेण्डम (जनमत) लिया जाय तो मैं समझता हूं कि शायद ३५ करोड़ आदमियों में से दस बीस हज़ार ऊंचे तबक़े के पढ़े लिखे लोग होंगे जो इन चीज़ों को समझते होंगे और उस के बाद मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग ४००-५०० रुपये से ऊपर वेतन पाते हैं, शायद वह लोग इन वस्तुओं का उपयोग करते होंगे। मैं आप से निवेदन करूं कि अभी एक महीन पहले मेरे घर में बीमारी हुई तो डाक्टर बुलाये गये और उन्हों ने कहा कि आप को ऐन्टीबायोटिक्स और सल्फ़ा ड्रग्स इन दो चीज़ों के लिये चार दिन के वास्ते ११५ रुपये ख़र्च करने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं कि जिस के घर में कोई बीमारी होती है और अगर किसी का प्रिय जन मर रहा हो, तो ऐसे समय ११५ तो क्या वह उस की जान बचाने के लिये १४० रुपये भी दे सकता है। उस अवसर पर वह डाक्टर ११५ तो क्या अगर सेल्स टैक्स (बक्री कर) लगा कर ११७ भी तलब करे तो भी उस को देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय,

[श्री धुलेकर]

इस बात से प्रत्येक व्यक्ति वाक़िफ़ होगा कि डाक्टरों के पास जब कोई सल्फ़ा ड्रग्स या ऐन्टीबायोटिक्स लेने के लिये जाता है तो उस को ऐरोमीसीन और स्ट्रेप्टोमासीन वग़ैरह के लिये, जिन के कि दाम प्राइस लिस्ट्स (मूल्य सूची) में पांच, सात या आठ रुपये लिखे होते हैं, ३४, ३५ रुपये देने पड़ते हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आख़िर क्या कारण है कि जो इन दो वस्तुओं को इसेन्शिल (आवश्यक) माना गया और उन को सेल्स टैक्स से बचाने के लिये रक्खा जा रहा है। इस के अलावा मुझे एक बड़ा दुख है कि यहां पर एक बड़ी भारी कम्पनी है और उस कम्पनी ने जो कम्पनीज़ एक्ट (कम्पनी अधिनियम) द्वारा रजिस्टर्ड है उस ने हाउस आफ़ दी पीपुल (लोक सभा) के सारे मेम्बरों के पास एक निवेदन पत्र भेजा था और उस निवेदन पत्र को उन्होंने इस प्रकार रक्खा कि जिस से यह मालूम पड़े कि वह वास्तव में जनता की सेवा करना चाहती है।

मैं ने जब उस को पूरी तौर से पढ़ा तो मेरा ऐसा ख़याल हुआ कि उन्होंने हम लोग के दिमाग़ पर असर डालने के लिये इस में थोड़े शब्द आयुर्वेद के भी रख दिये, यूनानी के भी रख दिये और उस के साथ होमियोपैथी के भी रख दिये, और उस में हमारे समस्त सदस्यों से निवेदन किया कि जहां तक हो सके उन्हें यह कोशिश करनी चाहिये कि यह मेडिसिनल ड्रग्स (औषधियां) पूरी तौर से सेल्स टैक्स विधेयक में रख दी जायें। यदि यह हो जाय तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर न हो सके तो हम नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि कम से कम यह सात ड्रग्स तो उस में शामिल ही कर दी जायें, और उस में पहले ऐन्टीबायोटिक्स और दूसरे नम्बर पर सल्फ़ा ड्रग्स और उसके बाद पांच चीजें और थीं। उस समय मैं ने इस पर बहुत ग़ौर नहीं किया था। मैं ने समझा था कि कोई अच्छी संस्था होगी और वह हम से कहती है कि एसेन्शल ड्रग्स (आवश्यक औषधियां) को रक्खा जाय जिस में से उन्हों ने पांच सात चीज़ें रख दी हैं तो हो सकता है कि यह सद्भावना के साथ रक्खा हो, लेकिन, श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं ने उस को और गहराई से देखा तो यह फ़ेडरेशन (संघ) जिस का नाम आल इंडिया केमिस्ट्स ऐंड ड्रगिस्ट्स फ़ेडरेशन (अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संघ) है, कोई ऐसी संस्था नहीं निकली जो अखिल भारतीय सम्मान के योग्य हो, वह संस्था तो एक व्यापारी संस्था है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

और मुझे यह भी मालूम हुआ कि वह एक लिमिटेड कम्पनी है और उस में चन्द लोगों ने अपना सामान रख छोड़ा है और जो विदेशी कम्पनियों की औषधियां हिन्दुस्तान में पाई जाती हैं, मुझे सब का नाम तो नहीं पता है क्योंकि मैं अंगरेज़ी औषधियों को बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, किसी ने बताया कि मे एण्ड बेकर के यहां तैयार हुई हैं, किसी ने बतलाया कि बेअर कम्पनी में तैयार होती हैं, और इसी तरह से अनेक विलायती कम्पनियों के नाम लिये। बाद में मुझे पता लगा कि यह आल इंडिया केमिस्ट्स ऐंड ड्रगिस्ट्स फ़ेडरेशन भारत में उन कम्पनियों के एजेन्ट्स हैं जो लाखों रुपयों की औषधियां वहां से मंगा कर हिन्दुस्तान में वितरित करते हैं। मुझे बड़ा दुःख हुआ करता था कि हमारे यहां जब प्रादेशिक सरकारों में ऐसी बातें उपस्थित होती थीं तो हमारे कांग्रेस मेम्बरों पर यह लांछन लगाया जाता था कि हम लोग दबाव

में आ कर वितरण के बहुत से क़ायदे और कानून बना दिया करते हैं। मुझे बड़ा दुख मालूम होता है कि हमारे हाउस आफ़ दी पीपुल ने जिस ऊंचाई से काम करना चाहिये था उस ऊंचाई से काम न करके देश के मनुष्यों की यह अपील तो न देखी कि जो साधारण औषधियों को, जो भारतवर्ष में, पंसारियों की दुकानों में बिकती हैं, छोटे छोटे दुकानदार ले कर बैठते हैं, जिन के जरिये से लाखों मनुष्यों को औषधियां मिलती हैं, उन औषधियों का नाम तो इस में नहीं रक्खा गया, परन्तु उन औषधियों के नाम रख दिये जो कि दूसरे मुल्कों के व्यापारी हमारे मुल्क में आ कर इस प्रकार की कम्पनियों के द्वारा वितरित करते हैं और उन में से दो को उन्होंने यहां पर सिलेक्ट कमेटी के द्वारा रखवा लिया।

श्री त्यागी : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रवर समिति के विरुद्ध यह आक्षेप किये जाने पर विरोध प्रकट करता हूं कि किसी व्यापारी संस्था नें उस पर दबाव डाल कर अपनी दो औषधियों को शामिल करा लिया। मैं नहीं समझता कि प्रवर समिति कोई इतना नीच काम कर सकती है जिस के बारे में माननीय सदस्य को कहीं और का तजुर्बा है। मुझे इस सदन का कहीं अधिक तजुर्बा है।

श्री धुलेकर : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब, जो मेरे दिल के दर्द की अपील है, ३५ करोड़ मनुष्यों की तरफ़ से जो मैं उनके सामने पेश कर रहा हूं कि उन ३५ करोड़ आदमियों को जिन को आप औषधि नहीं देते हैं उनकी औषधि को आप इस सेल्स टैक्स के बिल में रखने को तैयार नहीं हैं किंतु आप ऐन्टीबायोटिक्स और सल्फा ड्रग्स को रखने के लिये तैयार हैं, सुनना पसन्द नहीं करते। जब मैं उनसे निवेदन करता हूं कि श्रीमान् जी, यह विलायती कम्पनियों के एजेण्ट् इन तमाम चीज़ों को आप के इस विधेयक में रखवा रहे हैं तो हमारे आनरेबुल मंत्री इस बात को कहते हैं कि मुझे दूसरी जगह का तजुर्बा है और मुझे इस पार्लियामेंट का तजुर्बा नहीं है। मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस पार्लियामेंट का पूरी तौर से तजुर्बा है क्योंकि मैं कान्स्टीट्यूएण्ट ऐसेम्बली (संविधान सभा) का भी मेम्बर था। पहले दिन से और पहले दिन से जब से कि पूरा विधान बना है उस के बनने के संबंध में मैं हर एक शब्द को जानता हूं। और मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लिये मैं ने क्या किया। मैं पहले दिन ही उसे कान्स्टीटुएण्ट ऐसेम्बली में हिंदी में हिंदी के लिये बोला था जिस वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू मेरे ऊपर दौड़ पड़े थे और प्रेजिडेन्ट महोदय ने मुझ को "आर्डर", "आर्डर" कह कर छः दफ़ा बैठ जाने के लिये कहा था। मैं जानता हूं कि मुझे देश के लिये क्या करना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह बतला दूं कि माननीय मंत्री ने उन पर कोई आक्षेप नहीं किया था। यदि उन्होंने कोई आक्षेप किया होता तो मैं उन शब्दों को कार्यवाही में से निकलवा देता।

श्री धुलेकर : श्रीमान् जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर इस बात को जान लें कि जो चीज़ भारतवर्ष के लिये ठीक होगी उस के लिये मुझे पार्लियामेंट की मेम्बरी और आनरेबुल मिनिस्टर के ऐसपर्शन्स (आक्षेपों) की और गालियों की कोई परवाह नहीं है। मेरे मित्र मुझको ऐसपर्शन्स से बचाने के लिये कोशिश करें लेकिन मैं यह कोशिश करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि जितना ही वह मेरे ऊपर ऐसपर्शन्स करेंगे उतना ही मेरा स्तर ऊंचा जायगा क्योंकि मैं समझूंगा कि मैं भारत-

[श्री धुलेकर]

वर्ष के इस हाउस आफ पीपल में ग़रीबों की आवाज़ को उठा रहा हूं। उन सलफ़ा ड्रग्स और एण्टी बायोटिक्स के खिलाफ़ कि जिनको आप ने इसेंशियल गुड्स में रखा है। मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से सुन लें, कि अगर मनुष्य के लिये कोई तीन वस्तुएं अत्यन्त आवश्यक हैं तो वह हैं, अन्न, वस्त्र और औषधियां। यह तीन वस्तुएं इसेंशियल हैं।

एक माननीय सदस्य: मकान।

श्री धुलेकर: इसकी ज़रूरत पीछे होती है। बिना अन्न के मनुष्य सात आठ दस दिन रह सकता है, बिना वस्त्र के भी मनुष्य रह सकता है, लेकिन मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि औषधि एक ऐसी वस्तु है जिस की इस आत्मा को गर्भ में आने के पांचवें महीने से ही आवश्यकता हो जाती है। तो मैं आप को यह बताना चाहता हूं। आप यह समझते हैं कि अन्न, वस्त्र और औषधि तीसरी वस्तु है लेकिन मैं कहता हूं कि जब से मनुष्य गर्भ में आता है उस समय से उसे औषधि की आवश्यकता प्रारम्भ हो जाती है। लेकिन हमारे आनरेबुल मिनिस्टर औषधि को इसेंशियल गुड्स नहीं मानते और आनरेबुल मिनिस्टर ने मुझ से कहा कि आप को इस प्रकार की आदत है। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि यदि आनरेबुल मिनिस्टर ने किसी स्थान के ऊपर काफ़ी विद्या पढ़ी होती तो यह ज़रूर इस बात को जानते कि औषधि बहुत भारी आवश्यक चीज़ है। मैं जो कह रहा था उस में मैं समझता हूं कि मैं ने सिलेक्ट कमेटी के ऊपर कोई ऐसपर्शन नहीं डाला। मेरा सिलेक्ट कमेटी से कोई झगड़ा नहीं है। आनरेबुल मिनिस्टर से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन क्या अध्यक्ष महोदय, मैं ने जो बात कही थी उस को मैं समझाऊं। जो बात मैंने कही थी आनरेबुल मिनिस्टर ने उसके ग़लत माने लगाये हैं। मैं ने यह निवेदन किया था कि प्रादेशिक विधान सभाओं में यदि कोई इस किस्म के बिल पेश होते हैं जो कि ब्लैक मारकैटर्स के खिलाफ़ हों या और किसी ऐसे काम के खिलाफ़ हों जिससे जनता को नुक़सान होता हो, और उन में से दस में से नौ पास हो जायं पर एक न पास हो सके, तो उस के लिये हमारे अपोज़िट पार्टी (विरोधी दल) वाले, जो कि रात दिन आंखें खोले रहते हैं. यह कहते हैं कि कांग्रेस का आदमी दब गया और उसने यह विधेयक पास नहीं किया। वह उन नौ दूसरे विधेयकों के विषय में कुछ नहीं कहेंगे जो कि पास हो गये हैं। वह केवल उस एक विधेयक के विषय में कुछ नहीं कहेंगे जो कि पास हो गये हैं। वह केवल उस एक विधेयक के विषय में यह कहेंगे जो कि पास नहीं हुआ है। तो मैं ने यही बात बतलाई थी कि हम को यहां पर बहुत सावधान रहना चाहिये। प्रादेशिक सभाओं में तो ऐसी बदनामी होती है, लेकिन इस हाउस आफ पीपुल के लिये यह बात न कही जा सके कि आल इंडिया कैमिस्ट्स ऐंड ड्रगिस्ट फ़ेडरेशन वालों ने परचे बांटे इस वजह से यह चीज़ें इसेंशियल गुड्स में रख दी गई हैं। अगर यह दवायें इस में रख दी जाती हैं तो अखबार वाले और प्लेटफार्म पर बोलने वाले हम को कहेंगे कि तुम आयुर्वेद के बड़े पुरस्कर्त्ता हो, तुम ने हाउस आफ पीपुल में आयुर्वेद के लिये क्या किया। दूसरे लोगों ने तो सलफ़ा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स यह दो शब्द रखवा दिये लेकिन तुम वहां पर क्या करने गये थे कि हमारे यहां के लाखों करोड़ों इंसान जिन औषधियों को काम में लाते हैं उन को उस में न रखवा सके। अब हमारे धनिया पर टैक्स लगेगा, चिरायता के ऊपर टैक्स लगेगा और जो हमारी मामूली चीज़ें हैं,

जैसे नीम का काढ़ा और दूसरी कास्टमदिक पर टैक्स लगेगा क्योंकि उनको इसेंशियल नहीं समझा जाता । लेकिन सल्फा ड्रग्स को और एंटी बायोटिक्स को इसेंशियल समझा गया है । मैं अंग्रेज़ी पढ़ा हूं लेकिन मैं इतनी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा हूं कि मैं यह समझूं कि अगर यह सल्फ़ा और एंटी बायोटिक्स ड्रग्स नहीं मिलेंगी तो हिंदुस्तान की ३५ करोड़ की आबादी ३४ करोड़ रह जायेगी । यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । आज जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियां हमारे करोड़ों आदमियों को मिल रही हैं अगर वे हिंदुस्तान में न रहे तो मैं समझता हूं कि ३५ करोड़ से यहां की आबादी १५ करोड़ रह जायेगी । मेरा आनरेबुल मिनिस्टर साहब से और सब सदस्यों से, जो कि यहां मौजूद हैं, यह करबद्ध निवेदन है और मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार का लांछन आप इस हाउस आफ़ पीपुल पर न लगने दें कि कुछ लोगों के दबाव में आकर उन्होंने दो शब्द रख दिये और हमारी औषधियों को नहीं रखा । मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करता । तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि मेरे मित्र एम०एम० दास ने मैडीसिन्स एण्ड ड्रग्स रखा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लैजिस्लेटिव असेम्बलीज़ का तजरबा रखता हूं और मुझे प्रैक्टिस का तजरबा भी है । दूसरे मुल्कों की भी मैं ने तमाम बातें पढ़ी हैं । आनरेबुल मिनिस्टर को यह ख्याल करना चाहिये कि जो कुछ उनकी क़लम से निकल गया वह निकल गया अब कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ कर दिया गया वह अब नहीं बदल सकता मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसा विचार नहीं होना चाहिये । इस में उनकी कोई हार नहीं है । मैं अर्ज करना चाहता हूं इसमें तो आनरेबुल मिनिस्टर की बुजुर्दी है अगर वह हम लोगों की अपील को सुन लें और जैसा हमारे मित्र एम० एम० दास ने रखा है, मैडिसिन्स एण्ड ड्रग्स, इस के आगे कोई क्वालीफाइंग (विशेषक) शब्द रख दें । कोई वजह नहीं है कि मिनिस्टर महोदय इन शब्दों को न जोड़ें जब कि इन के जोड़ने से हमारे देश के बहुत से लोगों को राहत मिल सकती है । कोई वजह नहीं है कि हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब इस बात पर अड़ जायें कि जो हो गया सो हो गया । हम तो न आयुर्वेद वालों की मानेंगे, न यूनानी वालों की मानेंगे और न होमियोपैथी वालों की मानेंगे । हम उस होमियोपैथी वाले से जो कि एक आने में दवा देता है अपना सेल्स टैक्स वसूल कर लेंगे लेकिन उन एंटी बायोटिक्स और सल्फ़ा ड्रग्स वालों से जो दो सौ रुपये लेते हैं कुछ नहीं लेंगे । अब हो गया सो हो गया । मैं, अध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता से तमाम मेम्बरों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से इन दो खास दवाओं के नाम, एंटी बायोटिक्स और सल्फ़ा ड्रग्स, इस में रख देना ठीक नहीं है । अगर मैं कहूं कि आप हेमगर्भ, चन्द्रोदय, लवण भास्कर आदि के नाम रख दीजिए तो आप न रखें । लेकिन मैं समझता हूं कि इन दो शब्दों के रखने से जो कि दो औषधियों के नाम हैं, माननीय मिनिस्टर साहब बुरा न मानें, हम इस हाउस आफ़ पीपुल की प्रतिष्ठा को नीचे लाते हैं । हम एक दो औषधियों के नाम जो कि बाज़ार में बिकती हैं इस में नहीं रख सकते । हम दवाओं की क्लास (वर्ग) को इस में रख सकते हैं पर किसी दवा को नाम से नहीं रख सकते हैं । अगर हम इस में कुछ उन दवाओं को रखते हैं जो कि विलायती कारखानों से आती हैं तो इस से हमारी प्रतिष्ठा कम होती है । यह हमारी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होगा कि हम कुछ पेटेंट मेडीसिन्स का नाम इस में रख दें । हमारे आनरेबुल मिनिस्टर या कोई और मित्र यह कह सकते हैं कि सल्फ़ा ड्रग्स का मतलब उन दवाओं से है जिन में सल्फ़र

[श्री धुलेकर]

(गन्धक) मिला हो। मैं एक बिल्कुल सीधी बात पूछना चाहता हूं। हमारे माननीय मिनिस्टर साहब अपने एडवाइज़र्स (परामर्श-दाता) से पूछ लें और हम को बतलावें कि क्या वह हेमगर्भ को भी इन ड्रग्स में शामिल कर लेंगे क्योंकि उस में सल्फ़र होता है। मैं कहता हूं कि उन के ऐडवाइज़र इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आयुर्वेद की अनेक भस्में और रस जिन में गन्धक और पारद का उपयोग होता है वह इन को सल्फ़ा ड्रग्स में नहीं मानते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की कोई औषधि नहीं है, बल्कि खास कम्पनियों द्वारा बनाई हुई और खास मनुष्यों को लाभ पहुंचाने के लिये ही है और जनता का इन चीज़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है, अमीरों के लिये चाहे हो। मैं क्षमा चाहता हूं यदि मैं ने कोई ऐसी बात कही हो, लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक मिशन (उद्देश्य) लिए हुए हूं, इस बात का कि भारत वर्ष में रोगियों को औषधि मिले। मैं ने आनरेबुल हैल्थ मिनिस्टर से निवेदन किया था कि अगर आप यह समझती हैं कि मैं रोज़ान आयुर्वेद कहता हूं तो उस का कारण यह है कि उस में मेरा कोई खास फ़ायदा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ने उन से कहा कि यदि आप भारतवर्ष के नौ लाख गांव में एम० बी० बी० ऐस० डाक्टर भेज दें, यदि वहां पर लेडी डाक्टर भेज दें, कम्पाउंडर भेज दें, नर्सें भेज दें, तो मैं आयुर्वेद का नाम भी नहीं लूंगा, कभी हाउस आफ़ दी पीपुल में नाम नहीं लूंगा लेकिन जब मैं इस बात को जानता हूं कि ६५–७० करोड़ रुपये जो कि आप खर्च कर रही हैं और आप की पूरी आमदनी जो कि ४०० करोड़ हिन्दुस्तान भर की है, यदि वह भी भोर कमेटी के अनुसार आप उतनी सालाना आमदनी को खर्च करें तब भी आप पूरें हिन्दूस्तान तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए मैं आयुर्वे की बात कहता हूं। हमारे भारतवर्ष ८५ फी सदी आदमी ऐसे हैं जिन को एलो पैथी द्वारा, सरकार द्वारा, कोई औषधि नहं मिलती है और इसलिये उन का अधिका इस बात का है कि आप के सामने हाथ फैलावें कि यदि आप उन को औषधि नहीं सकते हैं तो उन को आयुर्वेदिक, यूनानी य होमियोपैथी ही लेने दीजिये कि जिस से हम ज़िन्दा रहें। ऐसा तो न कीजिये कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथी को आप पैसे की सहायता न दें तो मान्यता भी न दें। आप उन को चलने देने की तो कोशिश कीजिये।

अब मैं आप से निवेदन करूंगा कि परसों एक आर्डर (आदेश) होम अफ़ेयर्स की मिनिस्ट्री (गृह कार्य मंत्रालय) की तरफ़ से राजस्थान गवर्नमेंट को भेजा गया कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वे यदि आयुर्वेदिक या यूनानी या होमियोपैथिक डाक्टरों से औषधि लेते हों और दवा कराते हों तो वह लोग सर्टिफ़िकेट (प्रमाणपत्र) इस बात का नहीं दे सकते हैं कि यह मनुष्य रोगी हैं और इस को सात दिनों की छुट्टी मिलनी चाहिये। और न ही वे यह सर्टिफ़िकेट दे सकते हैं कि जब वह रोगी अच्छा हो जाय तो यह कहें कि यह आदमी चंगा हो गया है और नौकरी पर वापस आ सकता है: मुझे अफ़सोस है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ़ से इस तरह की चिट्ठी जाती है। मैं उस चिट्ठी का नम्बर दे सकता हूं, उस की नकल दे सकता हूं। मुझे अफ़सोस है कि यहां से बैठ कर भारतवर्ष में के ऊपर इस हैल्थ डिपार्टमेंट द्वारा और दूसरे विभागों द्वारा किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। और अब यह सब से बड़ा अन्याय हम इस विधेयक द्वारा कर रहे हैं। हम क्या मुंह उत्तर प्रदेश में दिखायेंगे? जब हम मद्रास में जावेंगे तो वह क्या कहैंगे

कि श्रीमान् जी, आप तो बीस वर्ष से आयुर्वेद का झंडा लिये हुए हैं और उस को आप बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान में हर एक को उस के द्वारा औषधि मिलेगी। लेकिन अब तो यह इस विधेयक में इस शिड्यूल (अनुसूची) में आ गया है, मे एण्ड बेकर, और हौजसन और हौप्सन, उन्हीं की औषधियों पर सेल्स टैक्स नहीं होगा और बाकी जो हम गरीबों की औषधियां बनी हुई हैं, जो नीम खड़ा हुआ है उस पर भी अब टैक्स हो जायगा, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों के जुबान नहीं है, वे बेजुबान हैं उन के लिये कौन कहेगा? लेकिन मैं आप से निवेदन करता हूं कि जब तक पांच वर्ष तक धुलेकर रहेगा तब तक बराबर रोज़ाना वह इस के लिये कहता रहेगा और इस से पीछे नहीं हटेगा। मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई पद्धति जो भारतवर्ष के लोगों के लिये लाभकारी हो सकेगी और होगी तो वह आयुर्वेद ही है और इस में मैं यूनानी, होमियोपैथी और एलोपथी को भी शामिल करता हूं। ऐलोपैथी कोई अलग सायन्स नहीं है। "पैथी" शब्द अंग्रेजी है, वह "पद्धति" से निकला है और एलो पद्धति इस लिये कहलाई है क्योंकि अरब से यह वहां गई। इसलिये वह एलोपैथी हो गई। हमारी तो आयुर्वेद की सायन्स "आयु का वेद" है। इसलिये हमारे आयुर्वेद का यूनानी पद्धति से कोई झगड़ा नहीं है, होमियोपैथी से कोई झगड़ा नहीं है, बायोकैमी से कोई झगड़ा नहीं है। अभी मेरा यह कहना है कि जो मनुष्य भारतवर्ष में पैदा हुआ है उस को अधिकार है कि सरकारी टैक्स जो लगता है उस के द्वारा अगर किसी से उस को दवा मिलती है तो वह उस को दवा मिलनी चाहिये। सैप्टोमाइसीन तो अमीर आदमियों को, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के अफ़सरों को ही, आप दे सकते हैं। पचास रुपये की दवा को खरीद कर कोई गरीब आदमी जीवित रह सके यह तो सम्भव नहीं है। यह तो जो बड़े आदमी हैं उन्हीं के लिये ५० रुपये की दवा काम में आ सकती है। आप की जो यह सैप्टोमाइसीन दवा है इस के अन्दर क्या भेद है? शायद हमारे आनरेबुल मिनिस्टर भी इस बात को नहीं जानते होंगे। वह इस को नोट कर लें जो कि मैं यह कह रहा हूं। मैं आप को बतलाऊं कि यह किस की जेब से रुपया जायेगा। यह किसी क्लर्क की जेब से या किसी खास आदमी की जेब से नहीं जाता है बल्कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से ही जाता है। मुझे एक मित्र मिले। वह कहने लगे कि तीन दिन मेरे घर में बीमारी हुई। उन तीन दिनों में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की तरफ़ से डाक्टर आये। अब आप यह सुन लें कि कितना रुपया गवर्नमेंट का लिया जाता है। मेरे मित्र ने कहा कि तीन दिन वह मेरे यहां आये और मामूली सी बामारी थी, उस के लिये उन्होंने उस से कहा कि आप मुझ को २५ रुपये दीजिये। वह मित्र कहने लगे कि मैं तो १५० रुपये तनख्वाह पाता हूं, श्रीमान् जी, आप को २५ रुपये कहां से दे दूं? तो डाक्टर महाशय ने कहा, अजी आप क्या बात करते हैं? आप तो मुझ को २५ रुपये दे दीजिये। दवा एक डेढ़ रुपये की हुई होगी, पर मैं चार पांच मर्तबा आया और उस सब के लिये २५ रुपये दे दीजिये। २५ रुपये की रसीद आप मुझ से ले लीजिये और आप इस को गवर्नमेंट आफ़ इंडिया में पेश कर दें। आप को यह रीइम्बर्स (वापस) हो जायगा। यह टैक्निकल वर्ड (पारिभाषिक शब्द) हैं, "रीइम्बर्स" हो जायगा। यानी जो २५ रुपये की रसीद देते हैं, औषधि की ओर अपनी अटेंडेंस (आने) की, वह २५ रुपये उस एक क्लर्क से, बाबू से, ले लेते हैं, और उस को रसीद दे देते हैं, फिर वह आप के डिपार्टमेंट में पेश कर देता है और वह २५ रुपये गवर्नमेंट आफ इंडिया में से ले लेता है।

श्री त्यागी : मैं आनरेबुल मेम्बर का बड़ा मशकूर होऊंगा यदि उस डाक्टर का या उस दूसरे शख्स का नाम मुझ को बता दें। मैं उन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि फ़ौरन ही उन के खिलाफ़ एक्शन (कार्यवाही) लिया जायेगा।

श्री धुलेकर : जी हां, आप को नाम न बतला दूं ? एक नाम हो तो आप को बतला दूं। लेकिन उस परमात्मा का नाम क्या बतलाया जाय कि जिस के अनेक नाम हों।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। आप काफ़ी समय ले चुके हैं। अब समाप्त कीजिये।

श्री त्यागी : मैं यह अर्ज़ करूंगा कि अगर किसी सरकारी अफ़सर के खिलाफ़ कोई ऐसी बात किसी आनरेबुल मेम्बर को मिली है तो मैं समझता हूं कि इलैक्टोरेट (निर्वाचकों) का नुमाइन्दा होने के नाते उस का फ़र्ज़ है कि जब गवर्नमेंट खास तौर से उन से रिक्वैस्ट (निवेदन) करे कि वह उस का पता दें तो वह उस का पता देना कबूल करेंगे।

सभापति महोदय : यह बात विधेयक के क्षेत्र से परे है।

श्री धुलेकर : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि आनरेबुल मिनिस्टर ने मुझे कुछ गलत समझा। मैं ने किसी की शिकायत थोड़े ही की है। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का क़ायदा है कि जो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के सर्वेण्टस (कर्मचारी) हैं वह जितना पेमेंट करेंगे उन को वह रीइम्बर्स हो जायगा। जब सैंकड़ों डाक्टर हर एरिया (क्षेत्र) में जाते हैं और वह इलाज करते हैं तो वह हर एक क्लर्क, हर एक बाबू से जितना रुपया चार्ज करते हैं तो वह रीइम्बर्स हो जाता है। तो वह यह सरकारी रुपया गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से जाता है। इस में समझने की कौन सी बात है ? जब एक क्लर्क से २५ रुपये लिये जाते हैं और रसीद दी जाती है और उस को गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से रीइम्बर्स हो जाता है।

श्री त्यागी : लेकिन झूठा बिल जिस ने बनाया उस की इतिलाह आप को देनी चाहिये।

श्री धुलेकर : मैं बड़े अफ़सोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस में झूठ और सच का क्या मामला है।

सभापति महोदय : आप आगे कहिये।

श्री धुलेकर : तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि अध्यक्ष महोदय, शायद आप यह समझते हों कि जो बात मैं ने कही वह इर-रैलेवेंट (असंगत) कह रहा हूं। मैं इररैलेवेंट नहीं कह रहा हूं। मैं अर्ज करता हूं कि यह रैलेवेंट है।

सभापति महोदय : हां, आप आगे तो बढ़िये।

श्री धुलेकर : इस वास्ते में अर्ज कर रहा था कि यदि इन दो चीजों को आप यहां रख देते हैं तो इस का भार गवर्नमेंट आफ़ इंडिया पर भी पड़ता है और अगर इन के ऊपर सेल्स टैक्स दिया जायेगा तो यह भी गवर्नमेंट आफ़ इंडिया द्वारा ही दिया जायेगा। यह बात जरा इस के अन्दर जा कर समझिये कि जब ऐंटी बायोटिक्स और सल्फ़ा ड्रग्स, दो चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स कम हो गया तो एक तो यह कि आमदनी कम हो गयी, दूसरे शिडयूल में रखी गयी इसलिये इन की पापुलैरिटी (लोकप्रियता) बढ़ गयी। डाक्टर जब इस को प्रैस्क्राइब करेंगे तो उस का दाम लगेगा। और फिर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से वह रीइम्बर्स हो जायेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि अब भी समय ज्यादा व्यतीत नहीं हो गया है। हम लाखों रुपया यहां खर्च कर रहे हैं, एक एक घंटे में। मैं निवेदन

करता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर इन दो शब्दों को यहां से हटा दें और चाहें तो कोई एक जनरल प्रिंसिपल (सामान्य सिद्धान्त) उस में रख दें, ऐसी मैडिसिन्स का जिस में किसी खास चीज का नाम न हो।

यदि आप समझते हैं कि देश में मलेरिया बहुत है, तो आप ऐन्टी मलेरिया की चीजें, ऐन्टी प्लेग, ऐन्टी कालरा, ऐन्टी लेप्रेसी और स्माल पाक्स (चेचक) आदि के सम्बन्ध में जो औषधियां हैं, उन को इस शेड्यूल में रख दें जिस से वह इसेन्शल समझी जायें, तो मैं समझता हूं कि इस से सब सहमत होंगे और हम इस को समझ सकेंगे। लेकिन इस तरह से केवल दो एक शब्द जैसे इस समय इस में रक्खे गये हैं, मैं उस को उचित नहीं समझता। और इसलिये मैं आप के द्वारा आनरेबुल मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम लोगों की कुछ सहायता कर दें, ताकि हमें भी यह तसल्ली हो जाय कि हम ने जो कुछ कहा उस पर आप ने ध्यान दिया और हमारी बात को सुना, लेकिन अगर आप कहें कि हम इस समय कुछ नहीं कर सकते, तो हम फिर आप से इस बारे में आगे कहेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : श्रीमान्, अध्यक्ष जी मैं लिस्ट नंबर ६ में दिये हुये अपने दोनों अमेंडमेंट्स २५ और २६ मूव करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १९ में, "vegetable" (तरकारी) के पश्चात "Banarsi Maghai green betels" (बनारसी मघई हरे पान) निविष्ट किया जाये।

(२) पृष्ट २, पंक्ति १८ में "drugs" (औषधि) के पश्चात "Ayurvedic and Unani medicines" (आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां) निविष्ट किया जाये।

मेरा २५ नंबर अमेंडमेंट श्री एस० सी० सामन्त से बहुत मिलता जुलता है। श्री सामन्त ने अपने अमेंडमेंट के सम्बन्ध में बोलते हुये बतलाया कि पान का व्यापार उन के ही प्रान्त में ज्यादा होता है और उन्हीं के प्रान्त से पान बाहर सब कहीं भेजा जाता है। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि काशी सम्पूर्ण भारवतवर्ष में पान के लिये प्रसिद्ध है, बिहार में भी पान होता है, और पान तो ऐसी लोकप्रिय चीज़ है कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर में क़रीब क़रीब हर आदमी पान खाता है और पान तो हिन्दुस्तान की एक कोटेज इंडस्ट्री है। पान की लोकप्रियता देखनी हो तो खासकर अगर हमारे बनारस नगर में आप चलें तो आप देखेंगे कि क़रीब २० हज़ार स्त्रियां ऐसी हैं जो विधवा हैं और जो पान के व्यापार में लगी हुई हैं और जिन का गुजारा इस पर निर्भर करता है। इस के अलावा अब जब हरे साग, फल, सूखे फल, नारियल, घी, मक्खन, मांस और अंडे जैसी वस्तुओं को जिन का अमीर लोग ही प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों को जब आप ने कर-मुक्त कर दिया है, तब पान ऐसी सस्ती और लोकप्रिय चीज़ जो दो आने में एक ढोली मिलती है यानी दो आने में २०० पान पड़ते हैं और जिस पान के फेरने में ज्यादातर औरतें लगी हुई हैं, चाहे, आप बंगाल में जांयें, यू० पी० में जांयें, अथवा मद्रास, राजस्थान या सी० पी० में जांयें, आप सब जगह पायेंगे कि पान फेरने का काम ज्यादातर औरतें करती हैं और जो पान फेरना जानते हैं वह दो वर्ष तक पान को रख सकते हैं और बनारस का पान जो पक कर चांदी के समान हो जाता है, वह तीन वर्ष का रखा हुआ पान होता है लेकिन

[श्री रघुनाथ सिंह]

उस एक पान का दाम एक रुपया होता है। और जैसा कि आप को पहले बतलाया इस पान फेरने के काम में हमारे देश में अधिकतर बेवा औरतें लगी हुई हैं। इस वास्ते हमारी हाउस से प्रार्थना है कि पान पर से टैक्स हटा देना चाहिये और चूंकि यह गरीबों का एक खाद्य पदार्थ है, इसलिये हमें इस को टैक्स फ़्री कर देना चाहिये।

दूसरा अमेंडमेंट नंबर २६ जो मैं ने मूव किया है उस में मैं ने यह मांग की है कि सल्फ़ा ड्रग्स और ऐन्टीबायोटिक्स के बाद आयुर्वेदिक और यूनानी मेडीसन्स को भी इंसर्ट किया जाय। हमारी काशी नगरी आयुर्वेद का केन्द्र है और मुझे श्री धुलेकर से यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई एक ऐसा सरकुर्लर जारी किया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी वैद्यों और हकीमों के सींटफ़िकेट्स मान्य नहीं होंगे। मैं पूछता हूं कि यह आज्ञा कहां तक उचित है जब कि हमारे आयुर्वेदिक कालिज से आज से नहीं सन् १९२६ से सैंकड़ों की तादाद से स्नातक शिक्षा पा कर बाहर निकल रहे हैं, वह अगर कोई सर्टिफ़िकेट दें तो वह सरकार द्वारा मान्य नहीं होगा, यह कितनी नामुनासिब बात होगी। मैं यह कहने पर बाध्य हूं कि अगर कोई इस तरह का सरकुलर है, तो वह बड़े अन्याय का द्योतक है और ऐसे सरकुलर का हम को पूर्णरूप से विरोध करना चाहिय, क्योंकि हमारे प्रान्त में आयुर्वेद का कालिज है जहां कि इस पद्धति में ट्रेनिंग दी जाती है और शायद अलीगढ़ में एक यूनानी कालिज है जहां यूनानी चिकित्सा की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इस प्रकार का कोई हम सरकुलर जारी करेंगे तो उस का अर्थ यह होगा कि हम उस पद्धति को जो कि हमारी भारतीय पद्धति है, उन को हम प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। आप को मालूम होना चाहिये कि आज भी देश में क़रीब ८५ सैंकड़ा बल्कि उस से भी ज्यादा तादाद हमारे देहातों में रहती है, और वह देहात जो कि रेलवे स्टेशन और शहर से दूर होते हैं, वहां पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं होता, ऐसी जगहों पर आप ही बतलायें कि सिवाय देशी चिकित्सा के वहां पर और किस पद्धति का आश्रय लिया जा सकता है, वहां पर आप की यह यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियां ही काम में आती हैं। यह बड़े खेद की बात है कि आप बाहर से आने वाली अंग्रेजी दवाइयों को तो प्रोत्साहन देते हैं, उन को तो आप कर से मुक्त करते हैं, लेकिन जो औषधियां आप के देश में पैदा होती हैं और जो देशी हैं और जिन को प्रोत्साहन देना आप का कर्तव्य है, उन को आप कर से मुक्त नहीं करते। इस का मतलब यह है कि आप भारतवर्ष की उस भावना और सेंटीमेंट को ठेस लगाते हैं जिस भावना के आधार पर हम ने हिन्दुस्तान की आजादी ली और जिस महात्मा गांधी के नाम का हम रोज स्मरण करते हैं और रोज़ उन के नाम पर इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वदेशी का ही व्यवहार करेंगे, असल में आप अपने वचन का पालन नहीं करते। अगर आप वाक़ई सचमुच स्वदेशी का व्यवहार करना चाहते हैं तो आप का पहला कर्तव्य यह है कि यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों को आप कर से मुक्त करें। आप विदेशी औषधियों को तो कर से मुक्त करने पर तैयार हैं लेकिन देशी औषधियों के बारे में जो आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो उस का साफ मतलब यह निकलता है कि आप के सामने आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। आप हमारे काशी म जो

आयुर्वेद का कालिज है वहां अथवा किसी वैद्य से आप पूछें, तो आप को यही मालूम पड़ेगा कि यह जो सल्फ़ा ड्रग्स है वह आयुर्वेद में कौन सा ऐसा रस है जिस में सल्फर नहीं है। आप मकरध्वज या स्वर्ण भस्म को ले लें उन दोनों में सल्फर विद्यमान है। आयुर्वेद में सल्फर का पर्याप्त प्रयोग है। मैं समझता हूं कि कम से कम आप को यह करना चाहिये कि उन आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों में जिन में कि सल्फर का प्रयोग होता है, उन को भी आप कर से मुक्त करें, क्योंकि आप अगर कोई कानून बनाते हैं, तो उन में एक युनिफार्मिटी होनी चाहिये और साथ ही साथ देश के सेंटीमेंट और भावना का भी ध्यान रखना चाहिये और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को कर से मुक्त कर देते हैं तो आप अवश्य ही देश की उस भावना का आदर करते हैं जिस भावना के कारण हम ने आज़ादी प्राप्त की और साथ ही स्वदेशी की भावना का भी आप तभी आदर कर सकेंग जब आप इन देशी पद्धतियों को प्रोत्साहन देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने अर्थ मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने शेड्यूल में वह अगर पान को कर-मुक्त न कर सकें तो कम से कम बनारसी पान को तो कर-मुक्त कर ही दें, उसी प्रकार अगर आप के लिये सकड़ों देशी औषधियों को कर-मुक्त करना सम्भव न हो सके, तो कम से कम यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों को तो आप कर से अवश्य ही मुक्त कर दें।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : विधेयक से सम्बद्ध अनुसूची को देखने से प्रतीत होता है कि जिस आधार को ले कर वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है वह कुछ ठीक नहीं है। इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया है कि किसी वस्तु को आवश्यक घोषित किया जाये तो क्यों। मेरे विचार में इस प्रकार का वर्गीकरण करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये :—

(१) खाद्य, (२) कपड़ा, (३) मकान, (४) शिक्षा तथा (५) डाक्टरी सुविधाएं। यह पांच बातें ऐसी हैं जिन को आप भुला नहीं सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिये यह आवश्यक हैं।

मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी मकान में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को इस में सम्मिलित नहीं किया है। मेरा तात्पर्य बड़े बड़े भवनों या इमारतों से नहीं है बल्कि साधारण व्यक्तियों द्वारा बनाये जाने वाले मकानों से है। इस देश के अधिकतर लोग मकान बनाने में बांसों, कीलों तथा ऐसी ही साधारण वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। किन्तु इन में से एक को भी इस अनूसूचि में शामिल नहीं किया गया है।

मद १५ में किताबों, कापियों तथा पत्रिकाओं का उल्लेख किया गया है। किन्तु किन किन पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को कर-मुक्त किया गया है ? केवल कालेज या स्कूल की पुस्तकों को या सभी पुस्तकों को ? जैसा कि सर्वसाधारण को विदित है इस देश में शिक्षा बहुत महंगी पड़ती है। मेरे विचार में पहली कक्षा से ले कर बी० ए० तक की किताबों को कर से मुक्त रखा जाये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह देश के साथ सब से बड़ी बुराई करना होगा।

मेरी समझ में यह नहीं आया कि पेट्रोल या पेट्रोल से बनी वस्तुएं साधारण व्यक्ति के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं। क्या मजदूर या किसान इन का उपयोग करते हैं ? फिर इन्हें आवश्यक क्यों समझा गया, ?

[श्री रघवय्या]

इस देश के ७० से ८० फीसदी लोग किसान हैं और उन का पेशा है खेती। मद ११ में आप ने कृषिसार, खाद, कृषि सम्बन्धी मशीनों तथा औज़ारों तथा उन के पुर्ज़ों को शामिल कर के वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया है।

किन्तु यह समझ में नहीं आता कि आप ने मद १४ में लोहे और इस्पात को क्यों शामिल कर लिया है? हमें तो केवल उन्हीं वस्तुओं पर कर नहीं लगाना है जिन का प्रयोग ७० से ८० प्रतिशत लोग करते हैं। लोहे की कड़ियों का कौन प्रयोग करता है? ७० से ८० फी सदी लोग इस का प्रयोग मकान बनाने में नहीं करते। देखा जाये तो वास्तव में केवल अमीर ही लोग इस का प्रयोग करते हैं। बात तो यह है कि जनता के नाम में विधेयक बनाने वालों ने उन चीज़ों को कर-मुक्त किया है जिन का प्रयोग उद्योगपति, पूंजीपति, ज़मींदार इत्यादि करते हैं। यह तो देश की जनता के साथ अन्याय करना है।

मद १६ में एन्टीबायोटिक तथा सल्फा औषधियों को शामिल किया गया है। मैं नहीं जानता कि आयुर्वेदिक या होमियोपैथिक में प्रयोग होने वाली औषधियों को कर-मुक्त किया गया है अथवा नहीं। ऐसी औषधियों को तो कर-मुक्त किया ही जाना चाहिए क्योंकि इन का प्रयोग जनसाधारण करता है। मेरे विचार में उन समस्त वस्तुओं को कर-मुक्त कर देना चाहिए जिन का प्रयोग आम जनता करती है।

एक बात यह स्पष्ट नहीं की गई है कि आप कच्चे माल को कर-मुक्त करना चाहते हैं या उस से बनी वस्तुओं को। लोहे और इस्पात को ही ले लीजिए। यदि आप कच्चे लोहे पर कर लगाते हैं तो यह ठीक है क्योंकि यह कर उद्योगपति को देना होगा। यदि आप इन से बनी वस्तुओं को कर-मुक्त करना चाहते हैं, जिन का प्रयोग आम जनता करती है, तो आप को उन का उल्लेख अनुसूची में कर देना चाहिए। मेरे विचार में आप को उन्हीं पर कर लगाना चाहिए जो कर दे सकें, न कि उन पर जो न दे सकें। उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों को किसी भी हालत में कर-मुक्त न किया जाये क्योंकि उन में कर देने की क्षमता होती है। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि इस अनुसूची में बहुत सी ऐसी वस्तुओं को तो शामिल कर लिया गया है जिन को कम लोग प्रयोग करते हैं या जिन को केवल अमीर लोग प्रयोग करते हैं तथा अनेक ऐसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन का प्रयोग जनसाधारण करता है। मेरे विचार में प्रवर समिति तथा विधेयक निर्माता ने आम जनता के हित का ध्यान नहीं रखा है।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद--उत्तर): मेरे विचार में इस अनुसूची को बहुत ही बेढंगे रूप में तैयार किया गया है। वास्तव में, हुआ यह है कि आवश्यक प्रदाय अधिनियम १९४६ तथा स्थानीय अधिनियम १९४७ को सामने रख कर प्रारूपक ने उनमें से यह वस्तुयें छांट ली हैं। किन्तु मेरे विचार में वर्तमान अनुसूची बिल्कुल भिन्न होनी चाहिए। इस में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जो जनता के लिए परम आवश्यक हों जैसे, खाद्य, कपड़ा तथा मकान से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुयें। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि जब देश में मकानों की इतनी कमी है तो मकान बनवाने में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को इस में शामिल क्यों नहीं किया गया है।

मेरा निवेदन है कि सल्फा तथा एन्टी-बायोटिक औषधियों को अनुसूची में से निकाल दिया जाये। यदि आप एक औषधि को रखते हैं तथा दूसरी को नहीं रखते तो गड़बड़ी मच जायेगी। जहां तक गरीब लोगों

का सम्बन्ध है वे बेचारे इतनी कीमती औषधियां कहां प्रयोग कर पाते हैं ? उन्हें तो आयुर्वेदिक या होमियोपैथिक औषधियों की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि वे सस्ती होती हैं । अतः आयुर्वेदिक या होमियोपैथिक औषधियों को अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : अब वादविवाद समाप्त किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अब वादविवाद समाप्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री त्यागी : जिन माननीय सदस्यों ने इस वादविवाद में भाग लिया है मैं उन का आभारी हूं । उन्होंने अनेक बातें सामने रखी हैं जिन से मैं सहानुभूति रखता हूं । कुछ सदस्यों ने ऐसी बातें कही हैं जो देशभक्ति से भरी हुई हैं तथा जिन को सुनना अच्छा लगता है तथा मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन बातों से सहमत नहीं हूं । प्रश्न यह है कि सरकार कैसा अनुभव करती है, क्या सरकार भी अन्य सदस्यों की भावनाओं तथा बातों की तरह अन्य वस्तुओं को जनता के लिए आवश्यक समझती है ? हो सकता है कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी हों जिन के सम्बन्ध में जांच करने के पश्चात् यह कहा जा सके कि वे उन वस्तुओं से कहीं अधिक आवश्यक हैं जिन को अनुसूची में शामिल किया गया है ।

मुख्य बात यह है कि अनुसूची किस प्रकार से तैयार की गई है । मनुष्य अपने आप को जिन्दा रख सके केवल इस ही दृष्टिकोण को ले कर यह अनुसूची तैयार नहीं की गई है । संविधान् के अनुच्छेद २८६ (२) में यह शब्द दिये हुए हैं, "वे वस्तुएं जो जनता के जीवन के लिए आवश्यक हैं ।" अतः यह बात नहीं है कि केवल वही वस्तुयें जो किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक हों बल्कि वे वस्तुयें जो सारी जनता के लिए आवश्यक हों । जनता के जीवन के लिए केवल खाद्य, मकान या कपड़े की ही आवश्यकता नहीं हैं, हां, वे आवश्यक अवश्य हैं; कुछ अन्य वस्तुयें भी हैं जो समाज में व्यक्तियों को आपस में सम्बन्ध बनाये रखने में सहायक होती हैं । संविधान् में यह बतलाया गया है कि केवल ऐसी वस्तुओं को आवश्यक घोषित करने की जरूरत है जो सारे समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हैं । इसी दृष्टिकोण को ले कर, बहुत सी ऐसी वस्तुओं को जिन का व्यक्तियों द्वारा उपभोग किये जाने से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि वे सारे समाज को देखते हुए आवश्यक हैं । मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने पैट्रोल को अनुसूची में शामिल करने पर आपत्ति उठायी है । निस्सन्देह, कोई भी व्यक्ति पैट्रोल को सीधा प्रयोग नहीं करता किन्तु फिर भी, वह समाज के जीवन के लिए आवश्यक है । यातायात आवश्यक है । देश के हर भाग में रेलें नहीं हैं । कुछ ऐसे भी ग्राम्य क्षेत्र हैं जो रेलवे स्टेशन से काफी दूर पर हैं जहां कच्चा माल पैदा किया जा सकता है तथा उन को बेचने के लिए बाजारों में लाना पड़ता है जो कि उन से बहुत दूर पर स्थित होते हैं । देश के ऐसे सुदूर भागों में रहने वाले लोगों के लिए बाजार केन्द्रों तथा आने जाने की यात्रा सम्बन्धी सुविधायें तो होनी ही चाहियें । यदि उन्हें रेल सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं तो कम से कम उन्हें मोटर बसों या अन्य गाड़ियों की सुविधायें तो प्राप्त होनी ही चाहिएं जिन के लिए वे कुछ किराया देकर बाज़ार केन्द्रों तक पहुंच सकते हैं जहां पर वे अपनी छोटी छोटी टोकरियों में भरी प्याज़ या आलू बेच सकते हैं । अतः उन लोगों के लिए जो दूर के स्थानों में रहते हैं पेट्रोल, वास्तव में, आवश्यक है । यही बात अन्य बहुत सी वस्तुओं के सम्बन्ध में भी लागू होती है । उस ओर

[श्री त्यागी]

बैठे हुए मेरे माननीय मित्र ने यह आपत्ति उठायी थी कि हम ने लोहा और इस्पात तो शामिल कर लिया है परन्तु मकान बनाने में प्रयोग होने वाली साधारण वस्तुयें जैसे बांस, छप्पर इत्यादि को शामिल नहीं किया है। साधारणतः, वे लोग जो इन बांसों या छप्परों का प्रयोग करते हैं उन्हें यह वस्तुयें उन के पास पड़ोस से ही प्राप्त हो जाती हैं या आस पास के जंगलों से मिल जाती हैं। जहां तक उन गरीब लोगों का सम्बन्ध है जो बड़े बड़े शहरों के आस पास रहते हैं उन्हें यह वस्तुयें बाज़ारों से प्राप्त हो जाती हैं जोकि वहां बेची जाती हैं। यह कहना पूर्णतः उचित है कि यह वस्तुयें भी, जो बाजार में बिकती हैं, बिक्री-कर से मुक्त कर दी जायें। मैं भी यह बात समझता हूं। किन्तु कठिनाई यह है कि—जैसा कि मेरे माननीय सदस्यों को याद होगा—हम इस प्रकार इस सूची में वस्तुयें जोड़ते नहीं जा सकते। सूची को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसा मैं ने उस दिन कहा था, राज्य सरकारें भी हैं, जिन का सीधा सम्बन्ध इन वस्तुओं के उपभोक्ताओं से रहता है, जो उन पर अपना ज़ोर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, औषधि को ही ले लीजिए। कदाचित्, सदन को याद होगा कि बहुत से राज्यों में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा अन्य प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली औषधियों को पहले ही बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में काफ़ी उदारता से काम लेती हैं। अतः हमें कुछ ऐसी वस्तुयें भी छोड़ देनी चाहियें जिन्हें राज्य सरकारें कर-मुक्त कर सकें। मुझे विश्वास है कि व ऐसा करेंगी। इस के अलावा करदाताओं का सारा जोर स्वयं राज्य में होता है इसलिए वे राज्य सरकार पर इस सम्बन्ध में काफी जोर डाल सकते हैं। यदि जोर देने पर भी राज्य सरकार नहीं मानती है तो इस का यह अर्थ हुआ कि उन की वित्तीय आवश्यकतायें इतनी जरूरी हैं कि वे उन वस्तुओं को कर-मुक्त नहीं कर सकती हैं।

११ म० पू०

मेरे माननीय मित्र श्री धुलेकर ने जो बातें कही हैं मैं उन के लिए उन का आभारी हूं। वह सया ही से आयुर्वेदिक ढंग की चिकित्सा के पक्षपाती रहे हैं। वास्तव में, उन्होंने आयुर्वेदिक प्रणाली पर बहुत दिनों तक काम किया है तथा उस के गीत समय कुसमय गाते रहते हैं, मानो, उन्हें औषधियां बेचनी हों यद्यपि वह औषधियां नहीं बचते हैं। वह केवल इस प्रणाली में शिक्षा देना चाहते हैं जिस से भारत में आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रोत्साहन मिले, मुझे वास्तव में, खेद है कि अनुसूची के मद १६ के अन्तर्गत "आयुर्वेदिक औषधियों" को न रख कर मैंने उन्हें निराश किया है। यदि अनुसूची में शामिल कर के समस्त औषधियों को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जाय, तो मेरे विचार में इस से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को बहुत भारी धक्का लगेगा जो कि मैं यहां केन्द्र में बैठा हुआ करने के लिए तैयार नहीं हूं .....

बाबूराम नारायण सिंह (हजारीबाग—पश्चिम): तब फिर आप विशेषकर 'एन्टी-बायोटिक तथा सल्फा' औषधियों को अनुसूची में क्यों रखते हैं?

श्री त्यागी: इन औषधियों को प्रवर समिति ने शामिल कर लिया था। मैं ने हमेशा ही इस सदन की भावनाओं का आदर किया है तथा उन पर चलने का प्रयत्न किया है। प्रवर समिति से पुनः परामर्श किये बिना ही मैं इस अवसर पर यह कह देना चाहता हूं कि मैं अनुसूची में से मद १६ को वापस ले लूंगा जिससे इस देश में प्रचलित चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों में दुर्भावनायें न फैल जायें।

सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित नया संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"पृष्ठ २ में से पंक्ति १८ का लोप किया जाये।"

मैं इस बात पर और अधिक नहीं कहना चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं मैं उनसे सहमत हूं । जहां तक स्वयं मेरा सवाल है मैं अनुभव करता हूं कि मुझे अनुसूची के बहार आयुर्वेधिक औषधियां आदि नहीं रखनी चाहियें विशेषकर, जबकि ऐलोपैथिक औषधियां अनुसूची में शामिल की जा रही हों, चाहे वे औषधियां कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों । आखिरकार समाज के लिए तो सभी औषधियां उपयोगी समझी जाती हैं । अतः चिकित्सा की किसी एक प्रणाली को मान्यता देने की अपेक्षा मैं अनुसूची में से मद १६ निकाल देना ही पसन्द करूंगा ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी कृपा करके नये संशोधन को मुझे दे दें।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं कुछ कह सकता हूं ? प्रवर समिति ने इन औषधियों को सम्मिलित किया था तथा सदन की भी यह इच्छा थी कि समस्त औषधियों को सम्मिलित कर लिया जाये । वैसा करने की बजाये अब माननीय मन्त्री महोदय नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं ।

श्री त्यागी : मैंने अब एक संशोधन प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि मैं चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहता हूं । यदि औषधियां, वास्तव में, उपयोगी हैं, तो राज्य सरकार की बुद्धिमत्ता में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है—तथा मैं यह बात उन्हीं पर छोड़ता हूं—कि वे इन वस्तुओं को कर-मुक्त कर देंगी । तथा साथ ही इस विषय पर माननीय सदस्य भी राज्य सरकारों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह: वही काम आप कृपा करके क्यों नहीं करते हैं ?

श्री त्यागी : बात यह है । यदि मैं उन्हें अनुसूची में शामिल कर लेता हूं तो औषधियां बिक्री कर के अतिरिक्त भार से बच जायेंगी । किन्तु यदि यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाये तो हो सकता है वे औषधियों को बिक्री कर से बिल्कुल ही मुक्त कर दें । इनको अनुसूची में शामिल करके मैं इन्हें केवल उस अतिरिक्त कर भार से बचा सकता हूं जो कि इन वस्तुओं पर लगाया जा सकता है, किन्तु इन पर जो कर पहले से लगा हुआ है उससे तो मैं इन्हें नहीं बचा सकता हूं । किन्तु राज्य सरकारें जिनके अधिकार-क्षेत्र में राज्य विषयों की सूची के अनुसार यह विषय आता है, इनको कर से बिल्कुल ही मुक्त कर सकती हैं । अतः केवल आंशिक छूट की बजाय पूरी छूट के लिये प्रयत्न क्यों न किया जाये ? जहां कहीं भी ऐसी वस्तुओं के पूर्णरूप से कर मुक्त होने की सम्भावना रहती है मैं उनको राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ देता हूं ।

एक दूसरा संशोधन जो मुझे पसन्द आया है वह स्लेट तथा स्लेट पैन्सिलों के सम्बन्ध में है । मेरे हृदय में छोटे छोटे बच्चों के लिये बहुत अधिक प्रेम है विशेषकर उन बच्चों के लिये जो स्लेट और पैन्सिल लेकर स्कूलों में पढ़ते ह । मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी स्लेट की पैन्सिल मेरे एक मित्र ने चुरा ली थी । जब मैंने इसकी शिकायत अपने शिक्षक से की तो उन्हों ने मुझे चांटे मारे तथा कहा : "बदतमीज़ । तुम इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिये शिकायत नहीं कर सकते हो । उन्हें चोरी किया जा सकता है ।" मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझ पर मार पड़ी थी ।

श्री वैलायुधन: क्या इसी कारण वह इन्हे शामिल कर रहे हैं ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, यदि आप की अनुमति हो तो मैं स्लेट तथा स्लेट पेन्सिलों के सम्बन्ध में संशोधन को स्वीकार कर लूं।

मित्रों ने नारियल के तेल के सम्बन्ध में कहा है—इस बात की सम्भावना है कि बड़े लोग, जैसे लिवर ब्रदर्स आदि कम्पनियों, जो साबुन बनाती हैं, इस का प्रयोग करें।

श्री नेसवी (धार वाड़ दक्षिण) : ईंधन तथा लकड़ी के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री त्यागी: जहां तक ईंधन तथा लकड़ी का सम्बन्ध है, ऐसे भी राज्य हैं जिनमें जंगल हैं। वे कह सकते हैं कि जंगलों को काटने की छूट उदारतापूर्वक दी जाती है। अतः हमें लकड़ी जलाने के सम्बन्ध में अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वे राज्य जिनमें जंगल हैं इससे सहमत हो सकते हैं किन्तु वे राज्य जिनमें जंगल नहीं हैं इस से असहमत हो सकते हैं और इसीलिये मैंने जलाने वाली लकड़ी को इसमें शामिल नहीं किया है।

सेठ अचल सिंह: क्या फायर इसेन्शियल नहीं है ?

श्री त्यागी: आग आवश्यक है किन्तु यहां तो जलाने वाली लकड़ी का प्रश्न है।

मैं नारियल के तेल के सम्बन्ध में कह रहा था। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मेरे मित्र श्री नायर ने ठीक ही कहा है। उन्होंने कहा था कि इस छूट का नाजायज़ फायदा उठाया जा सकता है। क्यों कि नारियल का तेल खाने का तेल है इसलिये उन गरीब लोगों को सहायता देने के लिये जो इस तेल का प्रयोग करते हैं, अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। किन्तु तेल के उस भाग का क्या होगा जो साबुन उद्योग में प्रयोग किया जायगा, बड़े बड़े निर्माता ही इस छूट का लाभ उठायेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति इसका लाभ उठायेंगे केवल इसी लिये हम गरीब लोगों को इस जरा सी आराम की वस्तु से वंचित नहीं करना चाहिये तथा इसीलिये मैंने इस जरा से खतरे को ध्यान में रखते हुए भी कि अन्य लोग इसका लाभ उठायेंगे इसे शामिल कर लिया किन्तु वे इसका पूरी तरह से लाभ न उठा सकेंगे क्योंकि अभी उन्हें राज्य सरकारों से भी निबटना होगा। जब साबुन बनाया जायगा तो राज्य सरकारें इस बात को ध्यान में रखेंगी कि साबुन बनाने में जो कच्चा माल प्रयोग किया गया है वह करमुक्त था तथा हो सकता है कि इसी कारण व निर्मित वस्तु को भी इसी दृष्टिकोण से देखें। वे साबुन निर्माताओं से अपने हिसाब किताब के अनुसार कर वसूल कर सकती हैं। अतः मेरे विचार में वे निर्माता इस छोटी सी रियायत का अधिक लाभ न उठा सकेंगे जो नारियल के तेल को खाद्य पदार्थ के रूप प्रयोग करने वालों को दी गई है।

अब मैं नारियल जटा उद्योग को लेता हूं। वास्तव में, त्रावनकोर-कोचीन तथा अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में यह उद्योग महत्वपूर्ण है। मुझे और कोई उपाय सूझ नहीं पड़ता जिससे हम इस उद्योग को प्रोत्साहन दे सकते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि जब कभी भी इस उद्योग की सहायता देने का प्रश्न उठेगा सरकार इस पर सहानुभति के साथ विचार करेगी।

कुमारी आनी मस्करीन (त्रिवन्द्रम्) : इस समय तो मन्दी आई हुई है।

श्री त्यागी: नारियल जटा उद्योग के लिये मेरे मित्र जो धन निकलवाना चाहते हैं वह बहुत थोड़ा सा है। मैंने इसे इसी लिये छोड़ दिया क्यों कि यह एक बहुत ही स्थानीय चीज़ है तथा मैंने सोचा कि हमें केवल ऐसे

कच्चे माल को शामिल करना चाहिये जिनका अखिल-भारतीय महत्व है, यद्यपि केरल के दृष्टिकोण से नारियल जटा उद्योग वास्तव में, महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है तथा इसको गरीब ही लोग चलाते हैं। सरकार की ओर से इस उद्योग को हमेशा सहानुभूति प्राप्त होती रहेगी किन्तु मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको इस समय अनुसूची में शामिल करने के लिये आग्रह नहीं करेंगे।

श्री वैलायुधन: मैं इसको अनुसूची में शामिल करवा रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री महोदय इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री त्यागी: श्री सामन्त तथा मेरे अन्य मित्रों ने पान तथा सुपारी को अनुसूची में शामिल करने का निवेदन किया है। श्री सामन्त ने तो यहां तक कहा है कि सौन्दर्य या ऐसी ही बात के लिये उसे शामिल कर लिया जाये। उन्होंने कहा था कि स्त्रियां इसका प्रयोग करती हैं तथा इस प्रकार वे अपने ओंठ लाल रखती हैं तथा इस प्रकार लिपस्टिक पर व्यय होने वाले अपने धन को बहुत कुछ बचा लेती हैं। मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता किन्तु मैं श्री सामन्त को सुझाव दूंगा कि वह इस को स्त्रियों पर ही छोड़ दें--क्या वे अपने ओंठों को लाल रखने के लिये अपने दांतों को गन्दा रखना चाहेंगी। आखिरकार, वे अपने दांतों को भी तो मोतियों की तरह रखना चाहती हैं, जोकि स्वाभाविकरूप से होते भी हैं, यद्यपि मैं यह भी जानता हूं कि ऐसी स्त्रियों की संख्या अधिक नहीं है जो केवल इस कारण ही पान न खाना चाहें, क्योंकि ऐसा करने से उनक दांत खराब हो जायेंगे। कुछ भी हो मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता तथा यह मेरा उचित विषय भी नहीं है। किन्तु मैं सुझाव दूंगा कि पान को शामिल न किया जाये।

मैं अनुसूची में कुछ औषधियां शामिल करना चाहता था किन्तु केवल उनसे ही तो काम नहीं चलेगा। श्रीमान्, इसीलिये मैंने आपकी अनुमति से वे दो औषधियां भी अनुसूची से निकाल दी हैं जिन्हें प्रवर समिति द्वारा शामिल किये जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी): अनुसूची के मद २ के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है; इस प्रकार की एक वस्तु से अथवा एक से अधिक वस्तु से तैयार की जाने वाली औषधि अपवाद होगी?

श्री त्यागी: यदि संभव हो तो आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं···

सभापति महोदय: इस अवस्था पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

श्री बंसल: मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से केवल इस बात पर विचार करने का निवेदन कर रहा हूं क्योंकि जहां तक मैं समझ सका हूं यह अपवाद भेदभाव करने वाला है।

सभापति महोदय: किस बात पर विचार करने का?

श्री बंसल: मद २, अपवाद (१)।

श्री त्यागी: मेरे मित्र ने मुझे सुझाव दिया है कि क्या मैं अनुसूची की मद संख्या २ में से अपवाद (१) निकाल सकता हूं। यदि इसे निकाल दिया जाता है तो खण्ड इस प्रकार पढ़ा जायेगा: "ताजे तथा सुखाये हुए फल, गन्ना, नारियल, तरकारी,

[श्री त्यागी]

खाने योग्य कन्द, तरकारी तथा फूल के बीज, कन्द तथा पौधा, ...फलों के बाग को छोड़ कर ।" इसके बाद वह चाहते हैं कि "इनमें से एक से या इनमें से एक से अधिक से तैयार की गई औषधि" निकाल दिया जाये। वह यह निकलवाना चाहते थे क्योंकि उनके विचार में ऐसा करने से शायद आयुर्वेदिक औषधियों को यहां रखने का अवसर प्राप्त हो जाता । यदि मेरे मित्र इच्छक हैं तो वह संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । किन्तु मेरे विचार में औषधियों को शामिल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इन औषधियों को तैयार करने में जो कच्चा माल प्रयोग किया किया जाता है उसे वास्तव में करमुक्त नहीं किया जा सकेगा । हर प्रकार से औषधियां तैयार की जाती हैं, अतः मेरे विचार में वह इन शब्दों को निकलवाकर भी वह बात न करवा सकेंगे जो वह करवाना चाहते हैं ।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। अनुसूची के मद १३ में कोयले से बने पदार्थों को शामिल कर लिया गया है तथा साथ ही पेट्रोल तथा पेट्रोलियम से बने पदार्थों को भी शामिल कर लिया गया है । इन शब्दों में कौन कौन से पदार्थ आ जाते हैं ?

श्री त्यागी: पेट्रोल तथा पेट्रोलियम से बने पदार्थ जिनमें मट्टी का तेल तथा मोटर स्प्रिट भी शामिल है ।

डा० एम० एम० दास: इनके अलावा अन्य बहुत से पदार्थ भी शामिल कर लिये गये हैं । कोयले से बने पदार्थों में अनेक वस्तुएं शामिल कर ली गई हैं ।

श्री त्यागी: हमारा तात्पर्य केवल उन्हीं वस्तुओं से था जो केवल सीधे कोयले से बनाई गई हों ।

डा० एम० एम० दास: मुझे ज्ञात नहीं था कि भारत सरकार के पास रासायनिक शब्दों के अर्थ मालूम करने के लिये एक पृथक् शब्द कोष है । यह सब रासायनिक शब्द हैं तथा आपको रासायनिक शब्दकोष के अनुसार ही चलना होगा ।

श्री त्यागी: इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र को क्या कठिनाई है ?

डा० एम० एम० दास: मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि कोयल से बने पदार्थों का अभिप्राय क्या यह है कि समस्त वे वस्तुएं जो कोयले से बनती हों ।

श्री त्यागी: यदि स्वीकृत प्रथा के अनुसार वे सब इस शब्द में शामिल की जाती हैं तो, निस्संदेह, अभिप्राय उन्हें शामिल करने का ही है ।

श्री नेसवी: मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या सार्वधिक पत्रिकाओं के वर्ग में दैनिक समाचार पत्र भी आ जाते है ?

श्री त्यागी: जी नहीं, श्रीमान् । दैनिक समाचार पत्र पहले ही से केन्द्रीय सूची में हैं । संविधान के अनुसार, जहां बिक्री-कर का निर्देश किया गया है, समाचार पत्रों को राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त: सूती कपड़े तथा मुरमुरों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने अपनी राय प्रगट नहीं की है ।

श्री त्यागी: जहां तक मुरमुरों का सम्बन्ध है मैं ने सोचा कि जब "अनाज" शब्द ही शामिल कर लिया गया है तो उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है । "अनाज तथा दालों" में उसके सब रूप आ जाते हैं तथा वे पहले ही से कर मुक्त हैं । चाहे वह चावल

हों या मुरमुरा उन सब को शामिल कर लिया जायेगा क्योंकि वह अनाज का केवल दूसरा रूप होगा । इसीलिये हम ने और आगे स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा । कुछ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने की इस लिये आवश्यकता पड़ी क्योंकि आटे जैसे वस्तु का, यद्यपि इसमें मैदा तथा सूजी, इत्यादि शामिल है, बाजारू भाषा में केवल एक अर्थ लगाया जाता है, अर्थात् बढ़िया प्रकार का वह आटा जो केवल डबल रोटी बनाने के काम में लाया जाता है न कि भारतीय ढ़ंग की और कोई रोटी बनाने के । इसी लिये "आटे" का स्पष्टीकरण किया गया है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि "चावल" का भी विस्तार में स्पष्टीकरण किया जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अनाज कहे जाने वाले गेहूं का ही आटा या सूजी दूसरे रूप नहीं हैं ? यदि उनका उल्लेख किया गया है तो चावल के रूपों का उल्लेख क्यों नहीं किया जाना चाहिये ?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो स्पष्टीकरण मांगना नहीं है--यह तो तर्क करना है ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि हाईड्स (खालें) और स्किन्स इस में लेते हैं या नहीं ? दूसरे इस में कोयला नहीं लिखा है । चारकोल में खाली कोल लिखा है, तो कोयला जो है वह इस में आ जाता है या नहीं ?

श्री त्यागी : कोयला नहीं आता है । हाइड्स और स्किन्स जो आती हैं वह इस वास्ते कि गरीब आदमी, मोची वगैरह बेचारे हाइड्स और स्किन्स लेते हैं और उस से अपना काम चलाते हैं । इस लिये इस चीज़ का आम तौर से टैक्स से बरी रखने का जिक्र किया गया है। कोयला इसलिए नहीं रखा है कि जहां जहां कोयला बनता है वहां वहां जंगलात बहुत कटते हैं और जंगलात की लकड़ी की आंच और गर्मी कोयला बनाने में बहुत खर्च हो जाती है। इस लिये कोयले की तरफ हमारी तवज्जह और दिलचस्पी ज्यादा नहीं है । और हमने उसके साथ हमदर्दी नहीं की है ।

श्री पी० एन० राजभोज : और लेदर ?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति !

श्री जाटव-वीर : (भरतपुर-सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मेरा सुझाव यह है कि जहां हाइड्स और स्किन्स लिखा हुआ है उसके बाद लेदर (चमड़ा) और लिख दिया जाय । हाइड्स और स्किन्स कच्चे चमड़े को कहते हैं, लेकिन जब लोग कच्चे चमड़े को अपने घर के अन्दर पका लेते हैं तो उसका नाम लेदर पड़ जाता है, आखिर वह भी तो टैक्स से बरी रखा जाय ।

श्री त्यागी : इसमें लेदर नहीं है ।

सभापति महोदय : क्यों कि चमडा एक बनाई हुई वस्तु में आता है अतः उसे शामिल नहीं किया गया है ।

श्री जाटव-वीर : मेरा मतलब मैनुफेक्चर्ड लैदर से नहीं है । अगर किसी ने कच्चे चमड़े को घर पर पकाया और टैन कर लिया, तो वह बरी होगा या नहीं ?

संशोधन प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए ।

श्री एस० सी० सामन्त ने अपने संशोधन वापस ले लिये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १७ में "exercise books" (कापियों) के पश्चात् "slates and slate pencils" (स्लेट तथा स्लेट पेन्सिल) जोड़ दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २ में से १८वीं पंक्ति निकाल दी जाये ।

[श्री त्यागी]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयकका अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ली गई ।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम तथा अधि नियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री त्यागी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री भगवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यह आपत्ति है कि इसकी अनुसूची को ठीक तरह से तैयार नहीं किया गया है । इसमें बहुत सी ऐसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कि साधारण व्यक्ति के लिये परम आवश्यक हैं । इसी कारण इसका कोई लाभ नहीं रहा । मैं इस विधेयक का तीन बातों के कारण विरोध करता हूं । इसके कारण बिक्री कर में एकरूपता नहीं आती; इससे साधारण व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचता ; अनुसूची पर्याप्त नहीं है तथा उसे शीघ्रता में तैयार किया गया है । मेरी इच्छा है कि यह विधेयक छोड़ दिया जाय ।

किन्तु यदि माननीय मंत्री इसको पारित करवाने पर ही तुले हुए हैं तो मैं उनका समर्थन केवल एक आधार पर कर सकता हूं । वह है उनके द्वारा दिया गया आश्वासन कि वह इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलायेंगे । यदि वह ऐसा सम्मेलन शीघ्र ही बुलाते हैं तथा सब बातों पर विचार करके अनुसूची में और भी वस्तुओं को शामिल कर लेते हैं तथा इसको समस्त राज्यों पर लागू करते हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री कैलप्पन (पोन्नानी) : मैं इस विधेयक का कई कारणों से विरोध करता हूं । यदि इस सदन के लिये इन वस्तुओं को आवश्यक घोषित करना जरूरी नहीं हैं जो कि सर्व साधारण के लिये आवश्यक है तो मेरे विचार में विधेयक को छोड़ देना ही हितकर होगा । वास्तव में, बात यह है कि बिक्री-कर बेचारे गरीब उपभोक्ता को ही सहन करना पड़ता है । बीच के लोग अर्थात् बेचने वाले तो केवल सरकार के लिये उस कर ही को जमा करते हैं । उन्हें अपने पास से कुछ नहीं देना पड़ता है ।

दूसरी बात यह कि इससे कोई एकरूपता नहीं आती । इस विधेयक द्वारा कुछ राज्यों में उन वस्तुओं को छोड़ दिया गया है जिन पर पहले ही से कर लगा हुआ है । किन्तु अन्य राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है जहां पहले से उन वस्तुओं पर कर नहीं लगा हुआ है । इस प्रकार तो राज्य राज्य में भेद-भाव उत्पन्न हो जाता है । मेरे विचार में राज्यों की इस प्रकार बांधा न जाये । करारोपण राज्य विषय है । जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार

किया है कि यह बात राज्य विधान सभाओं पर ही छोड़ दी जानी चाहिये क्योंकि वे अच्छी तरह जानती हैं कि किन वस्तुओं पर कर लगाया जाना चाहिये तथा किन पर नहीं ।

तीसरी बात यह है कि एक वस्तु जो एक राज्य में आवश्यक समझी जाती हो दूसरे राज्य में उतनी आवश्यक नहीं । यदि हम प्रत्येक राज्य में आवश्यक समझी जाने वाली वस्तुओं को सूची में शामिल करेंगे तो वास्तव में सूची बहुत लम्बी हो जायेगी ।

चौथी बात यह है कि हो सकता है कुछ राज्यों के संसाधन बहुत अच्छे हों । उन्हें बिक्री कर लगाने की आवश्यकता न हो । किन्तु सभी राज्यों की स्थिति तो एक समान नहीं हो सकती ।

पांचवी बात यह भी है कि करारोपण का आपात एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है । उदाहरण के लिये त्रावनकोर में भूमि कर केवल नाम मात्र को लगाया जाता है क्योंकि वहां कृषि आय पर कर लगता है । किन्तु अन्य राज्यों में भूमि कर आय का एक महत्वपूर्ण साधन है । यदि इस विधेयक से एकरूपता लाने का विचार है तो वह तब तक नहीं आ सकती जब तक करारोपण राज्य का विषय है । अतः मेरे विचार में यह अच्छा होगा यदि इसको राज्यों पर ही छोड़ दिया जाये । वे इसका निर्णय अच्छी तरह कर सकते हैं कि किन किन वस्तुओं पर कर लगना चाहिये और किन किन पर नहीं ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : सभापति जी, जो बिल अभी हम लोग पास करने जा रहे हैं मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी आवश्यकता थी और सरकार ने इस समय यह बिल ला कर बहुत ही अच्छा काम किया है । यह बात सही है कि इस कानून का असर उन सब कानूनों पर नहीं होगा जो विभिन्न राज्यों ने जारी कर दिये हैं । लेकिन मेरा ख्याल है कि यह पीछे की बात है और अगर इस को हम छोड़ भी दें तब भी इस बात की ज़रूरत थी कि जो सामान समाज के जीवन के लिये जरूरी हैं उन पर अगर कोई राज्य टैक्स लगाना चाहे तो बिना केन्द्र की सरकार की राय के नहीं लगावे और यह बात भी है कि अगर टैक्स लगाया जाय तो सब राज्यों में एक तरीके से हो । मैं यहां यह बात कहूंगा कि सामाजिक जीवन के लिये जो अत्यन्त आवश्यक सामान हैं उन पर टैक्स लगाना ही उचित नहीं है क्योंकि टैक्स लगाने के और भी दूसरे साधन हैं कि जिन से राज्य चलाने के लिये कर संग्रह किया जा सकता है । और हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां कि जनता बहुत ही गरीब है और जो सामान इस्तैमाल करती है उस की तादाद भी बहुत कम है, ऐसी हालत में अगर आवश्यक सामानों पर टैक्स न लगाया जाय तो अच्छा होगा । इसी ख्याल से मैं समझता हूं कि जो बिल हाउस के सामने लाया गया उसके अनुसार अब केन्द्रीय सरकार को इस बात का मौका मिलेगा कि कोई भी राज्य अगर किसी भी आवश्यक सामान पर समान टैक्स लगाना चाहेगा तो उस के लिये आवश्यक होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की राय ले ले । राय देने के सम्बन्ध में अगर केन्द्रीय सरकार समझेगी कि जिन सामानों पर विभिन्न राज्यों ने टैक्स लगाया है वह टैक्स लगाना जरूरी नहीं है, दूसरे भी साधन ऐसे हो सकते हैं कि जिन का उपयोग राज्य कर सकती है, तो केन्द्रीय सरकार को इस बात का हक होगा कि उस सरकार से वह टैक्स लगाने को मना कर दे । इ सी लिय मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

[श्री एस० एन० दास]

इस के साथ ही यहां मैं यह बात कहना भी जरूरी समझता हूं कि जैसा कि वित्त मंत्री ने कई बार सभा में बतलाया है कि वह एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी करारोपण जांच समिति बिठाने जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में और जो विषय रखे जायेंगे वह तो रखे जाने ही चाहियें लेकिन साथ ही साथ यह विषय रखना भी बहुत जरूरी है कि जो समाज के जीवन के लिये आवश्यक सामान हैं उन पर टैक्स किस प्रकार लगना चाहिये और जो टैक्स लगा हुआ है तो उस का जनता के ऊपर क्या असर पड़ा है और जो टैक्स इस सम्बन्ध में लगाये जायेंगे वह और दूसरे साधनों को देखते हुए जरूरी हैं या नहीं। उन को इस बात की जांच करने के लिये भी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी को अधिकार देना चाहिये ।

इस बिल का अर्थ जहां तक मैं समझता हूं, और धारा २८६ का अर्थ भी जहां तक समझता हूं यह है कि समाज के लिये जितने आवश्यक सामान हैं, जिन को सामान्य जनता बहुत हद तक, इस्तैमाल करती है उन पर टैक्स न लगाया जाय । इसलिये जो विभिन्न राज्यों ने बहुत टैक्स लगाये हैं उन की इस कानून के अनुसार फिर से जांच कराई जाये । विभिन्न राज्यों ने अपने काम चलाने के लिये जो सेल्स टैक्स (बिक्री कर) या परचेज टैक्स (क्रय कर) जारी किये हैं उन की फिर से जांच होनी चाहिये । और उन राज्यों को बगैर कोई हानि पहुंचाये हुए यदि हम यह कर सकते हैं तो उन राज्यों में जितने टैक्स लगाये गये हैं वह हटा दिये जायें । यदि उन का हटाना सम्भव न हो तो कम से कम सब राज्यों में वे यूनीफार्म (एक रूप) कर दिये जायें जिस से इस कानून का मतलब सार्थक हो । इस लिए इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस बिल का उद्देश्य प्राप्त करने के लिये जल्द से जल्द वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन किया जायेगा और जितने राज्यों ने सेल्स टैक्स का कानून पास किया है उन सब को यूनीफार्म बनाने के लिये कोशिश की जायगी ।

श्री वी० पी० नायर : मैं इस विधेयक के वैधानिक पहलू के सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक एक प्रकार से संविधान में परिवर्तन करना चाहता है । यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि इस विधेयक के खण्ड ३ तथा संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) में केवल इतना ही अन्तर है कि इस विधेयक में "इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात्" शब्दों को और जोड़ दिया गया है । अन्यथा और कोई अन्तर नहीं है इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि संविधान के उस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद् एक विधान द्वारा कुछ वस्तुओं को आवश्यक घोषित करती है जो कि उसके विचार में समाज के जीवन के लिये आवश्यक हैं । श्रीमान्, तब फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि संविधान में यह बात कहां दी हुई है कि यह अनुच्छेद इस विधेयक के लागू होने के पश्चात् या पहले लागू होगा, संविधान में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इस बात का समर्थन करता हो । हम यहां पर संविधान में संशोधन या उसकी व्याख्या करने के लिए नहीं बैठे हैं । व्याख्या करने का कार्य तो न्यायालयों का है । जब संविधान में ही यह लिख दिया गया है तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह केवल इस इस प्रकार से लागू होगा या अमुक अमुक तिथि के पश्चात् लागू होगा । आप कैसे कह सकते हैं कि यह केवल इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् ही लाग हो सकेगा ? मेरे विचार

में "इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्" शब्दों को जोड़ देने से समस्त विधेयक संविधान के प्रतिकूल हो जाता है। अतः सदन को इस विधेयक को अस्वीकार कर देना चाहिये।

श्री पोकर साहब (मलप्पुरम्) : मेरे माननीय मित्र ने जो यह बात उठाई है कि "इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्" शब्दों के वर्तमान विधेयक में शामिल कर दिये जाने से वह अधिकार के बाहर की बात हो जाती है विशेषकर, इसलिए क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) के उपबन्धों के प्रतिकूल है। मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र ने अनुच्छेद २८६ (३) को अच्छी तरह से नहीं समझा है। उस अनुच्छेद का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब संसद कुछ वस्तुओं को आवश्यक घोषित कर देता है। यह अनुच्छेद तभी लागू किया जा सकता है जब संसद् इस प्रकार की घोषणा कर देता है, इसके पहले नहीं। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) की स्पष्ट व्याख्या के साथ यह शब्द बिल्कुल संगत हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र ने जो बात उठाई है उसको किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री त्यागी : मैं अपने माननीय मित्र श्री पोकर साहब का बहुत आभारी हूं। आखिरकार, उन्होंने आड़े समय में विधेयक का समर्थन करके मेरी बड़ी सहायता की है। विशेषकर, मैं उनका आभारी इसलिये भी हूं कि उन्होंने विधेयक के समर्थन में ऐसा तर्क रखा है। मेरे विचार में मुझे इस सम्बन्ध में अब फिर से कोई लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करना तो थोड़ा बहुत उसी बात को फिर से दोहराना होगा जो वह अभी कह चुके हैं।

सदन के लाभ के लिए मैं इसको पुनः सकता हूं। यह बात नहीं है कि यह शब्द केवल सरकार के ही ध्यान में आये और हमने उन्हें विधेयक में रख दिया। विवाद ग्रस्त अनुच्छेद की कितनी प्रकार से व्याख्या की जा सकती है तथा उसकी वैधानिक स्थिति क्या है इस सम्बन्ध में पर्याप्त छानबीन की जा चुकी है। हम ने महा अभिकर्त्ता से परामर्श करके उनकी भी राय ले ली थी। यद्यपि यह केवल उसी बात को दोहराना होगा फिर भी क्या मैं इसे पुनः पढ़ दूं ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने इसी को पहले भी पढ़ा था। फिर अब इसको पुनः पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

श्री त्यागी : वह विधि मंत्रालय की थी। यह महा अभिकर्त्ता की राय है। जो कुछ मैं ने कहा था यह उसका पूरी तरह से समर्थन करती है। जो कुछ मेरे मित्र श्री केलप्पन ने कहा है उस सम्बन्ध में मैं इस बात पर पुनः ज़ोर देना चाहता हूं कि यहां केन्द्र में बैठे हुए किसी प्रकार का ऐसा कार्य करना सम्भव नहीं है जिससे राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी फैल जाये। जिस समय से देश में बिक्री कर लागू किया गया है, राज्य सरकारें इस साधन को अधिकाधिक महत्वपूर्ण समझने लगी हैं। विकास सम्बन्धी उनके समस्त प्रोग्राम अधिकतर बिक्री कर से प्राप्त होने वाली आय पर आधारित हैं। क्यों कि राजस्व का एक वही साधन ऐसा है जिसे घटाया बढ़ाया जा सकता है तथा जिसमें आवश्यकता पड़ने पर धन निकाल सकती हैं। शेष के लिये या तो वे केन्द्र के पास दौड़ती हैं या उनके पास जो कुछ है उसी पर निर्भर रहती हैं। अब ज़मीदारी उन्मूलन हो जाने के पश्चात् भूमि राजस्व भी, फिर से करीब २ राजस्व का बंधा हुआ साधन हो जायेगा। अब उसे घटाया बढ़ाया न जा सकेगा। केवल यही एक ऐसा कर है जिससे वे अपनी आवश्यकतायें पूरी कर सकती हैं—ऋण लेकर या फिर बिक्री कर की दरों में परिवर्तन करके। अतः

विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक

[श्री त्यागी]

राज्य सरकारों को जो प्रशासनीय व्यय करना पड़ता है उस दृष्टिकोण से, बिक्री कर, महत्वपूर्ण राजस्व साधनों में से एक है। इसलिये हम यहां केन्द्र में बैठे हुए कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जिससे उनके राजस्व में गड़बड़ी पैदा हो जाये। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श करके ही हम बिक्री कर के सम्बन्ध में एकरूपता ला सकते हैं। सरकार एकरूपता चाहती है। मैं इस बात से सहमत हूं तथा स्वीकार करता हूं कि सदन तथा सरकार बिक्री कर के सम्बन्ध में जो एकरूपता चाहती थी वह न आ सकी। किन्तु इस प्रकार हम उस मार्ग पर आ जायेंगे। इसके पश्चात् राज्य वित्त मंत्री आपस में मिलते रहेंगे तथा जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं केवल पारस्परिक सहमति से ही वे किसी ऐसे समझौते पर पहुंच सकते हैं कि कम से कम कुछ आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में एकरूपता होनी चाहिये अथवा नहीं। अन्य वस्तुओं पर लगे बिक्री-कर के सम्बन्ध में भी एकरूपता लाने का प्रयत्न किया जायेगा।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे आशा है कि विधेयक पारित कर दिया जायेगा।

श्री बी० दास : मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाते समय, माननीय मंत्री राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी बुलायें क्योंकि वास्तविक नीति का निर्धारण वही करते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लेख्य-प्रमाणक विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लेख्य-प्रमाणकों के पेशे को नियमित करने वाले विधेयक पर जिस रूप में वह प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विचार किया जाये।"

कुछ समय पूर्व प्रवर समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं तथा उन्होंने देखा होगा कि प्रवर समिति द्वारा क्या परिवर्तन किये गये हैं। विधेयक में किये गये परिवर्तनों के फलस्वरूप अब उस में काफी सुधार हो गया है जिस रूप में कि वह प्रथम बार पुरःस्थापित किया गया था। इन समस्त परिवर्तनों को विस्तार में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

उन सब का स्वयं रिपोर्ट में सरणीकरण कर दिया गया है किन्तु उनमें से सबसे महत्वपूर्ण खण्ड ८ में हैं जिसमें लेख्य-प्रमाणकों के कृत्य दिये हुए हैं। महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक यह भी था कि उस खण्ड में से एक उपबन्ध निकाल दिया गया था--जो कि एक अन्य खण्ड के कारण करना पड़ा था--जो कि मूल विधेयक में था। मूल विधेयक में विभिन्न प्रकार के कृत्यों का उल्लेख था। किन्तु अब विधेयक के अन्तर्गत जैसा कि उसे प्रवर समिति ने संशोधित कर दिया है, समस्त लेख्य-प्रमाणकों को एक ही स्तर पर रख दिया गया है तथा वे अब कोई सा या समस्त वे कृत्य कर सकेंगे जो साधारणतः एक लोक लेख्य-प्रमाणक करता है। अतः नियुक्ति आदेशपत्र में फिर आगे यह उल्लेख करने की आवश्यकता न होगी कि कोई विशेष लेख्य-प्रमाणक केवल एक विशेष

प्रकार के कृत्य कर सकेगा । विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत जैसा कि उसे प्रवर समिति ने संशोधित किया है कोई भी व्यक्ति जो लेख्य-प्रमाणक के रूप में पंजीबद्ध है वह खण्ड ८ में दिये गये समस्त कृत्यों को कर सकेगा । प्रवर समिति ने यही सब से महत्वपूर्ण संशोधन किया है ।

एक दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि सरकार नियमों के अन्तर्गत, जो कि अधिनियम के अधीन बनाये जायेंगे, वे योग्यताएं निर्धारित करेगी जो कि लेख्य-प्रमाणक बनने के लिए आवश्यक होंगी। मूल विधेयक में, नियमों के अन्तर्गत योग्यताएं विर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं था । उसमें केवल इतना उल्लेख किया गया था कि नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल उन शर्तों के आधार पर की जायेंगी जिनको केन्द्रीय सरकार उचित समझती है । लेकिन अब तो आप स्वयं नियमों में उन योग्यताओं का आभास पायेंगे जो कि आवश्यक हैं । यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है ।

इनके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे परिवर्तन किये गये हैं। उदाहरण के तौर पर आप खण्ड १३ में देखेंगे कि उसमें दिया गया है कि "लेख्य-प्रमाणक द्वारा किये गये किसी भी अपराध को न्यायालय तब तक संज्ञेय अपराध नहीं समझेगा जब तक कि इस कार्य के लिए कोई अधिकृत अधिकारी उसकी शिकायत लिखकर नहीं करता है ।" इसका उद्देश्य तुच्छ शिकायतों को हतोत्साहित करना है । जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है जो पहले ही से लेख्य-प्रमाणक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें दो वर्ष के अन्त में अपने आपको इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध कराना पड़ेगा। मूल विधेयक में यह अवधि एक वर्ष रखी गई थी । एक सुझाव यह भी रखा गया था कि अवधि तीन वर्ष कर दी जाय। समझौते के रूप में प्रवर समिति ने दो वर्ष की अवधि स्वीकार कर ली है ।

कुछ संशोधन मुझे आज प्रातः ही प्राप्त हुए हैं। मने उनकी परीक्षा की है । उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। इन संशोधनों में उठाई गई बातों पर या तो उस समय विचार कर लिया गया था जब विधेयक पहली बार सदन के समक्ष था या प्रवर समिति के समक्ष था। श्रीमान्, मेरे विचार में मैं उन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> " लेख्य-प्रमाणकों के पेशे को नियमित करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विचार किया जाये । "

श्री मुलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद-उत्तर) : मैं ने मूल विधेयक को तथा प्रवर-समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों के पश्चात् भी विधेयक को देखा है किन्तु मैं उसमें कहीं पर भी यह नहीं देख पाया कि लेख्य-प्रमाणक द्वारा किये गये कार्यों का साक्ष्य सम्बन्धी उपयोग क्या होगा । यदि कोई लोक लेख्य-प्रमाणक किसी विशेष लेख्य पर लेख्य प्रमाण सम्बन्धी कार्य करता है तो उसका वैधानिक प्रभाव क्या होगा । क्या उसे बिना और कोई प्रमाण लिये हुए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ? अथवा क्या लोक लेख्य-प्रमाणक को साक्ष्य देने के लिये बुलाना पड़ेगा, इत्यादि ?

श्री बिस्वास : मैं तुरन्त ही यह कह देना चाहता हूं कि ऐसे मामले को साक्ष्य अधिनियम के नियमों के अनुसार निबटाया जायेगा। हो सकता है प्रमाणित लेख्यों को इस देश तथा

(श्री बिस्वास)

विदेश के न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष रखना पड़े। जब कभी भी उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बद्ध देश में प्रचलित साक्ष्य नियमों के अनुसार ही यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें स्वीकार्य किया जाये अथवा नहीं। जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान—मैं केवल याददाश्त से कह रहा हूं—धारा ६५ की ओर आकर्षित करूंगा जो लेख्यों से सम्बन्ध रखने वाले गौण साक्ष्य के बारे में है। उन उपबन्धों को लागू किया जायेगा। किसी लेख्य को प्रमाणित करने का साधारण तरीका उसको प्रस्तुत करना है। इसे प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। कुछ मामलों में गौण साक्ष्य भी स्वीकार्य कर लिया जाता है। यदि मूल लेख्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो कुछ और चीज़ प्रस्तुत की जाती है : एक प्रमाणित प्रति, इत्यादि। ऐसे लेख्य का स्वीकार्य किया जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि गौण साक्ष्य को स्वीकार्य करने के सम्बन्ध में कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं। इस सम्बन्ध में अन्य धाराएं भी हैं। धारा ७६ सार्वजनिक लेख्यों के सम्बन्ध में है। जहां तक सार्वजनिक लेख्यों का सम्बन्ध है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वे लोग लेख्यों की प्रमाणित प्रतियां दे सकते हैं जिनकी निगरानी में वे रखे रहते हैं। कुछ शर्तें उस में भी रख दी गई हैं। यह आवश्यक है कि ऐसे लेख्यों का सार्वजनिक निरीक्षण हो, इत्यादि। ऐसे ही लेख्यों के सम्बन्ध में इन अधिकारियों को प्रमाणित प्रतियां दे देने का अधिकार दिया गया है तथा ऐसी प्रमाणित प्रतियों को उन लेख्यों के सम्बन्ध में गौण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सार्वजनिक लेख्यों के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई है। जहां तक गैर-सरकारी लेख्यों का, सम्बन्ध है धारा ६५ लागू होगी। मैं केवल याददाश्त से धाराओं का उद्धरण कर रहा हूं, मैं अपनी ग़लती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। स्थिति यही है। यदि इन लेख्यों को विदेशों में ले जाया जाता है तो उन का स्वीकार किया जाना इस पर निर्भर करता है कि उस देश में साक्ष्य के नियम क्या हैं?

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि यहां पर साक्ष्य अधिनियम की धारा ७६ की क्या आवश्यकता है? जहां तक प्रतियों का सम्बन्ध है इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसी भी लोक लेख्य-प्रमाणक को उन लेख्यों की प्रतियां रखने की आवश्यकता नहीं बताई गई है जिनको वह प्रमाणित करता है ना ही उसे लेख्यों की प्रतियां देने का अधिकार दिया गया है।

श्री **बिस्वास** : मेरे विचार में मेरे मित्र ने जो प्रश्न उठाया था वह उस संशोधन से उत्पन्न हुआ है जिसकी सूचना दी गई है। यह सुझाव रखा गया है कि लोक लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों को बढ़ा दिया जाये जिसमें उसमें किसी अधिकार-पत्र या लेख्य का तैयार करना, जांच करना, प्रमाणित करना भी शामिल हो जाये। यही कारण है कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है; मेरा अनुमान तो कम से कम यही है। वास्तव में, हमने खण्ड ८ में जो कृत्य पहले ही से शामिल कर लिये हैं उनके कारण किसी इस प्रकार के प्रश्न के उठने का अवसर नहीं आयेगा।

श्री **मूलचन्द दुबे** : यदि खण्ड ८ के अनुसार लोक लेख्य-प्रमाणक केवल किसी लेख्य को प्रमाणित करता है तो निस्सन्देह उसे किसी प्रति को अपने पास बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। अतः मंत्री महोदय

ने जिस ६५वीं धारा का उल्लेख किया है उसका प्रयोग किया ही न जा सकेगा। ना ही इस सम्बन्ध में धारा ७६ का कोई प्रयोग किया जा सकता है।

श्री ए० के० दत्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : प्रवर समिति ने खण्ड २ में 'विलेख' के अर्थ का निर्देश किया है। किन्तु लोक लेख्य-प्रमाणकों को बहुधा अन्य लेख्यों को भी प्रमाणित करना होता है जिन्हें 'घोषणा पत्र' कहते हैं। इस प्रकार उसमें जो स्पष्टीकरण दिया है वह पर्याप्त नहीं है। घोषणा पत्र से किसी तीसरे व्यक्ति को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मेरा सुझाव है कि "declaration" (घोषणा पत्र) के स्थान पर खण्ड २ (ख) में "declared" (घोषित) शब्द को आदिष्ट कर दिया जाये। उक्त संशोधन के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड-सोरठ): कुछ देर पहले मेरे माननीय मित्र ने यह बात उठाई थी कि लोक लेख्य-प्रमाणक द्वारा प्रमाणित करने के सम्बन्ध में किये गये कार्य का साक्ष्य सम्बन्धी उपयोग क्या होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको लोक लेख्य-प्रमाणकों द्वारा किया ही जाना चाहिये। उदाहरण के तौर पर जब कभी भी प्रामिसरी नोट, हुन्डी या विनिमय-पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो उनके सम्बन्ध में यह लिखवाना पड़ता है कि उन्हें प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया गया तथा यह कार्य लोक लेख्य-प्रमाणक के द्वारा किया जाता है। वह इस प्रकार का प्रमाण पत्र देता है। जो कि इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हुन्डी या बिल प्रस्तुत किया गया था तथा उसे स्वीकार नहीं किया गया।

कुछ ऐसे भी लेख्य होते हैं जिनका संवीक्षण करना होता है तथा उनको एक विशेष ढंग से कार्यान्वित करना होता है, जैसे वसीयत आदि। किन्तु कुछ लेख्य ऐसे होते हैं जिनको कार्यान्वित तथा संवीक्षित करने के लिये उच्च प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये साझीदारी फर्म के वास्ते प्रार्थना पत्र देना होता है। उनके इस प्रार्थना पत्र का संवीक्षण सालिसीटर या लोक लेख्य-प्रमाणक ही कर सकता है तथा जब लोक लेख्य-प्रमाणक इस प्रकार का संवीक्षण कर देता है तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि इस लेख्य को उन्हीं लोगों ने कार्यान्वित किया है जिनके द्वारा इसके कार्यान्वित होने का अभिप्राय था।

विदेशों को जो लेख्य ले जाये जाते हैं वे भारत में संवीक्षित किये जाने के आधार पर ही स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। उनको उस देश के नियमों के अनुसार संवीक्षित कराना होता है। यदि ऐसे लेख्यों के सम्बन्ध में कोई लोक लेख्य-प्रमाणक प्रमाणपत्र देता है तो अन्य देशों में भी कुछ सीमा तक उसे अकाट्य प्रमाण समझा जाता है। यही कारण है कि समस्त देशों में लोक लेख्य-प्रमाणक रखे जाते हैं।

बहुधा ऐसे लेख्य आ जाते हैं जिनकी आवश्यकता अन्य देशों में पड़ती है। मान लीजिये किसी लेख्य की फ्रांस में आवश्यकता है। यदि उसके अनुवाद को लोक लेख्य-प्रमाणक यहां पर प्रमाणपत्र दे देता है कि इस लेख्य का अनुवाद ठीक है तो उसे फ्रांस में स्वीकार कर लिया जायेगा। अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक लोक लेख्य-प्रमाणक को जो कृत्य करने पड़ते हैं वे उनसे बिल्कुल भिन्न हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत किय जाते हैं।

(श्री सी० सी० शाह)

प्रवर समिति ने मूल विधेयक में जो परिवर्तन करे हैं मैं उनका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। प्रवर सिमति ने इस बात की व्यवस्था की है कि लोक लेख्य-प्रमाणक की नियुक्ति के सम्बन्ध म नियमों के अनुसार योग्यतायें निर्धारित की जायेंगी। मैं इसका विशेषरूप से समर्थन करता हूं।

खण्ड १५ के उप-खण्ड २ (ख) के अनुसार लोक लेख्य-प्रमाणक की योग्यताओं में दो आवश्यक बातें रखी गई हैं अर्थात् आचरण तथा विश्वस्तता, तथा योग्यता तथा कार्यक्षमता। मुझे आशा है कि जब योग्यतायें निर्धारित की जायेंगी तो सरकार इस बात का ध्यान रखगी कि केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये जिनका आचरण अच्छा है तथा जिनको काफ़ी अनुभव प्राप्त है तथा साथ ही उनकी उचित सिफारिश की गई है। मेरा निवेदन है कि उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र देने की जो व्यवस्था की गई है उसके साथ साथ इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाये कि ऐसे प्रार्थी की सिफ़ारिश या तो ज़िला न्यायाधीश करें या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करे या फिर स्वीकृत संस्थायें। इस प्रकार प्रार्थी के सम्बन्ध में उनका ज्ञान प्रार्थी की योग्यता तथा विश्वस्तता का प्रमाण होगा।

मेरा यह भी सुझाव है कि खण्ड १५ के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत नियमों में न्यूनतम अनुभव का भी उल्लेख कर दिया जाये। साधारणतः सभी वकील लोक लेख्य-प्रमाणक नियुक्त होने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। किन्तु केवल अनुभवी लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिये अर्थात् जिसे कम से कम १० वर्ष का अनुभव हो तथा वाणिज्य विधि और परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा लेख्य सम्बन्धी अन्य बातों से पूर्णतः परिचित हो।

इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह नियुक्तियां बहुत अधिक संख्या में न की जायें। इसे आय के साधन के रूप में न समझा जाये। अतः जो नियुक्तियां की जायें वह किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को देखते हुये ही की जायें।

खण्ड ३ में बताया गया है कि कोई भी वकील या अन्य लोग जो निर्धारित की जाने वाली योग्यताओं को पूरा करते हैं लोक लेख्य-प्रमाणक नियुक्त किये जा सकते हैं। मैं यह नहीं समझ पाता कि "अन्य लोगों" के वर्ग में कौन से लोग आते हैं। मुझे बताया गया है कि अन्य लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान इस दृष्टिकोण से रखा गया है कि हो सकता है कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों को लोक लेख्य-प्रमाणक नियुक्त करना पड़े जिससे वे कुछ ऐसे कार्य कर सकें जिन्हें सरकार उनसे करवाना चाहती हो तथा जिसके लिय साधारणतः वह बाहर से किसी लोक लेख्य-प्रमाणक की सहायता न लेना चाहती हो। इस सीमा तक तो कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु वकीलों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्तियां बहुत ही कम की जानी चाहिये।

वर्तमान विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि प्रमाणपत्र मिलने की तिथि से यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिये की जायेगी तथा इस अवधि के अन्त में प्रमाणपत्र की अवधि को पुनः बढ़ाया जा सकता है। मुझ इससे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं आशा करता हूं कि अवधि को यों ही बढ़ा दिया जाया करेगा केवल उन मामलों को छोड़ कर जिनमें दुराचार हुआ हो।

खण्ड १४ में यह दिया हुआ है कि वे देश जो हमारे भारतीय लेख्य-प्रमाण सम्बन्धी कार्यों को स्वीकार करते हैं तो पारस्परिक आधार पर हमारा देश भी उनके ऐसे कार्यों को स्वीकार करेगा । किन्तु सब से महत्व-पूर्ण बात यह है कि हमें न केवल विदेशों के लेख्य-प्रमाणकों को स्वीकार कर लेना चाहिये बल्कि हमारे लेख्य-प्रमाणकों को विदेशों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये । इसके लिये सरकार को कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे अन्य देश हमारे लेख्य-प्रमाणकों द्वारा दिय गये प्रमाण-पत्रों को स्वीकार कर लें । जब तक विदेश वाले हमारे प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं करते तब तक इस विधेयक का महत्व बहुत कुछ अधूरा रहता है ।

अन्त में, मैं खण्ड १५ को लेता हूं जिसमें सरकार द्वारा नियम बनाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है । मेरा निवेदन है, तथा जैसा कि होता भी आया है, सरकार अन्तिम रूप से नियम बनाने के पूर्व उस मसौदे को वकील परिषदों, विधि समितियों तथा उच्च न्यायालयों में परिचालित करे जिससे महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक सुझाव उसमें शामिल किये जाने से न छूट जायें ।

सभापति महोदय: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि माननीय सदस्य यह कैसे सोचते हैं कि इस विधेयक में कोई ऐसा भी उपबन्ध है जो लेख्य प्रमाणकों की नियुक्तियों को एक निश्चित सीमा तक निर्धारित करता है ? कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित योग्यतायें रखता है उसे लेख्य-प्रमाणक होने का अधिकार है ।

श्री सी० सी० शाह: हो सकता है ऐसे व्यक्ति को लेख्य-प्रमाणक नियुक्त कर दिया जाये किन्तु यह उसका अधिकार नहीं हो सकता कि उसे नियुक्त किया ही जाये । क्योंकि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार इस बात का निर्णय करती है कि किस क्षेत्र में कितने लेख्य-प्रमाणकों की आवश्यकता है तथा वहां कितने नियुक्त किये जायें । अतः यदि किसी व्यक्ति के पास प्रमाण-पत्र है तो यह उसका अधिकार नहीं हो जाता कि उसे लेख्य-प्रमाणक नियुक्त कर ही दिया जाये ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश) : खण्ड १६ में यह उल्लिखित है कि परक्राम्य विलेख अधिनियम १८८१ की धारा ३ में से 'लोक लेख्य-प्रमाणक' की परिभाषा निकाल दी जायेगी । यदि परक्राम्य विलेख अधिनियम में से धारा ३ निकाल दी जाये तो इस विधेयक के लागू हो जाने पर उस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये लोक लेख्य-प्रमाणकों को अपना कार्य करने की वैधानिक मंजूरी न रहेगी ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वे भी तीन वर्ष तक कार्य करते रहें जैसा कि इस विधेयक के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले लेख्य-प्रमाणक करेंगे । इस अवधि के पश्चात् अन्य लोगों के साथ साथ वे भी अपने प्रमाण-पत्रों का नवीकरण करा सकते हैं ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : मेरे विचार में यह विधेयक कुछ अस्पष्ट सा है तथा कदाचित, सरकार को भी यह पता नहीं है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करन में उसका अभिप्राय क्या है । ऐसे व्यक्तियों को लोक लेख्य-प्रमाणक नियुक्त करने का वैधानिक प्रभाव क्या होगा जो ऐसी योग्यतायें रखते हैं जिन्हें सरकार नियम बना कर निर्धारित करेगी ? क्या लोक लेख्य-प्रमाणक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र किसी न्यायालय में उतना ही अकाट्य प्रमाण होगा

(श्री पोकर साहेब)

जितना पंजीयन किया गया पत्र ? ना तो इस विधेयक में ना ही साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर यह उल्लेख किया गया है कि लोक लेख्य-प्रमाणक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र अकाट्य प्रमाण समझा जायेगा ।

जिन लोगों को लोक लेख्य-प्रमाणक नियुक्त किया जायेगा उनकी योग्यतायें क्या होंगी ? निस्सन्देह, विधेयक में 'विधान-जीव्यियों' का उल्लेख किया गया है । यह तो स्पष्ट है । किन्तु साथ ही यह भी दिया हुआ है 'कोई भी अन्य व्यक्ति जो वे योग्यतायें रखता हो जो कि निर्धारित की जायें ।' इससे यह पता नहीं लगता कि सरकार किस प्रकार की योग्यतायें निर्धारित करना चाहती है । कम से कम विधेयक में इस बात का तो संकेत कर ही दिया गया होता कि सरकार कोई वैधानिक योग्यता चाहती है या और कोई योग्यता चाहती है । यह बहुत ही आवश्यक है कि इस विषय में कुछ संकेत दिया जाये तथा साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यदि सरकार नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में लेती है, तो वे नियम, जो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाती है, लागू किये जाने से पूर्व सदस्यों की सूचना के लिये सदन पटल पर रखे जाने चाहिये ।

श्री **बिस्वास**: जो बातें अब उठाई गई हैं उनका उत्तर मैं ने मूल विधेयक के उपबन्धों का स्पष्टीकरण देते समय पहले ही कर दिया था । हमारा विचार किसी ऐसी बात का करने का नहीं है जिससे लोक लेख्य-प्रमाणकों के सम्बन्ध में वर्तमान स्तर नीचा हो जाये । इस समय उनका नामांकन इंग्लैंड का मास्टर आफ़ फ़ैकलटीज़ करता है । भारत द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप ही भारतीय संसद् से इस नये विधेयक को पारित कराने का विचार है । यह बात स्वतन्त्र भारत की प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रतीत नहीं होती कि कुछ कार्य करने के लिये हम अब भी विदेश से अपने अधिकार प्राप्त करें । अपन लोक लेख्य-प्रमाणकों को चुनने तथा नियुक्त करन का अधिकार अब भारत को अपने हाथ में लेना चाहिये । विधेयक इसी बात को लेकर प्रस्तुत किया गया है । किन्तु, क्योंकि हम अब लोक-लेख्य प्रमाणकों का नामांकन करने जा रहे हैं इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारे लोक-लेख्य-प्रमाणकों का स्तर कम हो जाये या हम अपने विधान को इस प्रकार से बनायें कि इसके अनुबन्धों के अन्तर्गत नामांकित व्यक्ति विदेशों द्वारा स्वीकार न किये जायें । लोक लेख्य-प्रमाणक न केवल भारत में कार्य करेंगे बल्कि बाहर भी तथा यह बहुत आवश्यक है कि हमारे लेख्य-प्रमाणकों का हमारे देश के बाहर अधिक से अधिक मान हो । अतः इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होनी चाहिये कि नियमों को किसी ऐसे ढंग से तैयार किया जायगा जिसके कारण वह स्तर नीचा हो जायेगा जिसको अब तक बनाये रखने की लोक लेख्य-प्रमाणकों से आशा की जाती थी ।

यदि आप उन सम्बन्धियों को देखने का कष्ट करें जिनके अन्तर्गत इंग्लड में लोक लेख्य-प्रमाणकों का विनियमन तथा नियुक्ति की जाती है तो आप पायेंगे कि वहां यह बात बहुत ही सामान्य शब्दों में दी गई है कि, "फ़िलहाल, मास्टर आफ़ फ़ैकलटीज़, कोई सामान्य नियम बना सकता है जिसमें या जिनमें उन व्यक्तियों के, जो इसके बाद आवेदन करेंगे, आचरण, विश्वस्तता, योग्यता तथा कार्य क्षमता के प्रमाण की अपेक्षा हो ।" यहां भी नियम बनाने पड़ेंगे किन्तु यह कार्य केन्द्रीय सरकार करेगी ।

इंग्लैंड की तरह हमारे यहां कोई मास्टर आफ़ फ़ैकलटीज़ नहीं है जो नियम

बनाता हो । किन्तु यहां पर नियम कुछ इस प्रकार से बनाने चाहियें जिससे यह निश्चित हो जाये कि वे व्यक्ति, चाहे विधान-जीवी हों, या अन्य लोग, आचरण, विश्वस्तता, योग्यता तथा कार्यक्षमता के सम्बन्ध में आधारभूत योग्यताओं को पूरा करते हैं । जब हम कार्यक्षमता की बात करते हैं तो कार्यक्षमता से हमारा तात्पर्य अधिनियम में उल्लिखित कृत्यों को पूरा करने से है जो एक लेख्य-प्रमाणक के लिये निर्धारित किये गये हैं । अब हमें केवल ऐसे व्यक्तियों को चुनना है जिन पर, इन कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये विश्वास किया जा सके तथा जिनको अन्य देशों में भी विश्वस्त व्यक्ति समझा जाये । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखा है उसको ध्यान में रखा जायेगा तथा जब नियम बनाये जायेंगे तो हो सकता है विधानजीवी संस्थाओं, इत्यादि में उनके विचार जानने के लिये उन्हें परिचालित कर दिया जाये । ऐसा किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है तथा ऐसा किया जायेगा । हम इस बात के लिये बहुत इच्छुक हैं कि यह नियम इस प्रकार बनाये जायें जिससे ऐसा कोई व्यक्ति न आ सके जो वास्तव में योग्य न हो । मूल विधेयक में केवल इतना ही कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जिसे वह उचित समझती है । प्रवर समिति में हम ने उसे बदल दिया है तथा यह व्यवस्था की है कि इस सम्बन्ध में नियम अवश्य निर्धारित किये जायें जिससे जनता यह जान सके कि किस प्रकार के व्यक्ति लेख्य-प्रमाणक नियुक्त किये जाने के योग्य समझ जायेंगे । यह बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह न्यूनतम योग्यतायें ही क्यों न रखता हो, अवश्य ही नियुक्त कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में कुछ भेद तो करना ही होगा तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है । हो सकता है कि इसके बाद केन्द्रीय सरकार को किसी न किसी को नियुक्त करना पड़े, मान लीजिये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही करे तथा उसे ही इन प्रार्थना-पत्रों पर अन्तिम रूप से निर्णय करने का अधिकार सौंप दे । हो सकता है पहले प्रारम्भिक कार्यवाही हो तथा उसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने उन नामों को रखा जाये तथा उन की सिफारिश पर अन्तिम आदेश जारी किये जायें । यह तो विस्तार की बातें हैं, किन्तु मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी ऐसी बात न की जायेगी जिससे योग्यताओं के सम्बन्ध में वह स्तर नीचा हो जाये जिसकी इस समय लोक लेख्य-प्रमाणकों से आशा की जाती है ।

यह बात उठाई गई है कि लेख्य-प्रमाणकों द्वारा किये गये कार्यों का साक्ष्य सम्बन्धी क्या प्रयोग किया जा सकता है । क्योंकि यह विधेयक लोक लेख्य-प्रमाणकों की नियुक्ति से सम्बन्ध रखता है इसलिये इसमें उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है । यह एक अलग विषय है । जैसा कि वहां बैठे हुये मेरे माननीय मित्र ने बहुत ही सरल भाषा में यह स्पष्ट किया है कि इस विधेयक का पंजीयन अधिनियम अथवा साक्ष्य अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है । ना ही आप को यह आशा करनी चाहिये कि जिन बातों का सम्बन्ध, वास्तव में, अन्य क़ानूनों से है उन्हें इस में रख दिया जाये । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कोई विशेष लेख्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा अथवा नहीं, तो जहां तक इस देश का सम्बन्ध है हो सकता है कि इस विषय पर जो कुछ भी हो उसे हम किसी भी क़ानून से नियमित कर दें। हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है

(श्री बिस्वास)

जिसमें आप यह स्पष्टरूप से लिखा देखेंगे कि ऐसे लेख्यों का निदश किया गया है जो किसी भी लोक लेख्य-प्रमाणक द्वारा उसके हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ प्रमाणित किये गये हों। यदि मेरे पास यहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता तो मैं उन धाराओं को ढूंढ कर सदन के सामने प्रस्तुत कर देता जिनमें लोक लेख्य-प्रमाणक तथा उसके द्वारा प्रमाणित किये गये लेख्यों का इतने स्पष्टरूप से निर्देश किया गया है। किन्तु जहां तक विदेशों का सम्बन्ध है, हम यह नहीं कह सकते कि वे देश हमारे ही साक्ष्य नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। यह सब उन के नियमों पर निर्भर करेगा। किन्तु इसके सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है जिसको हर उस देश में माना जाता है जहां लेख्य प्रमाणक के कार्यों को स्वीकार किया जाता है। जहां तक ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल का सम्बन्ध है, समस्त राष्ट्रमंडलीय देश एक ही प्रकार के नियमों का अनुसरण करते हैं। लेख्य-प्रमाणकों के सम्बन्ध में लिखी गई उत्तम पुस्तक में से मैं अपने मित्रों के लाभ के लिये केवल एक पैरा पढ़ूंगा :—

> "अंग्रेज लेख्य-प्रमाणक के कृत्यों की किसी भी अनुविहित अनुबन्ध या नियम द्वारा व्याख्या नहीं की गई है,"—

हम यहां पर इस सम्बन्ध में कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं —

> "किन्तु सामान्यतः देखा जाय तो एक लोक लेख्य-प्रमाणक को कोर्ट आफ फैकल-टीज़ द्वारा नियुक्त किया गया कानून का एक अधिकारी कहा जा सकता है ....."

—यहां पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया वह कानून का एक अधिकारी होगा —

> " . . . . जिसका कर्तव्य ऐसे प्रलेखों, करारों तथा अन्य विलेखों का संवीक्षण करना है जिनका प्रयोग विदेशों में किया जाना है तथा ऐसे लेख्यों के यथानियम कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रमाण-पत्र देना है जिसको उसके हस्ताक्षर तथा सरकारी मोहर द्वारा प्रमाणित किया गया हो जो समस्त ऐसे देशों में स्वीकार किया जाता हो जहां लेख्य-प्रमाण के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों को ऐसा प्रमाण समझा जाता हो कि जैसे वे कार्य उसकी उपस्थिति तथा उसके द्वारा संवीक्षित किये जाने के पश्चात् किये गये हैं।"

जब कोई लेख्य-प्रमाणक किसी लेख्य को प्रमाणित करता है तो वह कहता है, "यह वह है जो कि हुआ है," तथा इसी को समस्त देशों में सामान्यतः सत्य विवरण स्वीकार कर लिया जाता है। किन्तु यह प्रश्न दूसरा है कि उस विशेष लेख्य को किस प्रकार प्रमाणित किया जाना है। यदि उस लेख्य को किसी विदेशी न्यायालय में उपस्थित किया जाता है तो, निस्सन्देह, वहां के अधिकारी यह अनुमान लगा सकते हैं कि लेख्य में दिये गये तथ्य सत्य हैं। यही सब कुछ है तथा यही सामान्य नियम है।

जैसा कि मैं पहिले ही कह चुका हूं जहां तक कृत्यों का सम्बन्ध है, उनका वर्णन आप किसी ऐसे अन्य देश के कानूनों में नहीं पायेंगे जहां लेख्य-प्रमाणक नियुक्त किये जाते हों किन्तु, फिर भी यह बात तो सर्वविदित है कि उनके कृत्य क्या हैं। इस विधेयक

के खण्ड ८ में हमने इन में से कुछ कृत्यों को शामिल करने का प्रयत्न किया है। प्रक्राम्य विलेख अधिनियम में कुछ कृत्यों का उल्लेख किया गया है : यदि कोई विनियम पत्र या प्रामिसरी नोट स्वीकार नहीं किया जाता है तो किसी न किसी को तो उस पक्ष के पास ले जाना ही है जिस को उसका भुगतान करना है। किसी न किसी को तो यह करना ही होगा। ऐसे कार्य लेख्य-प्रमाणकों द्वारा किये जाते हैं जैसे अस्वीकार किये जाने पर या पर्याप्त प्रतिभूति के लिए लेख्य-प्रमाणक द्वारा अपनी टिप्पणी देना, इत्यादि। हम ने इन कृत्यों को खण्ड ८ में शामिल कर लिया है तथा यह भी उल्लेख कर दिया है कि यह केवल उन कर्त्तव्यों में से कुछ कर्त्तव्य हैं जिनकी एक लेख्य-प्रमाणक द्वारा पालन किये जाने की आशा की जाती है। इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं और जब ऐसे मामले न्यायालय में पेश किये जाते हैं तो इन लेख्यों को साक्ष्य नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है। क्योंकि यहां पर केवल यह उल्लेख किया गया है कि लेख्य-प्रमाणक किसी लेख्य को संवीक्षित या प्रमाणित कर सकता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि लेख्य अपने आप ही स्वीकार्य कर लिया जायेगा। वसीयत का दो गवाहों द्वारा संवीक्षित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वसीयत को दो गवाह संवीक्षित कर देते हैं इस से वसीयत को प्रमाणित करने के लिये उन गवाहों को बुलाना तो छोड़ नहीं दिया जायेगा। अतः यह ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय प्रचलित साक्ष्य नियमों का निर्देश करके किया जायेगा।

मेरे विचार में मैं ने सभी बातों का उत्तर दे दिया है। प्रवर समिति ने विधेयक को संशोधित करके जिस रूप में रखा है उस रूप में मैं सदन से उसके पारित किये जाने की सिफारिश करता हुं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लेख्य-प्रमाणकों के पेशे को नियमित करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ७ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक का अंग बना लिया गया

खण्ड ९ से १६ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री बिस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार २९ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।